annual 2006-07 report

वार्षिक प्रतिवेदन

ERA OF FOOD TECHNOLOGY

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

खाद्य प्रंससकरण उद्योग मंत्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2006-2007

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली–110049

Government of India
Ministry of Food Processing Industries
Panchsheel Bhavan, August Kranti Marg, New Delhi-110049

विषय–सूची

पृष्ठ सं.

अध्याय -1

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 1-6

- ★ पृष्ठभूमि
- ★ कार्य आबंटन
- ★ मंत्रालय के उद्देश्य
- ★ मंत्रालय की भूमिका
- ★ मंत्रालय का संगठन
- ★ प्रशासनिक सतर्कता
- ★ खाद्य प्रसंस्करण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- ★ उपयोग प्रमाणपत्र
- ★ सूचना एवं सुविधा केंद्र
- ★ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत संगठन
- ★ अन्य एजेंसियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श
- ★ राज्य नोडल एजेंसियाँ

अध्याय-2

खाद्य प्रसंस्करण की सामान्य स्थिति 7

अध्याय- 3

हाल में की गई पहल 8-14

- ★ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- ★ विजन, रणनीति और कार्य योजना
- ★ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए कर राहत
- ★ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- ★ संस्थागत/मानव संसाधन विकास समर्थन समेकित खाद्य कानून तैयार करना
- ★ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान
- ★ स्कीमगत और अन्य समर्थन
- ★ सड़क गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा तथा गुणवत्ता उन्नयन
- ★ मीडिया के जरिए प्रचार
- ★ राज्य स्तर के कार्यबल
- ★ राष्ट्रीय मांस बोर्ड
- ★ राष्ट्रीय वाइन बोर्ड
- ★ भारत और विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता
- ★ राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव
- ★ पणधारियों के साथ बढ़ता परस्पर विचार विमर्श
- ★ राज्य नोडल एजेंसियाँ
- ★ धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र
- ★ सेवोत्तम
- ★ राष्ट्रीय बागवानी मिशन

CONTENTS

Page No.

CHAPTER-1
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 1-6

- ★ BACKGROUND
- ★ ALLOCATION OF BUSINESS RULE
- ★ OBJECTIVES OF THE MINISTRY
- ★ ROLE OF THE MINISTRY
- ★ ORGANISATION OF THE MINISTRY ADMINISTRATIVE
- ★ ORGANISATION OF THE MINISTRY
- ★ ADMINISTRATIVE VIGILANCE
- ★ INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN FOOD PROCESSING
- ★ UTILISATION CERTIFICATES
- ★ INFORMATION AND FACILITATION CENTRE
- ★ ORGANISATIONS UNDER MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
- ★ INTERFACE WITH OTHER AGENCIES
- ★ STATE NODAL AGENCIES

CHAPTER-2
GENERAL STATUS OF FOOD PROCESSING 7

CHAPTER- 3
RECENT INITIATIVES 8-14

- ★ FOOD SAFETY & STANDARD ACT, 2006
- ★ VISION, STRATEGY AND ACTION PLAN
- ★ TAX RELIEF FOR SPEEDY GROWTH OF FPI SECTOR
- ★ FDI IN FOOD PROCESSING
- ★ INSTITUTIONAL/HRD SUPPORT
- ★ NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
- ★ SCHEMATIC & OTHER SUPPORT
- ★ UPGRADING SAFETY AND QUALITY OF STREET FOOD
- ★ PUBLICITY THROUGH MEDIA
- ★ STATE LEVEL TASK FORCES
- ★ NATIONAL MEAT BOARD
- ★ NATIONAL WINE BOARD
- ★ PARTICIPATION IN FAIRS/EXHIBITIONS IN INDIA AND ABROAD
- ★ PROPOSAL TO THE NATIONAL MANUFACTURING COMPETITIVENESS COUNCIL
- ★ INCREASED INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS
- ★ STATE NODAL AGENCIES
- ★ PADDY PROCESSING RESEARCH CENTRE
- ★ SEVOTTAM
- ★ NATIONAL HORTICULTURE MISSION

अध्याय – 4
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित योजना स्कीमें **15-18**

★ सामान्य
★ दसवीं योजना पहल
★ 11वीं योजना प्रस्ताव
★ वार्षिक योजना 2006-07 में विशेष संघटक योजना(एससीपी) और जनजातीय उप-योजना(टीएसपी)
★ पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं

अध्याय - 5
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास **19-20**

★ खाद्य पार्क संबंधी स्कीम
★ समेकित शीत श्रृंखला
★ पैकेजिंग केंद्र
★ मूल्यवर्धित केंद्र
★ प्रदीपन सुविधाएँ
★ आधुनिकीकृत बूचड़खाना

अध्याय – 6
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रवार झलक **21-27**

★ फल तथा सब्जी प्रसंस्करण
★ मांस और मांस प्रसंस्करण
★ डेरी प्रसंस्करण
★ मछली प्रसंस्करण
★ खाद्यान्न प्रसंस्करण
★ उपभोक्ता खाद्य उद्योग
★ वातित शीतल पेय
★ पैक किया हुआ पेय जल
★ अल्कोहलयुक्त पेय
★ बैकवर्ड लिंकेज
★ निर्यात
★ विश्व व्यापार संगठन
★ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

CHAPTER – 4
PLAN SCHEMES FOR FOOD PROCESSING INDUSTRIES **15-18**

- ★ GENERAL:
- ★ TENTH PLAN INITIATIVES:
- ★ 11TH PLAN PROPOSALS
- ★ SPECIAL COMPONENT PLAN (SCP) AND TRIBAL SUB PLAN (TSP) IN THE ANNUAL PLAN 2006-07
- ★ FOOD PROCESSING PROJECTS IN THE NORTH EAST

CHAPTER - 5
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN FOOD PROCESSING SECTOR **19-20**

- ★ **FOOD PARK SCHEME**
- ★ INTEGRATED COLD CHAIN FACILITY
- ★ PACKAGING CENTRES
- ★ VALUE ADDED CENTRES
- ★ IRRADIATION FACILITIES
- ★ MODERNIZED ABATTOIR

CHAPTER – 6
FOOD PROCESSING INDUSTRIES – SECTORAL OVERVIEW UNDER THE SCHEME FOR TECHNOLOGY UPGRADATION/ESTABLISHMENT OF FPIS. **19-27**

- ★ FRUITS AND VEGETABLE PROCE-SSING
- ★ MEAT & MEAT PROCESSING
- ★ DAIRY PROCESSING
- ★ FISH PROCESSING
- ★ GRAIN PROCESSING
- ★ CONSUMER FOOD INDUSTRIES
- ★ AERATED SOFT DRINK
- ★ PACKAGED DRINKING WATER
- ★ ALCOHOLIC BEVERAGES
- ★ BACKWARD LINKAGES
- ★ EXPORTS
- ★ WORLD TRADE ORGANIZATION
- ★ FOREIGN DIRECT INVESTMENT

अध्याय – 7
मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास 28-34

- ★ ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र)
- ★ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
- ★ मानव संसाधन विकास संस्थानों में बुनियदी सुविधाओं का सृजन
- ★ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ★ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना
- ★ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

अध्याय - 8
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संवर्धनात्मक सहायता 35-37

- ★ प्रदर्शनियाँ (राष्ट्रीय)
- ★ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/परस्पर विचार-विमर्श
- ★ सेमिनार तथा कार्यशालाएँ
- ★ प्रचार

अध्याय - 9
खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता 38-42

- ★ खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियाँ
- ★ फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955
- ★ मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 (एमएफपीओ)
- ★ कोडेक्स
- ★ आई.एस.ओ./एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणीकरण के लिए सहायता
- ★ बार-कोडिंग
- ★ गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना

अध्याय - 10
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास 43-44

- ★ सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन

अध्याय -11
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति 45-46

अध्याय -12
बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान 47

अनुलग्नक 48-61

CHAPTER – 7
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND RESEARCH & DEVELOPMENT 28-34

- ★ PERSON POWER DEVELOPMENT IN RURAL AREAS (FOOD PROCESSING & TRAINING CENTRES)
- ★ ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME
- ★ CREATION OF INFRASTRUCTURE FACILITIES IN HRD INSTITUTIONS
- ★ TRAINING PROGRAMMES SPONSORED BY MFPI
- ★ PADDY PROCESSING RESEARCH CENTRE
- ★ SETTING UP OF NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT
- ★ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN FOOD PROCESSING SECTOR

CHAPTER - 8
PROMOTIONAL SUPPORT FOR FOOD PROCESSING INDUSTRIES 35-37

- ★ EXHIBITIONS (NATIONAL)
- ★ INTERNATIONAL EXHIBITIONS/INTERACTIONS
- ★ SEMINARS & WORKSHOPS
- ★ PUBLICITY

CHAPTER - 9
Food Safety & Quality 38-42

- ★ FOOD SAFETY & QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
- ★ FRUIT PRODUCTS ORDER (FPO), 1955
- ★ MEAT FOOD PRODUCTS ORDER, 1973 (MFPO)
- ★ CODEX
- ★ ASSISTANCE FOR ISO/HACCP CERTIFICATION
- ★ BAR-CODING
- ★ SETTING UP OF QUALITY CONTROL LABORATORY

CHAPTER - 10
Development of North Eastern Region 43-44

- ★ TECHNOLOGY MISSION FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF HORTICULTURE IN NORTH EASTERN REGION INCLUDING SIKKIM, J & K, HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.

CHAPTER -11
Progress made in use of Hindi in the Ministry of Food Processing Industries. 45-46

CHAPTER - 12
GENDER BUDGET 47

ANNEXURES 48-59

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अध्याय - 1

1.1 पृष्ठभूमि

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। बाद में 15.10.1999 की अधिसूचना सं.डाक-सीडी-442/99 के द्वारा इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया था और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 06.09.2001 की टिप्पणी सं.1/22/1/2001-केबि (1) के तहत इसे एक बार पुनः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

1.2 कार्य आबंटन

मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं -

1. फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (हिमीकरण और निर्जलीकरण समेत)।
2. खाद्यान्न मिलिंग उद्योग।
3. कुछ कृषि उत्पादों (मिल्क पाउडर, शिशु दूध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कंडैंस्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेरी उत्पाद, पॉल्ट्री और अंडा, मांस तथा मांस उत्पाद) का प्रसंस्करण एवं प्रशीतन।
4. मछली प्रसंस्करण (डिब्बाबंदी और फ्रीजिंग समेत)।
5. डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, मिष्टान्न (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडिड खाद्य उत्पाद (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों समेत) से संबंधित उद्योगों की आयोजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता।
6. बीयर जिसमें गैर अल्कोहलयुक्त बीयर शामिल है।
7. गैर सीरा आधारित अल्कोहल पेय।
8. वातित जल/शीतल पेय।
9. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।
10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषदों की स्थापना और सेवायें उपलब्ध कराना।
11. मछली प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता तथा परामर्श।
12. मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 का कार्यान्वयन।
13. फल उत्पाद आदेश, 1955 का कार्यान्यवन।

1.3 मंत्रालय के उद्देश्य

देश के सम्मुख आने वाली एकमात्र प्रमुख समस्या किसानों को उनकी उपज की लाभकारी कीमतें दिलवाने की है। इस समस्या का एक हद तक समाधान हो सकता है यदि अधिशेष अनाज, फल, सब्जी, दूध, मछली, मांस और पॉल्ट्री आदि को प्रसंस्कृत किया जाए और देश के भीतर और बाहर उनका विपणन किया जाए। एक मजबूत और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा व्यापारीकरण, उपज का टिकाऊपन बढ़ाने, उसका मूल्य बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा कृषि खाद्यों के निर्यात के लिए बाजार उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की सीमाओं के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीति तथा योजनाएँ बनाने का काम करता है। मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, उद्योग का मार्ग दर्शन करने और सहायता देने, निर्यात को बढ़ावा देने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए एक अनुरूप माहौल पैदा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। इन सभी उद्देश्यों की सीमा में रहते हुए मंत्रालय के निम्नलिखित लक्ष्य हैं -

- कृषि उपज का बेहतर इस्तेमाल और मूल्यवर्धन करना।
- कृषि खाद्य उपज के भंडारण, ढुलाई और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिए खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में सभी स्तरों पर अपव्यय को न्यूनतम करना।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रवेश।
- उत्पाद और प्रक्रिया विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना।
- मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति समर्थन, प्रोत्साहनात्मक पहल और सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- खेत से उपभोक्ता तक की आपूर्ति श्रृंखला के अंतरालों को भरने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का सृजन।

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

CHAPTER -1

1.1 BACKGROUND

The Ministry of Food Processing Industries (MFPI) was set up in July, 1988 to give an impetus to development of food processing sector in the country. Subsequently vide Notification No. Doc. CD-442/99 dated 15.10.99 this Ministry was made a Department and brought under the Ministry of Agriculture. It was again notified as the Ministry of Food Processing Industries vide Cabinet Secretariat's Note No. 1/22/1/2001-Cab.(1) dated 06.09.2001.

1.2 ALLOCATION OF BUSINESS

The subjects allocated to the Ministry are as under:-

1. Fruit and vegetable processing industry (including freezing and dehydration)
2. Food-grain milling industry
3. Processing & refrigeration of certain agricultural products like milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, ghee and other dairy products, poultry and eggs, meat & meat products.
4. Processing of fish (including canning and freezing)
5. Planning, development and control of, and assistance to, industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).
6. Beer, including non-alcoholic beer.
7. Alcoholic drinks from non-molasses base.
8. Aerated water and soft drinks.
9. Specialized packaging for food processing industries
10. Establishment and servicing of the Development Councils for fish processing industries.
11. Technical assistance and advice to fish processing industries.
12. Implementation of Meat Food Products Order (MFPO), 1973
13. Implementation of Fruits Products Order, 1955

1.3 OBJECTIVES OF THE MINISTRY

A major issue facing the country is to ensure remunerative prices to the farmers for their produce. The issue could be addressed to an extent, if the surplus production of cereals, fruits, vegetables, milk, fish, meat and poultry etc. are processed and marketed both inside and outside the country. A strong and dynamic food processing sector plays a vital role in diversification and commercialisation of agriculture, enhances shelf life, ensures value addition to the agricultural produce, generates employment, enhances income of farmers and creates markets for export of agro foods. The Ministry of Food Processing Industries is concerned with formulation and implementation of the policies & plans for the food processing industries within the overall national priorities and objectives. The Ministry acts as a catalyst for bringing in greater investment into this sector, guiding and helping the industry, and creating a conducive environment for healthy growth of the food processing industry. Within these overall objectives, the Ministry aims at:

- Better utilization and value addition of agricultural produce.
- Minimizing wastage at all stages in the food processing chain by development of infrastructure for storage, transportation and processing of agro-food produce.
- Induction of modern technology into the food processing industries.
- Encouraging R&D in food processing for product & process development.
- Providing policy support, promotional initiatives and facilities to promote value added exports.
- Create the critical infrastructure to fill the gaps in the supply chain from farm to consumer.

1.4 मंत्रालय की भूमिका

मोटे तौर पर मंत्रालय के कार्यों को नीतिगत समर्थन, विकासात्मक कार्यकलापों और विनियामक कार्यों के तहत निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता हैः-

1.4.1 नीतिगत समर्थन

(क) सभी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन ।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के स्वस्थ विकास हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना ।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित टैरिफ और शुल्कों को तर्कसंगत बनाने को बढ़ावा देना ।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का विकेंद्रीयकरण वित्तीय संस्थानों के जरिए करना है।

1.4.2 नीतिगत पहल

देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक नीतिगत पहल की गई हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -

क अल्कोहलयुक्त पेयों और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से बाहर रखा गया है ।

ख. बैंक ऋण के वास्ते खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वर्ष 1999 में प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है ।

ग. अल्कोहल और बीयर तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के वास्ते कतिपय शर्तों के अध्यधीन शतप्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन उपलब्ध है ।

घ. प्रसंस्कृत फल और सब्जियों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को वर्ष 2001-02 के बजट में 16% से घटाकर शून्य कर दिया गया है ।

ड. वर्ष 2004-05 के बजट में कतिपय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग श्रेणियों के लिए आयकर अवकाश और अन्य रियायतों की घोषणा की गई है ।

च. बजट 2006-2007 में संधनित दूध, आइसक्रीम, मांस, मछली और पॉल्ट्री से तैयार की गई खाद्य वस्तुओं, पेक्टिन, पास्ता और समीर पर लगाने वाले उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। खाने के लिए तैयार पैक खाद्यों और इडली और दोसे जैसे इंस्टेंट फूड मिक्स पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 16% से घटा कर उत्पाद शुल्क को 8% कर दिया गया है। वातित पेयों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 24 % से घटा कर 16 % कर दिया गया है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से पहले ही छूट प्राप्त है। आसान ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने, बैंक ऋण हेतु, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। "नाबार्ड" ने कृषि प्रसंस्करण बुनियादी ढ़ांचा तथा बाजार विकास के लिए एक हजार करोड़ रू. के कोष से एक पुनर्वित्त खिड़की का सृजन किया है।

छ. फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं ।

1.4.3 विकासात्मक पहल

क. विभिन्न योजना स्कीमों के तहत सहायता ।

ख. विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों को शामिल करके तथा विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता देकर खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास के आधार को विस्तृत करना ।

ग. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रबंधकों, उद्यमियों और दक्ष कामगारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास करना ।

घ. विश्लेषण और जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के वास्ते सहायता देना, खाद्य मानक तय करने के साथ-साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सक्रिय भागीदारी ।

ड. मंत्रालय कुंडली, हरियाणा में 244.6 करोड़ रू. की लागत से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान नामक एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना कर रहा है। उक्त संस्थान अंतराष्ट्रीय मानक का होगा।

च. सवोत्तम।

1.4.4 संवर्धनात्मक पहल

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित को सहायता देता हैः-

1.4 ROLE OF THE MINISTRY

The functions of the Ministry can be broadly classified under policy support, developmental activities and regulatory functions:

1.4.1. Policy Support

a) Formulation and implementation of policies for food processing sector within overall national priorities and objectives.

b) Facilitating creation of a conducive environment for healthy growth of the food processing sector.

c) Promoting rationalization of tariffs and duties relating to food processing sector.

d) Decentralisation of Scheme for Technology Upgradation/expansion/modernization of food processing industries through financial institutions.

1.4.2 Policy Initiatives:

Several policy initiatives have been taken from time to time to promote growth of the processed food sector in the country. Some of these are:

a) Most of the processed food items have been exempted from the purview of licensing under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, except items reserved for small-scale sector and alcoholic beverages.

b) Food processing industries were included in the list of priority sector for bank lending in 1999.

c) Automatic approval for foreign equity upto 100% is available for most of the processed food items excepting alcohol and beer and those reserved for small scale sector subject to certain conditions.

d) Excise duty on processed fruit and vegetables has been brought down from 16% to zero level in the Budget, 2001-02.

e) In the budget of 2004-05 income tax holiday and other concessions announced for certain categories of food processing industries.

f) In the Budget 2006-07 excise duty has been waived on condensed milk, ice cream, preparations of meat, fish and poultry, pectins, pasta and yeast. Excise duty on ready to eat packaged foods and instant food mixes like dosa and idli mixes have been reduced from 16% to 8%. Excise duty on aerated drinks has been reduced from 24% to 16%. Fruit and vegetable processing units are already exempted from payment of excise duty. To ensure easy availability of credit, Government has included food processing industries in the list of priority sector for bank lending. NABARD has created a refinancing window with a corpus of Rupees one thousand crore for agro processing infrastructure and market development.

g) Licensing powers delegated to regional offices under Fruit Products Order, 1955.

1.4.3 Developmental Initiatives:

a) Assistance under various plan schemes.

b) Widening the R&D base in food processing by involvement of various R&D institutes and support to various R&D activities.

c) Human Resource Development to meet the growing requirement of managers, entrepreneurs and skilled workers in the food processing industry.

d) Assistance for setting up analytical and testing laboratories, active participation in the laying down of food standards and their harmonization with the international standards.

e) Ministry is setting up a national level institute called National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) at Kundli in Haryana at an estimated cost of Rs.244.6 crore. The Institute will be of international standards.

f) *Sevottam*, Charter mark in service delivery for excellence.

1.4.4 Promotional Initiatives:

In order to create awareness about the potential and prospect of food processing industries in the country, this Ministry provides assistance for:

a) Organizing workshops, seminars, exhibitions and fairs.

b) Studies/surveys etc.

c) Publications.

क. कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों एवं मेलों आदि के आयोजन के लिए;

ख. अध्ययनों/सर्वेक्षणों आदि के लिए और;

ग. प्रकाशन ।

1.4.5. विनियामक

(i) फल उत्पाद आदेश(एफ.पी.ओ.), 1955 का कार्यान्वयन ।

(ii) मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 का कार्यान्वयन ।

1.5 मंत्रालय का संगठन

मंत्रालय (मुख्यालय) का संगठनात्मक ढांचा अनुलग्नक 1 पर दिया गया है । मंत्रालय (मुख्यालय) के लिए कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या निम्नलिखित अनुसार है:-

केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता संबंधी सभी अनुदेशों तथा सतर्कता मामलों से संबंधित वर्तमान नियमों और क्रियाविधियों का पालन सख्ती से किया जाता है । संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार (भारतीय प्रशासनिक सेवा) को मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों का केंद्रीय सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है । 6-10 नवम्बर, 2006 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया । सप्ताह के दौरान निम्नलिखित विषयों पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई:-

1. सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सामाजिक निषेध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. क्या कड़ी सजा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए नियंत्रण के रूप में काम करती है।

3. सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम में सरकारी संस्थानों और सरकार की भूमिका।

पद ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	धारित पदों की संख्या (31 दिसम्बर, 2006 को)			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुलट
ग्रुप क	38	4	-	17	21
ग्रुप ख	47	7	2	27	36
ग्रुप ग	44	5	1	36	42
ग्रुप घ	20	8	-	10	18
कुल	**149**	**24**	**3**	**90**	**117**

उपर्युक्त स्वीकृत संख्या के अलावा, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के हस्तांतरण के फलस्वरूप, मांस खाद्य उत्पाद आदेश के चार अधिकारी भी इस मंत्रालय में तैनात किए गए हैं।

1.6 प्रशासनिक सतर्कता

उपर्युक्त स्वीकृत संख्या के अलावा, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के हस्तांतरण के फलस्वरूप, मांस खाद्य उत्पाद आदेश के चार अधिकारी भी इस मंत्रालय में तैनात किए गए हैंखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने कार्मिकों की दक्षता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने और मंत्रालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में निष्पक्षता और विषयनिष्ठता सुनिश्चित करने पर उचित ध्यान दे रहा है । लोगों से प्राप्त शिकायतों और अभिवेदनों पर उचित ध्यान दिया जाता है और उनकी छानबीन की जाती है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके ।

4. क्या विद्यार्थियो में नैतिकता भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक जीवन के विकास में कोई योगदान दे सकती है। सर्तकता से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सर्तकता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और गृह मंत्रालय जैसी विभिन्न एजेंसियों को आवधिक रिपोर्ट और विवरणियां भेजी जाती हैं ताकि ये एजेंसियां नियमित रूप से निगरानी कर सकें।

मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक शिकायत समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्ष एक महिला अधिकारी हैं । वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । मंत्रालय में महिला कर्मचारियों

1.4.5 Regulatory

i) Implementation of Fruit Products Order (FPO), 1955.

ii) Implementation of Meat Food Product Order, 1973.

1.5. ORGANISATION OF THE MINISTRY

The organization structure of the Ministry (Headquarters) is at Annexure-I. The total sanctioned strength (Headquarters) of the Ministry is as follows:

Group of Posts	No. of posts	No of posts filled in (as on 31st Dec, 2006)			
	Sanctioned	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Others	Total
Group A	38	4	-	17	21
Group B	47	7	2	27	36
Group C	44	5	1	36	42
Group D	20	8	-	10	18
Total	**149**	**24**	**3**	**90**	**117**

Besides the above sanctioned strength, four officials of MFPO have also been posted to this Ministry consequent upon transfer of Meat Food Products Order, 1973 to this Ministry.

1.6 ADMINISTRATIVE VIGILANCE

MFPI has been taking due care of maintenance of efficiency and integrity of its personnel and ensuring impartiality and objectivity in the decisions made by the Ministry. Complaints and representations received from the public are given due consideration and scrutiny to ensure fairness and objectivity in the process of decision-making.

All the instructions on vigilance by CVC and extant rules and procedures relating to vigilance matters are adhered to strictly. Joint Secretary, Shri Ajit Kumar, IAS has been appointed as CVO for the Ministry and its subordinate offices. Vigilance Awareness Week was organized during 6-10th November 2006. An essay competition was organized during the week on the topics of :

1. Do social sanctions play vital role in preventing corruption in public service?

2. Will stringent punishment serve as a check for elimination of corruption?

3. Role of social institution and Government in the prevention of corruption in public life.

4. Would morality of students in any way contribute to development of corruption free public life?

Periodical reports and returns to various agencies such as CVC, CBI and Ministry of Home Affairs on matters pertaining to vigilance are sent to enable regular monitoring by these agencies.

The Ministry has constituted a Complaints Committee headed by a lady officer to deal with cases of any complaints of sexual harassment of women at work place as required under the directions of the Hon'ble Supreme Court. No complaint has been received by the Committee during the year and a congenial work environment exists for women employees in the Ministry. The Ministry proposes to initiate a detailed study of the gender status of the food processing sector and its potential.

1.7. INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN FOOD PROCESSING

In the modern world, information is the key asset for any organization. ICT ushers in transparency on procedures and various stakeholders are informed about the government policies, their functions and new developments through wide spread use of IT media. Keeping in view the overall priorities and objectives of the Ministry's multifaceted role, encompassing developmental, promotional, technical, advisory and

को कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध है । मंत्रालय का विचार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति और संभावना पर एक विस्तृत अध्ययन शुरू करने का है।

1.7 खाद्य प्रसंस्करण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

आधुनिक संसार में सूचना किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है । सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाती है और विभिन्न पणधारियों को सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम के व्यापक प्रयोग के जरिए सरकार की नीतियों, उसके कार्यों और नई गतिविधियों के बारे में सूचना दी जाती है । मंत्रालय की बहुमुखी भूमिका जिसमें विकासात्मक, संवर्धनात्मक, तकनीकी, परामर्शी और विनियामक कार्य शामिल हैं, की समग्र प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विभिन्न व्यापक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली का सृजन किया है । सूचना प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली आंकड़ों के विशाल खंडों को समाहित करने में सक्षम है और इसमें दिन-प्रतिदिन के परिवर्तन का रिकार्ड रखा जा सकता है । यह पूछताछ का तत्काल उत्तर देती है और इससे समय पर और प्रभावी ढंग से निर्णय करने में सहायता प्राप्त होती है । मंत्रालय ने कारगर उपयोग के लिए अनेक पर्सनल कम्प्यूटरों की खरीद द्वारा हार्डवेयर और साफ्टवेयर को मजबूत किया है । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बैक अप के रूप में 2 एम.बी.पी.एस. और आर.एफ. लिंक वाली एक उच्च गति लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है । इसके अलावा, वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी ढांचे से निकनेट के जरिए ई-मेल/इंटरनेट माध्यम से तीव्र विकास द्वारा डॉटा प्राप्त करने, विभिन्न किस्म की स्थिति रिपोर्ट तैयार करने, ऑन लाइन पूछताछ करने के साथ-साथ सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने की व्यापक संभावनाओं के बारे में कारगर विश्वव्यापी प्रसार के लाभ भी प्राप्त हुए हैं ।

1.7.1 ई-ग्रंथालय

एक नेटवर्क माहौल में पुस्तकालय संबंधी कार्यकलापों और सेवाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए **ई-ग्रंथालय** की शुरूआत की गई है । इस सॉफ्टवेयर में प्रशासन, खरीद, कैटलॉग तैयार करना, परिपत्रण, सीरियल कंट्रोल, आलेखों की इंडेक्सिंग और बजट नियंत्रण जैसे विभिन्न मॉड्यूल हैं ।

1.7.2 मंत्रालय की वेबसाइट

तेजी से विकास कर रहे इंटरनेट के माध्यम से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विपुल निवेश संभावनाओं का विश्वव्यापी प्रभावी प्रसार करने की मंत्रालय की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से मंत्रालय का होम-पेज जिसमें उद्यमशीलता सहायता हेतु महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के इंटरनेट वेब सर्वर पर रखा जा रहा है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । वर्तमान वेबसाइट का हिंदी रूपान्तरण भी होस्ट किया गया है और इसे चालू रखा जा रहा है । निम्नलिखित लिंक उपलब्ध कराकर मंत्रालय की वेबसाइट की विषयवस्तु को समृद्ध किया गया है:-

* सूचना प्राप्ति का अधिकार पेज
* विजन डॉक्यूमेंट
* पण्यवार प्रोजेक्ट प्रोफाइल
* खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

1.8 उपयोग प्रमाणपत्र

अनुदानग्राहियों द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने आदि संबंधी विषय पर जनहित में दायर मुकदमें (रिट याचिका संख्या 6413 ऑफ 2000) डा. बी.एन.वडेरा बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों की प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने लम्बित प्रमाण-पत्रों की विस्तृत समीक्षा की है । मंत्रालय ने इन मामलों में संबंधित संगठनों के साथ पत्राचार किया और उनमें से अधिकांश मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है । दिनांक 12.1.2006 को हुए राज्य नोडल एजेंसियों के सम्मेलन में लम्बित उपयोग प्रमाणपत्र संबंधी मामले पर विचार-विमर्श किया गया । राज्य नोडल एजेंसियों ने वायदा किया है कि वे लाभग्राहियों से बकाया उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी और उन्हें प्रस्तुत करेंगी । इस दौरान सभी लम्बित उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मंत्रालय सशक्त और लगातार कार्रवाई कर रहा है । जिन मामलों में पूर्व अनुदानों, के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों, यदि कोई हैं तो, पर मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऐसे सभी मामलों में इस प्रक्रिया का पालन कर रहा

regulatory functions, NIC facilitated in creating a comprehensive Computerised Management Information System (MIS). The present system of information management is able to cope with large volumes of data and can keep track of day-to-day changes, and it responds quickly to queries and helps in timely & effective decision-making. The Ministry has strengthened the Hardware and Software by procuring a number of Personal Computers for effective utilization. NIC has provided a high speed Leased Line connectivity of 2 Mbps and RF-Link as back-up. Moreover, the existing IT infrastructure has resulted in large benefits in data capturing, generating different types of status reports, and also for effective worldwide dissemination of Government's policies, programmes and immense investment potential in food processing areas, through the fast growing media of INTERNET/E-mail via NICNET.

1.7.1. E-Granthalaya

E-Granthalaya has been launched for computerization of library activities and services in a networked environment. The software contains various modules such as Administration, Acquisition, Cataloguing, Circulation, Serials controls, Articles Indexing and Budget Controls.

1.7.2. Ministry's Website:

In order to cater to Ministry's need for effective world wide dissemination of Government Policies, Programmes and immense investment potential in Food Processing sector, the home page of the Ministry containing important information is being maintained on the INTERNET web server of NIC and updated frequently. Parallel to the existing website, the Hindi version of the site is also hosted and maintained. The following links have been provided to enrich the content of Ministry's website:-

- Right to Information Act Page
- Vision Documents
- Project profile commodity wise
- Food Safety and Standards Act, 2006

1.8 UTILISATION CERTIFICATES

In response to the directions of the Hon'ble Delhi High Court, in a Public Interest Litigation (Writ Petition No: 6413 of 2000) in Dr. B.L. Wadehra Vs UOI and others on the subject of non – furnishing of Utilization Certificates by grantees etc., in respect of grants received from different Ministries / Departments of the Government of India, the Ministry carried out a thorough review of pending UCs. The Ministry pursued these cases with the concerned organization and was successful in getting Utilization Certificates in respect of many of the cases. The matter of pending utilization certificates was discussed in a conference with State Nodal Agencies (SNAs) on 12.01.2006. The SNAs have promised to obtain the outstanding utilization certificates from the Beneficiaries. Meanwhile the Ministry is vigorously and continuously pursuing the matter with a view to obtain all pending Utilization Certificates. In case of non-receipt of utilization certificates of earlier grants, the Ministry of Food Processing Industries (MFPI) is not considering requests, if any, received for further grant of financial assistance. MFPI has been following this practice in respect of all such cases. Release of second and subsequent instalments is considered only after receipt of the Utilization Certificates for the part assistance already extended.

1.9. INFORMATION AND FACILITATION CENTRE

In pursuance of Government's commitment to bring greater transparency in the administration through better access to information, Ministry of Food Processing Industries has established an Information and Facilitation Centre at Panchsheel Bhavan with the objective of helping seekers of information from various segments of the society viz. Government Agencies - State as well as the Centre, Food Processing Industries, Entrepreneurs, Farmers and the general Public who are interested to get information on Food Processing.

1.10. ORGANISATIONS UNDER MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

a) DIRECTORATE OF FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING (F&VP)

The Directorate of F&VP in the Ministry of Food Processing Industries is responsible for

है । पहले जारी की गई आंशिक सहायता राशि से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही दूसरी और बाद की किश्तें जारी करने पर विचार किया जाएगा ।

1.9 सूचना एवं सुविधा केंद्र

बेहतर सूचना पहुँच के जरिए प्रशासन में ज्यादा पारदर्शिता लाने के प्रति सरकार की वचनबद्धता के अनुसरण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पंचशील भवन में एक सूचना एवं सुविधा केंद्र की स्थापना की है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न भागों अर्थात राज्यों और केंद्र की सरकारी एजेंसियों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उद्यमियों, किसानों और सामान्य नागरिकों को जो खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जानकारी पाने के इच्छुक हों, सूचना उपलब्ध कराने में सहायता करना है ।

1.10 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत संगठन

(क) फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय फल उत्पाद आदेश (एफ.पी.ओ.), 1955 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है ताकि स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री सुनिश्चित की जा सके ।

यह निदेशालय यूनिटों को बेहतर गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में उत्पाद-निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देश देता है । फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालय और लखनऊ में एक उपकार्यालय है ।

(ख) मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973

मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 जिसे अब तक विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था, दिनांक 19 मार्च, 2004 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है । यह आदेश मांस खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण की स्वच्छकर स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए, मांस पशु को काटने से पूर्व और पश्चात निरीक्षण के जरिए, प्रसंस्करण से लेकर तैयार मांस खाद्य उत्पाद के गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित है।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान

कुंडली, हरियाणा में अंतराष्ट्रीय श्रेष्ठता केंद्र के रूप में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह संस्थान भारत और विदेश स्थित समरूप संस्थानों और उद्योग के साथ मिलकर काम करेगा।

(घ) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र

तंजावुर स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो धान के फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान तथा विकास और प्रशिक्षण क्रियाकलापों में लगा है । यह संस्थान 1973 में प्रारंभ हुआ । दिसम्बर, 1984 में इसे सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया । संस्थान को सारा वित्त इस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है । धान के अलावा मोटे अनाज, दलहन और तिलहन के प्रसंस्करण को शामिल करने के लिए इस संस्थान के आदेश पत्र का विस्तार किया गया है ।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र का उन्नयन राष्ट्रीय संस्थान के रूप में करने के बारे में वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2006-07 में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, इसके उन्नयन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

1.11 अन्य एजेंसियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करता है । मंत्रालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, उद्योग संघों आदि जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक संगठनों के साथ भी परस्पर विचार-विमर्श करता है ।

1.12 राज्य नोडल एजेंसियाँ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों की सिफारिश पर प्रत्येक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक राज्य में खाद्य

implementation of Fruit Products Order (FPO), 1955 to ensure hygienic and good quality products are manufactured and sold.

The Directorate provides guidance to units on better adherence to quality and hygiene in the manufacture of products. The Directorate of F&VP has five regional Offices at Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai and Guwahati & one sub Regional office at Lucknow.

b) Meat Food Products Order, 1973

Meat Food Products Order, 1973 which was hitherto being implemented by theDirectorate of Marketing & Inspection, Department of Agriculture & Cooperation has since been transferred to the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 14.05.2004. It deals with quality control of meat food products from processing to finished product by way of Ante-mortem and post-mortem inspection of meat animals to ensure hygienic conditions of processing of meat food products.

c) NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY, NTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT (NIFTEM):

It has been decided to set up National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM) at Kundli, Haryana as an International Centre of excellence which will work synergistically with the industry and similar institutions within India and outside.

d) PADDY PROCESSING RESEARCH CENTRE

The Paddy Processing Research Centre at Thanjavur is an autonomous body under the administrative control of the Ministry engaged in Research Development and Training activities on Post Harvest Technology for Paddy. This Institute was started in 1973 and registered in December 1984 as a Society. It is fully funded by the Ministry. The mandate of the institute has been widened to cover processing of Millets, Pulses and Oil Seeds in

Shri P.I.Suvrathan, Secretary, FPI addressing the delegates of Annapurna World Food Conference sponsored by MFPI / FICCI at Mumbai in November,2006.

प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों समन्वय और निगरानी के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राज्य नोडल एजेंसियाँ (एसएनए) नामित की हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में राज्य नोडल एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर मंत्रालय समय-समय पर उनके साथ विचार-विमर्श करता है।

addition to Paddy. Consequent to the announcement by the Hon'ble FinanceMinister in his Budget Speech of 2006-07 to upgrade PPRC to a National Institute, action has been initiated for its upgradation.

1.11 INTERFACE WITH OTHER AGENCIES

The Ministry continuously interacts with various Ministries of the Government of India and State Governments in order to achieve its objectives. The Ministry also interacts with various promotional organizations like Agricultural & Processed Food Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), National Co-operative Development Corporation (NCDC), National Horticulture Board, R&D institutes, Quality Control Laboratories, Industries Associations etc., in the pursuit of its objectives.

1.12. STATE NODAL AGENCIES:

Ministry of Food Processing Industries has, on the recommendation of the State/UT Governments, nominated State Nodal Agencies (SNA) for Food Processing Industries at the State/UT level in order to coordinate and monitor various activities pertaining to food processing sector in each State. Keeping in view the critical role they have to play in the development of food processing sector in the States, the Ministry interacts with the State Nodal Agencies periodically.

खाद्य प्रसंस्करण की सामान्य स्थिति

अध्याय - 2

2.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में डेयरी, मांस, पॉल्ट्री, मछली पालन, उपभोक्ता खाद्य, गैर शीरा आधारित अल्कोहलयुक्त पेय, वातित जल और मृदु पेय शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण में कृषि अथवा बागवानी उपज का किसी भी प्रकार का मूल्यवर्धन शामिल है। इसमें श्रेणीकरण, छँटाई, पैकेजिंग जिससे खाद्य उपज की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, भी शामिल है। यह उद्योग, कृषि और उद्योग के बीच महत्वपूर्ण लिंकेज और सहक्रिया उपलब्ध कराता है।

2.2 184 मिलियन हेक्टर कृषि-योग्य भूमि वाले भारत में प्रतिवर्ष 90 मिलियन टन दूध(विश्व में सबसे ज्यादा), 150 मिलियन टन फल एवं सब्जी(विश्व में दूसरा स्थान), 485 मिलियन पशुधन (संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे ज्यादा), 204 मिलियन टन खाद्य अनाज (विश्व में तीसरा स्थान), 6.3 मिलियन टन मछली (विश्व में तीसरा स्थान), 489 मिलियन पॉल्ट्री और 45,200 मिलियन अंडो का उत्पादन होता है।

2.3 भारत का कृषि उत्पादन आधार काफी मजबूत है लेकिन यहां भारी मात्रा में कृषि उपज की बरबादी भी होती है। विकासशील देशों में 60-70% प्रसंस्करण की तुलना में यहां प्रसंस्करण स्तर बहुत निम्न है, यानी फल एवं सब्जी में लगभग 2%, समुद्री खाद्य में 26%, पॉल्ट्री में 6% और भैंस मांस में 20% मूल्यवर्धन किया जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य के संबंध में विश्व व्यापार में भारत का अंशदान लगभग 1.5% ही है।

2.4 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ शीतश्रृंखला, पैकिंग और ग्रेडिंग केंद्रों जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का उपलब्ध न होना, पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण की बुनियादी सुविधाओं का अभाव, अक्षम आपूर्ति श्रृंखला, कृषि उपज की प्रसंस्करण योग्य किस्म का अभाव, कच्चे माल की उपलब्धता का मौसमी होना, माल ढोने की उच्च लागत, उच्च कराधान, पैकेजिंग की अधिक लागत, भुगतान-सामर्थ्य और सांस्कृतिक आदतों के कारण ताजे फल और सब्जियों के उपभोग को प्राथमिकता देना आदि हैं।

2.5 सरकार औद्योगिक वृद्धि को पुनः गति प्रदान करने और उसे संतुलित आधार देने के प्रति भी वचनबद्ध है। सरकार बरबादी में कमी लाने और किसानों के लिए लाभदायक मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। तदनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार ने (अगले अध्याय में दिए गए ब्योरे के अनुसार) कर रियायतों के अलावा कई उपाय शुरू किए हैं।

2.6 पिछले 5 सालों (वर्ष 2003-04 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.15% है।

GENERAL STATUS OF FOOD PROCESSING

CHAPTER- 2

2.1 The Ministry of Food Processing Industries covers products of fruits and vegetables, dairy, meat, poultry, fishery, consumer food, grains, non-molasses based alcoholic drinks, aerated water and soft drink. Food processing involves any type of value addition to agricultural or horticultural produce and also includes processes such as grading, sorting, packaging which enhance shelf life of food products. Food processing industry provides vital linkages and synergies between industry and agriculture.

2.2 India with arable land of 184 million hectares, produces annually 90 million tonnes of milk (highest in the world), 150 million tonnes of fruits & vegetables (second largest), 485 million livestock (largest), 204 million tonnes food grain (third largest), 6.3 million tonnes fish (3rd largest) , 489 million Poultry and 45,200 million eggs.

2.3 India's agricultural production base is quite strong but at the same time wastage of agricultural produce is massive. Processing level is very low i.e. around 2% for fruits & vegetables, 26% for marine, 6% for poultry and 20% for buffalo meat, as against 60-70% in developed countries. The share of India's export of processed food in global trade is only 1.5%.

2.4 Food processing industry is facing constraints like non-availability of adequate critical infrastructural facilities like cold chain, packing and grading centres, etc.lack of adequate quality control & testing infrastructure, inefficient supply chain, lack of processable varieties of farm produce, seasonality of raw material, high inventory carrying cost, high taxation, high packaging cost, affordability and cultural preference of fresh food.

2.5 Government is committed to enhance industrial growth and put it on a robust footing. Government is actively encouraging investment in agro processing industries to reduce wastage and encourage value addition. Accordingly, for giving a boost to FPI sector, Government has recently initiated several measures besides tax concessions as per details given in the next chapter.

2.6 Average Growth rate of FPI during the last five years (upto 2003-04) has been 7.15%.

हाल में की गई पहल

अध्याय -3

3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (समेकित कानून)

खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2006 संसद द्वारा 02..08.2006 को पारित किया गया । इसे राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति 23 अगस्त, 2006 को प्राप्त हुई । खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II खंड 1 में अधिनियम संख्या 34 ऑफ 2006 के रूप में प्रकाशित किया गया ।

3.2 अधिनियम के उद्देश्य

समेकित खाद्य कानून के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- खाद्य से संबंधित कानूनों को समेकित करना ।
- खाद्य मानकों के विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करना ।
- मानव खपत के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मदों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री तथा आयात को विनियमित करना ।
- बुनियादी सुविधा, जनशक्ति और परीक्षण सुविधाओं का एकत्रीकरण बेहतर मानक निर्धारण और उनकी पुनः तैनाती के लिए प्रवर्तन द्वारा करना ।

3.3 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- उत्पादित, प्रसंस्कृत, विक्रित या निर्यातित खाद्य में उपभोक्ता का उच्च स्तर का विश्वास हासिल करना ।
- एक कारगर, पारदर्शी और उत्तरदायी विनियामक ढांचा जिसके तहत उद्योग कारगर तरीके से काम कर सके । प्रतिकूल विनियामक तंत्र की जगह निवेशक अनुकूल माहौल जिसमें स्वयं विनियमन और क्षमता-निर्माण पर जोर होगा; खाद्य उत्पादों के निर्माण हेतु लाइसेंसिंग का विकेंद्रीयकरण और खाद्य सुरक्षा और मानकों से जुड़े सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ बिंदु की स्थापना करना ।
- खाद्य से जुड़ी पर्याप्त सूचना संबंधी उपबंध ताकि उपभोक्ता के पास अपनी पसंद के बारे में पूरी सूचना हो; खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य कारोबार ऑपरेटरों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना ।
- लोगों के स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मानकों में कमी लाए बिना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति उपायों में समरूपता का संवर्धन तथा सामान्य नियमों की स्थापना करना ।
- बहुस्तरीय और बहुविभागीय नियंत्रण की जगह समेकित आदेश(कमान) श्रृंखला ।
- खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के जरिए मात्र विनियामक प्रणाली की जगह स्वतः अनुपालन; और
- अपराध की गंभीरता के आधार पर श्रेणीबद्ध शास्तियों की शुरूआत ।

इस अधिनियम में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की स्थापना का प्रावधान है जो विज्ञान आधारित खाद्य मानक निर्धारित करेगा और खाद्य के निर्माण, आयात, प्रसंस्करण, वितरण और विक्रय विनियमित करेगा/ निगरानी रखेगा ताकि सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सुनिश्चित किया जा सके । मानकों के निर्धारण के लिए खाद्य प्राधिकरण की सहायता हेतु वैज्ञानिक समितियाँ और पैनल होंगे और कार्य की प्राथमिकता निर्धारण के लिए एक केंद्रीय सलाहकार समिति होगी । भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण की स्थापना का कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा गया ।

RECENT INITIATIVES

CHAPTER- 3

3.1 FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 (INTEGRATED FOOD LAW)

The Food Safety and Standards Bill, 2006 had been passed by the Parliament on 02.08.2006 and received the assent of the President on 23rd August, 2006. The Food Safety and Standards Act, 2006 has been published in the Gazette of India Extraordinary, Part – II Section 1, dated 24th August, 2006 as Act No.34 of 2006.

3.2 OBJECTIVES OF THE ACT

The main objectives of the Integrated Food Law are to:

- **consolidate the laws** relating to food
- **establish the Food Safety and Standards Authority of India** for laying down science based standards for articles of food
- **regulate manufacture, storage, distribution and sale and import of articles of food** to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption.
- **pool infrastructure, manpower, testing facilities** for better standard fixation and enforcement through their proper re-deployment.

3.3 SALIENT FEATURES OF THE ACT

- Achieve a high degree of **consumer confidence** in the quality and safety of produced, processed, sold or exported food.
- An effective, transparent and accountable **regulatory framework** within which the industry can work efficiently, putting in place an investor friendly rather than an adversarial regulatory mechanism, which emphasizes self regulation and capacity building; decentralization of licensing for manufacture of food products and establishing a single reference point for all matters relating to food safety and standards.
- The provision of **adequate information** relating to food to enable consumers to make informed choices; fixing responsibility on the food business operator to ensure the quality of food products.
- The establishment of common rules and promotion of consistency between domestic and **international food policy measures** without reducing the safeguards that applies to public health and consumer protection.
- Movement from multi level and multi-departmental control to **integrated line of command.**
- Shift from a mere regulatory regime to **self-compliance** through food safety management systems; and
- Introduction of **graded penalties** depending on the gravity of the offence.

The Act provides for establishment of the Food Safety and Standards Authority of India, which will fix science based food standards and regulate/monitor the manufacturing, import, processing, distribution and sale of food, so as to ensure safe and wholesome food. The Food Authority will be assisted by Scientific Committees and Panels in fixing standards and by a Central Advisory Committee in prioritization of the work. The task of establishment of the Food Safety and Standards Authority of India has been entrusted to the Ministry of Health.

The Act provides for adequate representation of Government, industry organizations, consumers, farmers, technical experts, retailers, etc. This mechanism for consultation is not provided only at the highest level of the Food Authority, but also at various levels like Central Advisory Committee, Scientific Committee and Scientific Panels. The enforcement of the legislation will be by the State Governments/ UTs through the Sate Commissioner for Food Safety, his officers and Panchayati Raj/Municipal bodies.

The Act provides for financial penalties for misuse of powers of Food Safety Officers. Introduction of graded penalties depending upon the gravity of offence, adjudication and compounding of offences are the important features of the Act.

इस अधिनियम में सरकार उद्योग संघों, उपभोक्ताओं, किसानों, तकनीकी सुविज्ञों, खुदरा विक्रेताओं आदि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है । परामर्श संबंधी यह व्यवस्था न केवल खाद्य प्राधिकरण के सर्वोच्च स्तर पर प्रदान की गई है बल्कि केंद्रीय सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समितियों और वैज्ञानिक पैनलों जैसे विभिन्न स्तरों पर भी की गई है । इस कानून को राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उसके अधिकारियों और पंचायती राज/नगर निगम निकायों के जरिए लागू किया जाएगा ।

इस अधिनियम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शक्तियों के दुरूपयोग के लिए वित्तीय शास्तियों की व्यवस्था है । इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ अपराधों की गंभीरता के आधार पर श्रेणीबद्ध शास्तियों, की शुरूआत करना, अधिनिर्णय और अपराधों की प्रशम्यता है ।

इस अधिनियम में अन्यों के साथ-साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रमुख उपबंधों को शामिल किया गया है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सहायक लिखितों पर आधारित है । संक्षेप में इस अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों को ध्यान में रखा गया है और एक ऐसा नीतिगत ढांचा तथा एकल खिड़की व्यवस्था का उल्लेख है जो खाद्य के निर्माण, विपणन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, ढुलाई, आयात और बिक्री में लगे लोगों का मार्गदर्शन और विनियमन करेगा ।

यह अधिनियम समसामयिक और व्यापक है तथा इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों तथा विज्ञान और पारदर्शिता पर आधारित मानकों का निर्धारण करके बेहतर उपभोक्ता व्यवस्था सुनिश्चित करना है । साथ ही इसका उद्देश्य भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिशील अपेक्षाओं को पूरा करना है ।

3.4 विजन रणनीति और कार्य योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विजन, 2015 को अंतिम रूप दिया है जिसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना करने का उल्लेख है । विज़न 2015 के तहत रणनीति के हस्तक्षेप के लिए पहचाने गए प्रणोद क्षेत्र मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना करना, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, शीत-श्रृंखला/मूल्यवर्धन तथा परिरक्षण बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना द्वारा क्षमता निर्माण, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का निर्माण, गली-सड़क किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता उन्नयन तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हैं । सरकार ने विज़न 2015 को कार्यान्वित करने के लिए इससे संबंधित एक विस्तृत कार्य योजना के साथ-साथ रणनीतियों की पहचान की है ।

कृषि कारोबार के संवर्धन के लिए समेकित रणनीति - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विजन रणनीति तथा कार्ययोजना पर विचार करने के लिए माननीय कृषि, उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है । ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी संस्तुतियाँ पेश कर दी हैं ।

3.5 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए कर राहत

(क) बजट 2004-05

(i) वर्ष 2004-05 के बजट में सरकार ने फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को, आयकर अधिनियम के तहत 5 साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 सालों के लिए लाभ पर 25% छूट दी गई है ।

(ii) डेरी प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु डेरी मशीनरी पर लगने वाले 16% उत्पाद शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है ।

(iii) मांस, पॉल्ट्री और मछली पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है ।

The Act, inter alia, incorporates the salient provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and is based on international legislations and instrumentalities. In a nutshell, the Act takes care of international practices and envisages an overreaching policy framework and provision of single window to guide and regulate persons engaged in manufacture, marketing, processing, handling, transportation, import and sale of food.

The Act is contemporary, comprehensive and intends to ensure better consumer safety through Food Safety Management Systems and setting standards based on science and transparency as also to meet the dynamic requirements of Indian Food Trade and Industry and International trade.

3.4. VISION, STRATEGY AND ACTION PLAN.

A Vision 2015 on Food Processing Industries has been finalized by this Ministry for giving boost to growth of food processing Sector which envisages trebling the size of the processed food sector by increasing the level of processing of perishables from 6% to 20%, value addition from 20% to 35% and share in global food trade from 1.5% to 3% by 2015. Under the VISION 2015, the thrust areas identified for strategic intervention are - establishing Mega Food Parks, Modernization of Abattoirs, Cold Chain/Value Addition and Preservation Infrastructure, Upgrading safety and quality of Street Food and Establishment/Upgradation of Quality Control Laboratories. Government has identified strategies along with a detailed action plan in this regard to realize the Vision 2015.

A GOM under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Sharad Pawar has been set up to consider an Integrated Strategy for Promotion of Agri-Business – Vision, Strategy and Action Plan for Food Processing Sector. The GOM has made its recommendations.

3.5. TAX RELIEF FOR SPEEDY GROWTH OF FPI SECTOR

(a) Budget of 2004-05:

(i) In the budget of 2004-05, the Government allowed under Income Tax Act, a deduction of 100% of profit for five years and 25% of profits for the next five years in case of new agro processing industries set up to process, preserve and package fruits and vegetables.

(ii) Excise duty of 16% on dairy machinery has been reduced to zero for promotion of dairy processing industries.

(iii) Excise duty on meat, poultry and fish has been reduced from 16% to 8%.

(iv) Excise duty on food grade hexane used in edible oil industry has been reduced from 32% to 16%.

(v) For promoting value addition in palm oil sector, customs duty on refined palm oil are fixed at 75% whereas the same for crude palm oil remains at 65%.

(b) Budget of 2005-06:

i) Excise duty of Rs. 1.00 per kg. on refined edible oil and Rs. 1.25 per kg. on vanaspati abolished.

ii) Customs duty on refrigerated vans reduced from 20% to 10%

(c) Budget of 2006-07:

1. Food processing identified as industry with employment potential

2. Food Processing to be a priority sector for bank credit; NABARD to create a refinancing window with a corpus of Rs.1,000 crore, especially for agro-processing infrastructure and market development.

3. National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management to be set up; Paddy Processing Research Centre, Thanjavur to be upgraded into a national – level institute.

4. Customs duty on packaging machines to be reduced from 15 per cent to 5 per cent.

5. Customs duty on Vanaspati increased to 80%

6. Condensed milk, ice cream, preparations of meat, fish and poultry, pectins, pasta and yeast to be fully exempt from excise duty.

7. Excise duty on ready-to-eat packaged foods and instant food mixes, like dosa and idli mixes, to be reduced from 16 per cent to 8 percent.

(iv) खाद्य तेल उद्योग में प्रयुक्त फूड ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से घटाकर 16% किया गया है ।

(v) पॉम आयल क्षेत्र में मूल्यवर्धन के लिए परिष्कृत पॉम आयल पर 75% सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है जबकि कच्चे पॉम आयल पर इसे 65% ही रखा गया है ।

(ख) बजट 2005-06

(i) परिष्कृत खाद्य तेल पर लगने वाले 1.00 रू. प्रति किलो और वनस्पति पर लगने वाले 1.25 रू. प्रति किलो उत्पाद शुल्क को खत्म कर दिया गया है ।

(ii) प्रशीतित वैनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है ।

(ग) बजट, 2006-07

(i) खाद्य प्रसंस्करण की पहचान रोजगार संभावना वाले उद्योग के रूप में की गई है ।

(ii) खाद्य प्रसंस्करण को बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में माना जाएगा; नाबार्ड विशेषतया कृषि प्रसंस्करण, बुनियादी विकास और बाजार विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये के कार्पस के साथ पुनर्वित्तपोषण विंडो सृजित करेगा ।

(iii) निफटेम " स्थापित किया जाना है । धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र, तंजावुर को एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जाना है ।

(iv) पैकेजिंग मशीनों पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है ।

(v) वनस्पति पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 80% किया गया है ।

(vi) कंडैस्ड मिल्क, आइसक्रीम, मांस, मछली और पॉल्ट्री से तैयार खाद्य वस्तुओं, पैकटिन्स, पास्ता और खमीर को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है ।

(vii) खाने के लिए पैक किया हुआ खाद्य और तत्काल तैयार होने वाला खाद्य जैसे डोसा और इडली मिक्सेज पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है ।

(viii) वातित पेयों पर उत्पाद शुल्क को 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है ।

(ix) पैकेजिंग पेपर पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 12% कर दिया गया है ।

3.6 खाद्य प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः-

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) में 333.06 करोड़ रू. का वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया । (लगभग 74.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर)

3.7 संस्थागत/मानव संसाधन विकास समर्थनः-

वर्ष 2006-07 के दौरान (दिसम्बर, 2006 तक) देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण उद्यमियों को व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए 13 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों को सहायता दी गई और 114 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों को सहायता दी गई ।

3.8 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान

अंतर्राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र के रूप में कुण्डली, हरियाणा में "राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जो भारत और विदेश में उद्योग और इस जैसे संस्थानों के साथ सहक्रिया करेगा । इस संस्थान में खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्य सुरक्षा आदि के थीम केंद्र होंगे । आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमडलीय समिति ने दिनांक 31.08.2006 को हुई अपनी बैठक में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा 25 के रूप में 8.1 मिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा समेत 244.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने के लिए अनुमोदन दिया है । यह संस्थान चालू वर्ष में किराए के परिसर में अपने सीमित कार्यकलाप शुरू करेगा ।

3.9 स्कीमगत और अन्य समर्थन

(i) निजी क्षेत्र से लगभग 368.88 करोड़ रू. का निवेश आकर्षित करते हुए(दिसंबर, 2006 तक)

8. Excise duty on aerated drinks has been reduced from 24 per cent to 16 per cent.
9. Excise duty on packaging paper has been reduced from 16 per cent to 12 per cent.

3.6. FDI IN FOOD PROCESSING

Actual FDI inflow in food processing sector in 2005–06 and 2006-07 (till September 2006) was Rs. 333.06 crores. (US$ 74.01 Million - approx.)

3.7. INSTITUTIONAL/ HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SUPPORT

Thirteen food processing training Centres (FPTCs) and 114 EDPs have been assisted in 2006-07 (upto December 2006) to provide hands on training experience to rural entrepreneurs in different parts of the country.

3.8. NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT (NIFTEM):

It has been decided to set up National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM) at Kundli, Haryana as an International Centre of excellence which will work synergistically with the industry and similar institutions within India and outside. The Institute would have theme centres on food technology, management, international trade, food safety, etc. CCEA at its meeting on 31.8.2006, has approved setting up of NIFTEM at an estimated cost of Rs.244.60 crores including a Foreign Exchange component of US$8.1 million as a Section 25 Company under the Companies Act 1956. The institute will start limited activities from the current year from hired premises.

3.9. SCHEMATIC & OTHER SUPPORT

(i) Financial assistance amounting to approximately Rs. 59.21 crore was sanctioned (up to December 2006) attracting investment of about Rs. 368.88 crore from private sector.

(ii) Two new Food Parks i.e. one each at Dhimapur, Nagaland and Aurangabad, Maharashtra have been sanctioned. 22 food parks have become operational.

3.10 UPGRADING SAFETY AND QUALITY OF STREET FOOD

Street Food is an integral part of any society and India is no exception. Street food is an inexpensive and convenient food for a large number of people. It is also in turn a large source of employment generation, major beneficiaries being women. Street food is a treasure house of local culinary traditions and is increasingly playing an important role as an enhancer and force multiplier of tourism sector all over the world.

National Policy for Urban Street Vendors/Hawkers drawn up by the Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation estimates the number of street vendors at around 2 % of the population of metropolises. Mumbai has largest number (approx 2,00,000) of vendors. Majority of the street vendors sell food products. Most of the large cities in India have migrant workers, mostly residing in slums, and they are dependent on street food as it is inexpensive and convenient. In addition, traditionally eating out meant consumption of street food for majority of Indians, as there were not many restaurants, which they could afford. Thus, street food has always been popular because of its affordability and convenience.

Street food sector in India is currently completely unregulated. This has often been a concern for public health authorities. There are periodic attempts by local authorities to do away with street food vending. There is a need to regulate street food vending in India and to bring it within the organized sector.

MFPI has therefore decided to take the initiative in this direction along with industry associations, NGOs, municipal bodies and ministries of Urban Development and Poverty Alleviation, Panchayat Raj Institutions and Tourism with a view to improve the safety of food in the streets. The effort will be to ensure safety and facilitate value addition, which would lead to increase in income level of food vendors. 7 Pilot projects are proposed to be taken up in Delhi, Chennai, Kolkata, Agra, Mumbai, Guwahati and Bangalore.

लगभग 59.21 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई ।

(ii) दो नए खाद्य पार्कों, एक दीमापुर, नागालैण्ड में और एक औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्वीकृति दी गई है । 22 खाद्य पार्कों ने काम करना शुरू कर दिया है ।

3.10 सड़क-गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता उन्नयन

सड़क-गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुएँ किसी भी समाज का अभिन्न अंग होती हैं और भारत इसका अपवाद नहीं है । सड़क गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुएँ अधिकांश लोगों के लिए सस्ते और सुविधाजनक खाद्य हैं । यह रोजगार सृजन का भी बृहत स्रोत है जिसमें महिलाए प्रमुख लाभभोगी है । सड़क गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुएँ स्थानीय पाक-कला परम्पराओं का भण्डार है और यह वर्धमान रूप में पूरे विश्व में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ोतरी देने वाले और शक्ति प्रवर्धक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई शहरी स्ट्रीट वेंडर्स/हॉकर्स के लिए राष्ट्रीय नीति में अनुमान लगाया गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या महानगरीय जनसंख्या का लगभग 2% है । मुम्बई में वेंडरों की विशाल संख्या (2,00,000) है । अधिकांश स्ट्रीट वेंडर्स खाद्य वस्तुएँ बेचते हैं । भारत में अधिकांश बड़े शहरों में प्रवासी मजदूर हैं जो गंदी बस्तियों में रहते हैं और वे स्ट्रीट फूड पर आश्रित हैं क्योंकि ये सस्ते और सुविधाजनक होते हैं । इसके अतिरिक्त अधिकांश भारतीयों के लिए स्ट्रीट फूड के उपभोग का अर्थ है कि पारम्परिक रूप से खाना क्योंकि ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट नहीं हैं जिनका वे खर्च उठा सकें । इस प्रकार से स्ट्रीट फूड खर्च उठा सकने की सामर्थ्य और सुविधाजनक होने के कारण हमेशा से लोकप्रिय रहें हैं ।

भारत में स्ट्रीट फूड क्षेत्र वर्तमान में पूर्ण रूप से अविनियमित है । यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के लिए अक्सर चिंता का विषय रहा है । स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्ट्रीट फूड वैंडिग को हटाने के समय-समय पर प्रयास किए गए हैं । भारत में स्ट्रीट फूड वेंडिंग को विनियमित करने और उसे संगठित क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है ।

इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संघों, गैर सरकारी संगठनों, नगर निगम निकायों और शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन, पंचायती राज संस्थाओं और पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर पहल करने का निर्णय लिया है ताकि इन खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा को बेहतर किया जा सके । सुरक्षा तथा मूल्यवर्धन सुरक्षित करने के प्रयास किये जाएंगे जिससे खाद्य वेंडरों का आय स्तर बढ़ेगा । दिल्ली, चैन्ने, कोलकाता, आगरा, मुम्बई, गुवाहाटी और बंगलौर मं 7 पायलट परियोजनाएँ शुरू की गईं हैं ।

3.11 प्रसंस्कृत खाद्य मदों के उपभोग को बढ़ाने के लिए दृश्य और प्रिंट समेत मीडिया के जरिए प्रचार अभियान

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्य मदों के उपभोग को बढ़ाने के लिए दृश्य और प्रिंट समेत मीडिया के जरिए प्रचार किए हैं । ये अभियान उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करते हैं और उन्हें मिलावटी/नकली वस्तुओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं । ये विज्ञापन उपभोक्ताओं को प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता/मात्रा/अंश के प्रति उपभोक्ता का ध्यान केंद्रित करते हैं ।

3.12 राज्य स्तरीय कार्य बलः

राज्य स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्य दल की स्थापना की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि वस्तुओं की प्रसंस्करणयोग्य किस्मों की पहचान, विकास और प्रचार प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता की वर्तमान स्तर का आकलन, प्रसंस्करण क्षेत्र के अविकासशीलता के लिए महत्वपूर्ण कारणों की पहचान करना, उद्यमियों के लिए बुनियादी ढांचा विकास की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन, प्रसंस्कृत खाद्यों के उपभोग का संवर्धन करने के लिए अभियानों/विपणन के लिए रणनीतियाँ तैयार करना, खाद्य सुरक्षा मानक परीक्षण सुविधाओं के लिए उपाय सुझाना, उद्योग के साथ प्रौद्योगिकी संस्थानों/अनुसंधान संगठनों से लिंकेज स्थापित करना, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थिति का आकलन के लिए उपाय सुझाए गए हैं । अब तक, ग्यारह राज्यों अर्थात, आंध प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कार्य बल स्थापित किए गए हैं ।

3.13 राष्ट्रीय मांस बोर्ड

देश में मांस तथा पॉल्ट्री क्षेत्र के संवर्धन की निगरानी और उसके और संवर्धन हेतु एक राष्ट्रीय मांस बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है । मांस और पॉल्ट्री क्षेत्र में हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करने की महसूस की गई आवश्यकता के कारण इसे आवश्यक माना गया है । प्रस्तावित बोर्ड अन्यों

3.11 PUBLICITY CAMPAIGNS THROUGH THE MEDIA INCLUDING VISUAL AND PRINT FOR PROMOTING CONSUMPTION OF PROCESSED FOOD ITEMS

The Ministry of Food Processing Industries have carried out publicity campaigns through the media including visual and print for promoting consumption of processed food items. These campaigns also exhort the consumers towards awareness and raising their voice against adulterated/counterfeit products. These advertisements also focus on Consumer awareness towards quality/ quantity/content checking before purchasing of processed food items.

3.12 STATE LEVEL, TASK FORCE :

In order to give boost to growth of Food Processing Industries at State level, Task Forces have been set up in various States which will, inter alia, suggest measures for identification, development and propagation of processable varieties of agricultural commodities, assess current level of availability of raw material for the processing industry, identify key reasons for underdevelopment of the processing sector, evaluate current state of infrastructure for entrepreneurs, evolve strategies for campaigns/marketing to promote consumption of processed foods, suggest measures for food safety, standards, testing facilities, establish linkage of technology institutes/ research organizations with industry, assess status of various food processing industries. So far, Task Force for eleven States, namely, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamilnadu and UP have been set up.

3.13 NATIONAL MEAT BOARD

It is proposed to set up a National Meat Board for overseeing the growth and further promotion of Meat and Poultry sector in the country. This has been considered necessary because of a felt need for a focused intervention in meat and poultry sector. The proposed Board will inter alia, (i) lay down policies for healthy development of the sector (ii) evolve standards of hygiene and quality (iii) support R&D and (iv) organize capacity building efforts. It will be an industry driven organisation which will bring all stakeholders together and pave the way for development of meat and poultry sectors.

3.14 NATIONAL WINE BOARD:

The proposal for establishment of National Wine Board has been under consideration by the Ministry of Food Processing Industries. At present there is no Government organization to promote grape production and processing in India. On the line of Tea Board & Coffee Board, it is necessary to frame an appropriate policy to promote infrastructural facilities of grape and wine industries and impart proper training/education in wine making. The main objectives and functions of the proposed National Wine Board would include, promote grape processing and wine industry in general; promote cooperative efforts among growers of grapes, manufacturers of raisins, juice and wine and encourage contract farming; undertake R&D in new technology, product, processes for continuous modernization of the industry; provide quality testing facilities for wine to meet global standards; advice Central/State Governments on various policy issues, etc.

3.15 PARTICIPATION IN FAIRS/EXHIBITIONS IN INDIA AND ABROAD:

The Ministry of Food Processing Industries participated in various domestic and international fairs for the promotion of processed food products both in India and abroad. Some of the major International Fairs participated by the Ministry include SIAL China 2006 from 29-31 May 2006 held at Shanghai, China, Royal Agriculture Show 2006 from 2 to 5 July 2006 at Warwickshire, U.K, and Malaysian International Food & Beverages (MIFB) Trade Fair 2006 at Kuala Lumpur from 13th – 15th July, 2006 and International Fispal Food Services Fair' 2006 at Sao Paulo, Brazil from 17th – 20th July, 2006 and SIAL Food Fair, Paris, France from 22-26th October 2006. In addition, Ministry participated in National level exhibitions held at Ahmedabad, Lucknow, Ranchi, Kolkata, Dimapur, Nagaland, New Delhi, and Mumbai.

के साथ-साथ (i) क्षेत्र के स्वस्थ विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करेगा (ii) स्वास्थ्यकर और गुणवत्ता मानक तैयार करेगा (iii) अनुसंधान और विकास समर्थन करेगा और (iv) क्षमता निर्माण प्रयास आयोजित करेगा । यह उद्योग प्रेरित संगठन होगा जो पणधारियों को परस्पर मिलाएगा तथा मांस एवं पॉल्ट्री क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा ।

3.14 राष्ट्रीय वाइन बोर्ड

राष्ट्रीय वाइन बोर्ड की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है । फिलहाल भारत में ऐसा कोई सरकारी संगठन नहीं है जो अंगूर उत्पादन और उसके प्रसंस्करण का संवर्धन करें । चाय बोर्ड और काफी बोर्ड की तरह, यह आवश्यक है कि अंगूर और वाइन उद्योगों को बुनियादी सुविधाओं के संवर्धन और वाइन बनाने में उपयुक्त प्रशिक्षण/शिक्षा प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त नीति बनाई जाए । प्रस्तावित राष्ट्रीय वाइन बोर्ड के मुख्य उद्देश्य और कार्यों में शामिल होंगे, सामान्यतः अंगूर प्रसंस्करण और वाइन उद्योग का संवर्धन, अंगूर उत्पादकों, किशमिश उत्पादकों तथा वाइन उत्पादकों के बीच सहयोगी प्रयासों का संवर्धन और ठेका खेती को प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास करना, उद्योग के लगातार आधुनिकीकरण हेतु उत्पाद, उत्पाद प्रक्रियाएँ, अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाने हेतु वाइन के लिए गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना, विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्रीय/राज्य सरकारों को सलाह देना आदि ।

3.15 भारत और विदेश में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत और विदेश दोनों में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के संवर्धन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया । मंत्रालय ने कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया उनमें से कुछ ये हैं - शंघई, चीन में 29-31 मई, 2006 तक हुए सियाल, चीन 2006 में, वारविकशायर, यू.के. में 2 से 5 जुलाई, 2006 तक रॉयल एग्रीकल्चर शो, 2006 में, कुआलालाम्पुर में 13 से 15 जुलाई, 2006 तक मलेशियन इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज ट्रेड फेयर, 2006 में, साओपालो, ब्राजील में 17 से 20 जुलाई, 2006 तक हुए इंटरनेशनल फिसपल फूड सर्विसेज फेयर, 2006 में और पेरिस, फ्रांस में 22 से 26 अक्तूबर, 2006 तक सियाल फूड फेयर में । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने अहमदाबाद, लखनऊ, रांची, कोलकाता, दीमापुर, नागालैण्ड, नई दिल्ली और मुम्बई में हुईं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया ।

3.16 राष्ट्रीय निर्माण प्रतियोगिता परिषद के बारे में मंत्रालय का प्रस्ताव

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय निर्माण प्रतियोगिता परिषद स्थापित की है । यह निर्माण क्षेत्र में विश्वसनीय और संगत नीतिगत पहलों के लिए एक नीतिगत मंच के रूप में कार्य करने के लिए उच्चतम स्तर पर एक अंतर अनुशासनात्मक और स्वायत्त निकाय है ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान वृद्धि और रोजगार के लिए तात्कालिक संभावना वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट 2015 में निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र को बल प्रदान करने हेतु अपनी रणनीति प्रस्तुत की है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण में महत्व वाले क्षेत्रों के ब्योरे, मंत्रालय द्वारा की गई पहल और खाद्य पार्क संबंधी स्कीमों का प्रस्तावित मॉडल, शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधा विकास, रणनीति वितरण केंद्र, आधुनिकीकृत बूचड़खाना, स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता का उन्नयन आदि का उल्लेख है । प्रथम चक्र चर्चा के पहले दौर में, विभिन्न पणधारियों अर्थात संबंधित विभाग के सचिव, उद्योग संघों, शिक्षाविदों और संबंधित उपक्षेत्रों के उद्योग प्रमुखों ने भाग लिया । परस्पर विचार-विमर्श के मुख्य मुद्दे मध्यम के स्थान पर दीर्घावधि आधार पर इस क्षेत्र की विकास की संभावनाओं, इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर जोर देते हुए संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रत्येक पणधारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ और निर्देशात्मक लक्ष्य थे । इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विस्तृत प्रस्तावों को उक्त परिषद ने स्वीकार कर लिया है और अपना समर्थन दिया है ।

3.17 पणधारियों के साथ बढ़ता विचार-विमर्श

(i) सेमिनार, कार्यशालाएँ, सम्मेलन

वर्ष 2006-07 में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए इस मंत्रालय द्वारा 54 सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों को सहायता दी गई । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इनमें गहरी रूचि ली और उक्त अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया । यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराते हैं तथा इनके माध्यम से उद्योगों, भावी उद्यमियों और पणधारियों से जानकारी प्राप्त होती है ।

3.16 MINISTRY'S PROPOSAL TO THE NATIONAL MANUFACTURING COMPETITIVENESS COUNCIL (NMCC):

In line with the priorities laid down in the National Common Minimum Programme the Government has set up the National Manufacturing Competitiveness Council. This is an interdisciplinary and autonomous body at the highest level to serve as a policy forum for credible and coherent policy initiatives in manufacturing sector.

The Food Processing sector has been identified as one of the sectors having immediate potential for growth and employment. The Ministry of Food Processing Industries made presentation on its strategy to energize the sector for achieving the objectives set out in its Vision Document 2015 indicating details of the thrust areas in food processing, initiatives taken by the Ministry and proposed models of schemes on Food Park, cold chain infrastructure, strategic distribution centres, modernized abattoir, upgradation of quality of street food, etc. In the first round discussion, different stake holders, namely the Secretary of the Department concerned, the Industry Associations, the Academicians and the Industry captains in the sub-sector concerned participated. The discussions centered, around the growth potential of the sector in a medium to long term, the actions to be taken by each of the stake holders to realize the potential by concentrating on improving the competitiveness of the sector and indicative targets to be aimed at. Detailed proposals made by the Ministry for the development of the sector has been accepted and supported by the Council.

3.17. INCREASED INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS: -

(i) Seminars, Workshops, Conferences.

In 2006-07 in all 54 seminars / workshops / conferences were assisted by the Ministry for promotion of food processing industries in the country. The Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Food Processing Industries took keen interest and actively participated in several such events. These events provided a forum for discussion on development of Food Processing Sector and to get feed back from the industry and prospective entrepreneurs and other stake holders.

(ii) State Nodal Agencies (SNAs)

In order to have an effective interface with prospective entrepreneurs and stake holders, the Ministry of Food Processing Industries have designated State Nodal Agencies (SNAs) in various States in consultation with concerned State Governments. These SNAs are provided annual recurring and periodical non-recurring grants to carry out effectively their functions as nodal agencies. In order to further strengthen the SNAs, the Ministry has enhanced their annual recurring grant from Rs. One Lakh to Rs. Five Lakh from 2005-06.

3.18. PADDY PROCESSING RESEARCH CENTRE

Recent activities carried out by PPRC during the current year (upto December, 2006) are as under:

- Various rice varieties collected from different parts of the country were analysed for preparation of Quality profile
- Work on technology for effluent treatment of rice bran oil extraction unit was taken up to reduce the colour and microbial load of waste water.
- Study on utilization of rice bye- products for production of rice wine was taken up.
- Ready to use *pongal* mix and ready to use *uppuma* mix with little millet were formulated and standardized.
- Studies on effect of processing on the anti-nutritional factors and functional properties in selected pulses and evaluating their product quality were taken up.
- Pressing device for testing the cooking condition of pulses was fabricated.
- Samples received from various institutions and private parties were analysed for various parameters on fee basis.
- Four batches of training programmes were conducted on microbial technology, analytical methods on grain processing.
- A seminar for rice millers was organized at Karnal, in association with Small Industries Services Institute, Karnal, Haryana State on 11.12.06.

(ii) राज्य नोडल एजेंसियाँ

भावी उद्यमियों और पणधारियों के साथ कारगर विचार-विमर्श करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके विभिन्न राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियाँ पदनामित की हैं । इन राज्य नोडल एजेंसियों को अपने कार्य कारगर ढंग से चलाने के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान और समय-समय पर अनुवर्ती अनुदान दिया जाता है । राज्य नोडल एजेंसियों को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने उन्हें दिए जाने वाले सालाना आवर्ती अनुदान को वर्ष 2005-06 से एक लाख रू. से बढ़ाकर 5 लाख रू. कर दिया है ।

3.18 धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र

चालू वर्ष (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में की गई पहल नीचे दी गई हैं –

- देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई चावल की किस्मों का विश्लेषण गुणवत्ता प्रोफाइल की तैयारी के लिए किया गया ।
- चावल की भूसी से तेल निस्सारण इकाई से बहिस्राव उपचार के लिए प्रौद्योगिकी पर कार्य किया गया ताकि अपशिष्ट पानी के रंग और सूक्ष्म जैविकी मिलावट में कमी लाई जा सके ।
- चावल की वाइन के उत्पादन के लिए चावल-सह-उत्पादों के उपयोग पर अध्ययन किया गया ।
- लिटल मिलेट से उपयोग के लिए तैयार "पोंगल मिक्स" उपयोग के लिए तैयार उपमा मिक्स तैयार किया गया तथा उसका मानकीकरण किया गया ।
- चुनिंदा दालों में पौषणिक रोधी कारकों और कार्यात्मक विशेषताओं पर प्रसंस्करण के प्रभाव और उनकी उत्पादन गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर अध्ययन आयोजित किए गए ।
- दालों की पकाने की स्थितियों के परीक्षण के लिए प्रेसिंग डिवाइस का निर्माण किया गया ।
- विभिन्न संस्थानों और निजी पार्टियों से प्राप्त नमूनों का शुल्क आधार पर विभिन्न मानदण्डों के लिए विश्लेषण किया गया ।
- अनाज प्रसंस्करण पर सूक्ष्म जैविकी प्रौद्योगिकी, विश्लेषण प्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के चार बैच आयोजित किए गए ।
- लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल, हरियाणा राज्य के सहयोग से चावल मिल मालिकों के लिए एक सेमिनार 11.12.2006 को आयोजित किया गया ।
- निसिंग और जुंदला, हरियाणा राज्य स्थित चावल मिलों में 12.12.2006 को चावल मिलों के प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी प्रदर्शन किया गया ।

3.19 सेवोत्तम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहचान "सेवोत्तम" प्रमाणन की तैयारी करने वाले संगठनों में से एक संगठन के रूप में की है । इस मंत्रालय ने "सेवोत्तम" के कार्यान्वयन हेतु इस बारे में इस मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

अगस्त, 2006	विचार-विमर्श की शुरूआत तथा कोर ग्रुप का गठन
सितम्बर, 2006	मंत्रालय को बेहतर बनाने की योजनाओं के लिए सेवोत्तम की अपेक्षाओं को शुरूआती तौर पर समझना
नवम्बर, 2006	सुधार संबंधी कार्यकलापों में कर्मचारियों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोर ग्रुप का विस्तार । कार्यालय में साफ-सफाई रखने, समयबद्धता, टेलीफोन पर बात करने संबंधी शिष्टाचार, रिकार्ड के भण्डारण के लिए आंतरिक कार्यकारी समूहों का गठन किया गया ।
जनवरी, 2007	प्रमाणन अपेक्षाओं की तुलना में आरंभिक अंतराल विश्लेषण

- Demonstrations were conducted on 12.12.06 at rice mills in Nissing and Jundla, Haryana State on Technology Upgradation of Rice Mills.

3.19 SEVOTTAM

The Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions has identified the Ministry of Food Processing Industries as one of the organizations to take up the preparation for "Sevottam" certification. This Ministry has constituted a core group for implementation of "Sevottam" with Joint Secretary (Admn) as the project manager. As per the road map devised by the Department of ARPG, this Ministry is required to fulfill the action plan towards achieving "Sevottam" within a period of two years.

Objectives of the Schemes are to improve quality of service delivery and achieve Excellency in public service delivery system. In order to achieve this, the following three key elements have been identified to focus on:-

(i) Formulation and implementation of a realistic Citizen's Charter through a consultative process.

(ii) Identification of services rendered, service delivery processes, their control and delivery requirements.

(iii) An effective process for complaints handling.

In addition to the above, the following initiatives have been taken by this Ministry towards achieving objectives of the Scheme:

- Introduction of online file tracking system.
- Telephone receiving by Ministry's official rather than security guard.
- Quarterly selection of the best staff/officer.
  - Improved seating plan for better efficiency.
  - Staff invited to participate in suggesting and making service delivery improvements.
- Monthly maintenance schedule for premises.
  - Decision to create Ministry's logo.
  - Attention towards Ministry's strategic focus.
  - Basic trainings in email usage by employees.

The Ministry of Food Processing Industries started its journey towards Sevottam in August 2006 and has taken initiatives towards building on organization wide capability to provide better services. Employees from all levels are invited to participate in the exercise. Already there has been considerable improvement in the office cleanliness, maintenance of visitor's lounge, telephone etiquettes, and record storage. The Ministry is on its way to crossing some of the biggest cultural barriers on the journey to Sevottam - changing mind sets.

The following action has been taken in phased manner by this Ministry in this regard:-

August, 2006	Initiation discussions and formation of core Group.
September, 2006	First workshop for wider dissemination of Sevottam criteria among stakeholders.
October, 2006	Initial understanding on alignment of Sevottam requirements with Ministry's improvement plants.
November, 2006	Enlargement of Core Group to enhance staff participation in improvement activities.Formation of internal working groups for immediate improvements including office cleanliness, punctuality, telephone etiquettes, record storage.
January, 2007	Initial gap analysis vis-a –vis certification requirements.

एक कोर ग्रुप का गठन किया है, संयुक्त सचिव (प्रशासन) इसके परियोजना प्रबंधक हैं । एआरपीजी विभाग द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के अनुसार इस मंत्रालय को दो वर्षों की अवधि में सेवोत्तम प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना पूरी करना अपेक्षित है ।

इन स्कीमों के उद्देश्य सर्विस डिलीवरी की गुणवत्ता में सुधार करना और जन सेवा डिलीवरी प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना है । इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की गई है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः-

(i) परामर्शदात्री प्रक्रिया के जरिए वास्तविक सिटीजन चार्टर की तैयारी और उसका कार्यान्वयन ।

(ii) प्रदान की गई सेवाएँ, सेवा डिलीवरी प्रक्रियाएँ, उनके नियंत्रण और डिलीवरी आवश्यकताओं की पहचान ।

(iii) शिकायतों के निपटान हेतु एक कारगर प्रक्रिया ।

उपर्युक्त के अलावा, इस स्कीम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं -

- ऑन लाइन फाइल ट्रैकिंग प्रणाली की शुरूआत
- सुरक्षा गार्ड की जगह मंत्रालय के कर्मचारी द्वारा टेलीफोन कॉल सुनना
- श्रेष्ठ कर्मचारी/अधिकारी का तिमाही चयन

  *बेहतर दक्षता के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था

  *सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के और सुझाव देने के लिए कर्मचारियों की सहभागिता को आमंत्रित करना
- परिसरों के लिए मासिक रखरखाव अनुसूची ।

  *मंत्रालय का "लोगो" बनाने का निर्णय ।

  *मंत्रालय के रणनीतिक फोकस पर ध्यान देना ।

  *ई मेल के उपयोगों के बारे में कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देना ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सेवोत्तम की राह अगस्त, 2006 में पकड़ी है और बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए इस संगठन की व्यापक क्षमता के निर्माण के लिए पहल की है । इस कार्य में सभी स्तर के कर्मचारियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है । कार्यालय में स्वच्छता, आगन्तुक कक्ष के रखरखाव, टेलीफोन संबंधी शिष्टाचार तथा रिकार्ड के भंडारण में पर्याप्त सुधार किया जा चुका है । मंत्रालय सेवोत्तम की राह में आने वाली कुछ सबसे बड़ी सांस्कृति बाधाओं यानी मानसिकता में बदलाव लाने को पार करने की दिशा की ओर बढ़ रहा है ।

3.20 राष्ट्रीय बागवानी मिशन

कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी के व्यापक क्षेत्र विशेष आधारित वृद्धि करने, उत्पादन को बढाने, चलाए जा रहे बहुमुखी बागवानी कार्यक्रमों के बीच कंवर्जेन्स और सैनर्जी स्थापित करने, बागवानी उपज के उत्पादन/प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार करने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा किसानों के पोषण और आय के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्यों से शुरू किया गया । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बागवानी प्रसंस्करण से संबंध रखने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करेगा । बागवानी मिशन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र तैयार किया गया है ।

3.21 मॉडल परियोजना प्रोफाइल

भावी उद्यमियों के प्रयोग और मार्गनिर्देश के लिए सामान्य क्षेत्र के वास्ते 75 खाद्य उत्पादों और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50 खाद्य उत्पादों संबंधी विस्तृत परियोजना प्रोफाइल तैयार किए गए हैं और उन्हें वेबसाइट पर भी डाला गया है ।

3.20. NATIONAL HORTICULTURE MISSION

National Horticulture Mission has been launched by the Ministry of Agriculture with objectives to provide area based holistic growth of horticulture, enhance production, establish convergence and synergy among multiple ongoing horticultural programmes, develop and disseminate technologies for production/processing of horticulture produce, generate employment and improve nutritional and income levels of farmers. MFPI will be responsible for implementing and monitoring programmes relating to horticulture processing. Institutional mechanisms have been devised to ensure coordination between the horticultural mission and the Ministry of Food Processing Industries.

3.21. MODEL PROJECT PROFILES

Detailed Project Profiles for 75 Food Products for general areas and 50 products for difficult areas have been developed for use and guidance of potential entrepreneurs and also put on website.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित योजना स्कीमें

अध्याय - 4

4.1 सामान्य

एक मजबूत और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि कार्यकलापों के विविधीकरण, कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन को और बढ़ाने और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु अधिशेष सृजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । लेकिन इसके लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता मानकों को लागू करने, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ाने, और इस प्रकार घरेलू बाजार और निर्यात-वृद्धि हेतु सहायता समेत खाद्य प्रसंस्करण के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए नीतियों एवं योजनाओं की आवश्यकता होगी ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 8वीं योजना के आरंभ से ही देश में प्रसंस्कृत खाद्य के विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें चला रहा है । योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों, उद्योग के समक्ष पेश आने वाली कठिनाइयों, इस क्षेत्र की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता और सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग का दर्जा दिए जाने के फलस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्तमान योजना के दौरान कई योजना स्कीमें चलाई हैं ।

4.2 दसवीं योजना पहल

योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के वास्ते खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर एक कार्यदल का गठन किया । साथ ही योजना आयोग ने शून्य आधारित बजट तैयार करने की कवायद (जीरो बेस्ड बजटिंग) शुरू की ताकि असंगत हो गई स्कीमों को बंद किया जा सके और अन्य अधिक सुसंगत संघटकों पर विचार किया जा सके । इन दो कवायदों के परिणामस्वरूप एक मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया गया जिससे योजना स्कीमों की संख्या 19 से घटकर 6 रह गई । 9वीं योजना में 235 करोड़ रू. के परिव्यय की तुलना में 10वीं योजना में 650 करोड़ रू. का परिव्यय अनुमोदित किया गया । आशा है कि यह दृष्टिकोण संपूर्ण रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए और प्रत्येक उप क्षेत्र के उन संघटकों को सहायता देने में सकारात्मक रूप से योगदान करेगा जो बहुत अधिक महत्व रखते हैं ।

10वीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

PLAN SCHEMES FOR FOOD PROCESSING INDUSTRIES

CHAPTER – 4

4.1. GENERAL:

A strong and dynamic food processing sector plays a significant role in diversification of agricultural activities, improving value addition opportunities and creating surplus for export of agro-food products. This requires policies and plans for improvement of food processing infrastructure including upgradation of technology and enforcement of quality standards, promoting investment in food processing, thus assisting in domestic market and export growth.

The Ministry of Food Processing Industries has accordingly been operating several plan schemes for development of processed food industry. Taking into account the recommendations of the Working Group constituted by the Planning Commission, the constraints faced by the industry, the need to accelerate growth of the sector and the priority status accorded to food processing industry by Government, the Ministry of Food Processing Industries stepped up operation of several Plan schemes during the Current Plan.

4.2. TENTH PLAN INITIATIVES:

The Planning Commission constituted a Working Group on Food Processing Industries for the 10th Five Year Plan. Simultaneously, an exercise of zero based budgeting was undertaken by the Planning Commission to weed out such schemes as may have become irrelevant and consider other components which may be more relevant. As a result of these two exercises, a macro management approach has been adopted resulting in reduction in number of Plan Schemes from 19 to 6. The outlay approved for the Plan period has gone up from Rs. 235 crores in the 9th Plan to Rs. 650 crores for the 10th Plan. This approach is expected to contribute positively to growth in the sector as a whole and assist such components of each sub-sector as are most critical.

4.3 Details of approved outlays for the 10th Plan are given below:

(करोड़ रू. में)

I.	**बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम** (क) फूड पार्क (ख) पैकेजिंग केंद्र (ग) आधुनिक बूचड़खाने (घ) एकीकृत शीत श्रृंखला सुविधाएं (ङ.) प्रदीपन सुविधाएं (च) मूल्यवर्धित केंद्र	**180.00**
II.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम** (क) सामान्य रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (ख) दाल मिलिंग	**295.00**
III.	**बैकवर्ड और फारवर्ड एकीकरण और अन्य कार्यकलापों संबंधी स्कीम** (क) बैकवर्ड लिंकेज (ख) फार्वर्ड एकीकरण (ग) सामान्य विज्ञापन (घ) प्रदर्शनी/मेलों में भाग लेने/सेमिनारों/कार्यशालाओं/ अध्ययन और सर्वेक्षणों को सहायता देने जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलाप (ङ.) विभिन्न बैठकों के लिए लघु फिल्में और सामग्री तैयार करना । (च) एफ एंड वी पी निदेशालय को सुदृढ़ करना । (छ) उद्योग संघों को सुदृढ़ करना । (ज) गेहूं के आटे का पुष्टीकरण ।	**30.00**
IV.	**गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और आर एंड डी संबंधी स्कीम** (क) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र । (ख) बार कोडिंग प्रणाली । (ग) कोडेक्स सेल का सुदृढ़ीकरण । (घ) निरंतर अनुसंधान और विकास । (ङ.) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन ।	**50.00**
V.	**मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम** (क) एफपीटीसी की स्थापना । (ख) दक्षता को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना । (ग) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम । (घ) डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम और विस्तार सेवा चलाने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता देना ।	**65.00**
VI.	**संस्थाओं को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम** (क) पीपीआरसी को सुदृढ़ करना । (ख) राज्य नोडल एजेंसियों को सुदृढ़ करना । (ग) योजना पदों से संबंधित वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय को पूरा करना । (घ) सूचना प्रौद्योगिकी ।	
	जोड़	**650.00**

I	Scheme for infrastructure development	180.00
	a) Food Park b) Packaging Centre c) Modernised Abattoirs d) Integrated Cold Chain facilities e) Irradiation facilities f) Value added centres	
II	Scheme for technology upgradation, Establishment/ Modernization of Food Processing Industries **Processed food industries in general**	295.00
III	Scheme for backward and forward integration and other promotional activities a) Backward linkage b) Forward integration c) Generic advertisement d) Promotional activities such as participation in exhibition/ fairs/supporting seminars/workshops/ studies and surveys. e) Preparation of short films and material for different meetings. f) Strengthening of Directorate of F&VP g) Strengthening of Industry Associations h) Fortification of wheat flour	30.00
IV	Scheme for Quality Assurance, Codex standards and R&D a) Food safety and quality assurance mechanisms b) Bar coding system c) Strengthening the Codex cell d) Continuous R&D e) Setting up/upgradation of quality control laboratories	50.00
V	Scheme for Human Resource Development a) Setting up of FPTC b) Imparting training to update skills c) EDP d) Facilitating Universities/Institutions for running degree/diploma extension courses and services	65.00
VI	Scheme for strengthening of institutions a) Strengthening of PPRC b) Strengthening of State nodal agencies c) Meeting expenditure of pay and allowances for Plan posts d) Information technology.	30.00
	Total: -	650.00

4.3 वार्षिक योजना 2005-06 के लिए संशोधित कुल परिव्यय 136 करोड़ रू. था और वार्षिक योजना 2006-07 के लिए परिवयय 150 करोड़ रू. है । वर्ष 2005-06 के दौरान वास्तविक व्यय 119.65 करोड़ रू. था । वर्ष 2006-07 में 31 दिसंबर, 2006 तक योजना परिव्यय 120.22 करोड़ रू. है ।

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (31 दिसंबर 2006 तक) के दौरान, प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक 2,3, 4, 5 और 6 में दिए गए हैं ।

4.4 11वीं योजना प्रस्ताव

मंत्रालय ने 11वीं योजना के लिए अपने प्रस्ताव भी योजना आयोग को भेजे हैं । प्रस्तावित योजना प्रस्तावों में, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चल रही बहुत सी स्कीमों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जाएगा । लेकिन उन्हें सुदृढ़ परियोजना कार्यान्वयन क्षमताओं समेत सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली के आधार पर उपयुक्त प्रबंधन/कार्यान्वयन व्यवस्थाओं द्वारा पुनः तैयार किया जाएगा । इस नए समेकित दृष्टिकोण के तहत न केवल वित्तीय सहायता के मुद्दों बल्कि दक्षता विकास, उद्यमशीलता, संस्थागत विकास जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा जो नीतिगत माहौल उपलब्ध कराते हैं जिससे वृद्धि को गति मिलती है ।

4.4.1 प्रस्तावित रणनीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं -

- बेहतर परियोजना चयन, विकास और कार्यान्वयन
- झुंड आधारित विकास को विकेंद्रित करना खास तौर पर बुनियादी ढांचे के सृजन और खुदरा बाजार के लिंकेजों को बढ़ाने के लिए
- उद्योग आधारित क्षमता निर्माण तथा मानकों का उन्नयन ।
- समेकित खाद्य कानून तथा विज्ञान आधारित खाद्य मानक ।
- पुनः तैयार की गई स्कीमों और कारगर कार्यान्वयन प्रबंधों समेत रणन्नतिक हस्तक्षेप ।
- इस मंत्रालय को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ताकि देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करने हेतु, प्रस्तावित विभिन्न नई पहल के कार्यान्यवन में पेश आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके ।

हस्तक्षेप के लिए पहचाने गए प्राथमिक क्षेत्र **निम्नलिखित** हैं -

- बुनियादी सुविधा विकास
- खाद्य पार्क स्कीम को संशोधित करके मेगा खाद्य पार्क स्कीम बनाने का प्रस्ताव है ।
- बूचड़खानों का आधुनिकीकरण
- शीखश्रृंखला, मूल्यवर्धित तथा परिरक्षण बुनियादी सुविधा विकास(शीतागार, प्रशीतित वैन आदि)
- प्रदीपन केंद्र
- अनुसंधान तथा विकास-उत्पाद, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता तथा दक्षता ।
- क्षमता निर्माण मानव संसाधन विकास, अनुसंधान तथा विकास, गुणवत्ता, सुरक्षा, संबंधित बुनियादी सुविधा ।
- खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन ।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना ।
- धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र, तंजावुर का राष्ट्रीय फसल प्रसंस्करण केंद्र के रूप में उन्नयन ।
- सड़क-गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता का उन्नयन और पहचाने गए शहरों में फूड स्ट्रीट की स्थापना करना ।
- राष्ट्रीय मांस बोर्ड की स्थापना करना ।
- वाइन क्षेत्र का विकास वाइन बोर्ड की स्थापना ।

4.5 प्रस्तावित स्कीमों की प्रमुख विशेषताएं

10वीं योजना स्कीमों की समीक्षा के आधार पर, सभी वर्तमान स्कीमों को संशोधन सहित अथवा रहित 11वीं योजना के तहत चलाने का प्रस्ताव है । वैसे कुछ स्कीमों के तहत, कतिपय संघटकों को निम्नलिखित अनुसार परस्पर मिलाने या बंद करने का प्रस्ताव हैः-

4.3. The revised total outlay for the Annual Plan 2005-06 was Rs. 136.00 crores and outlay for Annual Plan 2006-07 is Rs.150.00 crore. Actual expenditure during 2005-06 was Rs. 119.65 crore. The plan expenditure in 2006-07 till 31st December 2006 is Rs. 120.22 crores.

Details of financial assistance extended under the major schemes during 2002-03, 2003-04, 2004-05 2005-06, and 2006-07 (up to 31st December, 2006) are given at Annexure-II, III, IV ,V & VI respectively.

4.4 11TH PLAN PROPOSALS:

The Ministry has also submitted its proposals for the 11th Plan to the Planning Commission. In the proposed 11th Plan proposals, many of the schemes under Tenth Five Year Plan are to be continued during the Eleventh Five Year Plan, but are to be restructured with appropriate management/implementation arrangements in Public Private Partnership mode, with strong Project Implementation capabilities. The new integrated approach not only addresses issue of financial assistance but also issues such as skill development, entrepreneurship, Institutional Development, providing a policy environment which stimulates growth.

4.4.1 Core elements of the proposed strategy are:

- Better project selection, development and implementation
- Decentralized cluster based development, particularly for creation of infrastructure and fostering linkages to retail outlets.
- Industry led capacity building and upgradation of standards
- An integrated food law and science based food standards.
- Strategic intervention with redesigned schemes and efficient implementation arrangements.
- Importantly, the Ministry has to be strengthened appropriately, to meet the challenges in implementing various new initiatives proposed for energizing the food processing sector in the country.

The priority areas identified for intervention therefore are:

- Infrastructure development
- The food park scheme is proposed to be modified into a scheme for a Mega Food Park
- Modernization of Abattoirs.
- Cold Chain, Value Addition and Preservation infrastructure (Cold storages, Reefer vans etc.)
- Irradiation Centres
- Research and development – Products, Technology, Quality and Skills
- Capacity Building – Human Resource Development, Research & Development, Quality, Safety, Related Infrastructure
- Establishment of NIFTEM
- Upgradation of PPRC, Thanjavur into a National Crop Processing Center
- Upgrading safety and quality of street food and establishing food streets in identified cities
- Setting up of National Meat Board.
- Wine Sector Development- Establishment of Wine Board

4.5. SALIENT FEATURES OF PROPOSED SCHEMES

Based on the review of Tenth Plan schemes, it is proposed that all existing schemes be continued under the Eleventh Plan with or without modifications. However, certain components under some of the schemes are proposed to be merged or discontinued as follows:

- The components of Packaging Centre, Cold Chain Facilities, Value Added Centres and Irradiation Facilities under the Scheme of Infrastructure Development may be merged into a single component.
- The component of Bar Coding under scheme for Quality Assurance, Codex Standards and R&D not to be continued under the Eleventh Five Year Plan
- The component of Strengthening of Codex Cell under Scheme for Quality Assurance, Codex Standards and R&D to be merged with the scheme for Setting up/ Upgradation of Quality Control/ Food Testing Laboratory
- Scheme for Backward and Forward Integration not to be continued under the Eleventh Five Year Plan

A new scheme for upgrading the safety and quality of street foods is proposed under the Eleventh Plan. It will have two components of 'Safe Food Towns' and 'Food Corner/ Food Court'.

- बुनियादी सुविधा विकास स्कीम के तहत पैकेजिंग केंद्र, शीत श्रृंखला सुविधाओं, मूल्यवर्धित केंद्रों और पैकेजिंग सुविधाओं के संघटकों को एकल संघटक के तहत लाने का प्रस्ताव है ।
- गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान तथा विकास संबधी स्कीम के अंतर्गत बार कोडिंग संघटक को 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी नहीं रखने का प्रस्ताव है ।
- गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान तथा विकास संबधी स्कीम के अंतर्गत कोडेक्स सैल के सुदृढ़ीकरण संबंधी संघटक को गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला संबंधी स्कीम में मिलाने का प्रस्ताव है ।
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण संबंधी स्कीम को 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं चलाने का प्रस्ताव है ।

सड़क-गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता उन्नयन संबंधी एक नई स्कीम 11वीं योजना के दौरान चलाने का प्रस्ताव है । इसके दो संघटक "सैफ फूड टॉऊन्स" और फूड कॉर्नर/फूड कोर्ट होंगे ।

4.6 वार्षिक योजना 2005-06 में विशेष संघटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

i) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का लक्ष्य देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देना है । ये स्कीमें परियोजना-उन्मुखी हैं न कि राज्य या क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष के लिए हैं । वैसे इन योजना स्कीमों में समेकित जनजाति विकास परियोजना क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों के लिए अधिक सहायता का उल्लेख है ।

ii) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों/महिलाओं को अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ योजना स्कीमों में विशेष उपबंध किए गए हैं -

- उन क्षेत्रों में सेमिनार/विचार-गोष्ठी आदि आयोजित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सहायता देना जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है ।
- ठेका खेती की एक शर्त के अनुसार ठेके पर काम करने वाले किसानों (25) की न्यूनतम संख्या में से 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए ।
- उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम(ईडीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समुदायों के लोगों को वरीयता दी जाती है ।
- खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुओं का कतिपय प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए ।

4.7 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी योजना स्कीम का विकेंद्रीकरण

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगार सृजन की संभावना, किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात वृद्वि की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग स्थान रखता है । प्रसंस्करण क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रौद्योगिकी उन्नयन/ विस्तार/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए कार्यान्वित करके विकेंद्रीत करने का प्रस्ताव है ताकि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को व्यापक और भरपूर स्थान मिले तथा मूल्यांकन / सहायता देने तथा निगरानी की प्रकिया का विकेंद्रीकरण हो।

4.8 पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं -

सरकारी नीति के अनुसार योजना परिव्यय का न्यूनतम 10% सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए । तदनुसार, यह मंत्रालय 9वीं योजना के दौरान अपनी 10% से अधिक योजना निधियों का उपयोग पूर्वोत्तर में परियोजनाओं के लिए कर रहा है ।

इसके अतिरिक्त, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन 4 के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता दी जाती है ।

4.6 SPECIAL COMPONENT PLAN (SCP) AND TRIBAL SUB PLAN (TSP) IN THE ANNUAL PLAN 2006-07.

i) The schemes operated by the Ministry of Food Processing Industries are aimed at providing facilities and incentives for promotion of food processing industries in the country. These schemes are project oriented and not State or area or community specific. However, these Plan schemes envisage enhanced scale of assistance for Difficult Areas including ITDP areas.

ii) In order to ensure greater benefits to the people belonging to SC/ST communities, the following special provisions have been included in some of the Plan Schemes:-

- ✓ Preferential treatment for providing assistance for holding seminars/ symposium etc., in areas where SC/ST population is predominant.
- ✓ One of the conditions of contract farming is that 20% of the minimum number of contracted farmers (25) should belong to SC/ST communities.
- ✓ Preference is given to people belonging to SC/ST communities for training under Entrepreneurial Development Programme (EDP).
- ✓ A certain percentage of trainees under Food Processing & Training Centre (FPTC) should be from SC/ST communities in such courses.

4.7 DECENTRALISATION OF PLAN SCHEME FOR TECHNOLOGY UPGRADATION/EXPANSION/ MODERNIZATION OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES:

The food processing industry in India occupies a unique position in the Indian economy in terms of its potential for employment generation, increasing the farmers' income and export growth. With a view to provide for improvement of processing capabilities the scheme for Technology upgradation/expansion/ modernization/ establishment being implemented by the Ministry of Food Processing Industries (MFPI) is proposed to be decentralized during the 11th Plan period by way of implementation through Banks and financial institutions to provide a thrust and wider coverage for food processing industries in the country and simultaneously decentralise the procedures for appraisal, grant of assistance and monitoring.

4.8 FOOD PROCESSING PROJECTS IN THE NORTH EAST:

As per the Government Policy, a minimum of 10% of the Plan outlay is to be utilized for the projects in the North Eastern States including Sikkim. Accordingly, the Ministry has been utilizing more than 10% of its Plan funds for the projects in the North East during the 9th Plan. In addition, financial assistance is also being extended under Mini Mission IV of the Technology Mission for integrated development of horticulture in the North Eastern States including Sikkim, J & K , Himachal Pradesh and Uttarakhand.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास

अध्याय - 5

5.1 अपर्याप्त बुनियादी सुविधा, देश में कृषि/खाद्य प्रसंस्करण की राह में प्रमुख अड़चन है। बुनियादी सुविधा विकास की पहचान, हस्तक्षेप के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में की गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी सुविधा संबंधी दिक्कतों को संबोधित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बुनियादी सुविधा विकास संबंधी स्कीम कार्यान्वित की है जिसमें खाद्य से जुड़े विभिन्न बुनियादी सुविधा पहलुओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित संगठक शामिल हैं -

- खाद्य पार्क
- समेकित शीत श्रृंखला सुविधा
- पैकेजिंग केंद्र
- मूल्यवर्धित केंद्र
- प्रदीपन सुविधाएँ
- आधुनिकीकृत बूचड़खाने

5.2 खाद्य पार्क

खाद्य पार्क संबंधी स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खास तौर पर लघु और मझौले उद्यमियों के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का उल्लेख है। इस स्कीम में परियोजना लागत का 25% तक अनुदान के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 4 करोड़ रु. है। दुर्गम क्षेत्रों जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है, को बढ़े हुए स्तर की सहायता 33.33% की दर से दी जाती है। मंत्रालय ने अब तक 54 खाद्य पार्कों के लिए सहायता अनुमोदित की है।

5.3 समेकित शीत श्रृंखला सुविधा

इस स्कीम का उद्देश्य शीतागारों की व्यवहार्यता में सुधार करना और शीतागारों की क्षमता में बढ़ोतरी करना है। उक्त स्कीम के तहत, 8वीं योजना के तहत 2 खाद्य पार्कों 9वीं योजना के अंतर्गत 39 खाद्य पार्कों और 10वीं योजना के अंतर्गत 13 खाद्य पार्कों को सहायता दी गई है। इस स्कीम के तहत, जनवरी, 2006 तक 11768 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सभी 54 खाद्य पार्कों (राज्य-वार) की सूची अनुलग्नक-VIII पर दी गई है। अब तक 22 खाद्य पार्कों ने काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय निम्नलिखित प्रकार के शीतागारों को सहायता देता है:-

(क) गैर बागवानी उपज के जिए शीतागार

(ख) जहाँ शीतागार प्रसंस्करण यूनिट या खाद्य पार्क में सामान्य सुविधाओं का अभिन्न अंग है;

(ग) नियंत्रित वातावरण/परिष्कृत वातावरण सुविधा से युक्त विशेष प्रकार के शीतागार

शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है। 10वीं योजना अवधि के दौरान सहायता के लिए 18 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिनमें से 3 परियोजनाएँ वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमोदित की गईं। इस संघटक के तहत वर्ष 2006-07 के दौरान 1.75 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। ब्यौरे (योजना-वार) अनुलग्नक-VIII में दिए गए हैं।

Chapter - 5

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN FOOD PROCESSING SECTOR

5.1 The major factor standing in the way of agro/food processing in the country is inadequate Infrastructure. Infrastructure Development has been identified as a Thrust Area for intervention. In order to address the problem of infrastructural constraints in the food processing sector, the Ministry of Food Processing Industries has implemented the scheme for infrastructure development comprising the following components to address different aspects of food related infrastructure.:

- Food Parks
- Integrated Cold Chain Facility
- Packaging Centres
- Value Added Centres
- Irradiation Facilities
- Modernized Abattoir

5.2. FOOD PARKS:-

The Scheme of Food Parks has been envisaged to make available common infrastructure facilities for the Food Processing Industry especially SMEs. The scheme provides for a grant of up to 25% of the project cost subject to a maximum of Rs. 4 crores. Higher scale of assistance @33.33% is admissible for difficult areas including North Eastern States, J&K, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The Ministry has so far approved 54 Food parks for assistance.

Under the scheme, 02 food parks were assisted under 8th Plan, 39 under 9th Plan Scheme and 13 under 10th Plan. An amount of Rs.117.68 crore has been released under the scheme upto January, 2006. A list of all 54 Food Parks (State wise) is at **Annexure VII .** 29 Food parks have become operational so far.

5.3 INTEGRATED COLD CHAIN FACILITY:

The scheme is intended to improve viability of cold storages and enhance cold storage capacity. The Ministry assists the following types of Cold Storages:

a) Cold Storage for Non Horticulture Produce;

b) Where Cold Storage is an integral part of processing unit or of the common facilities in food parks

c) Special types of Cold Storages with Controlled Atmosphere / Modified Atmosphere facility.

Assistance @ 25% of the project cost in general areas and 33.33% in difficult areas subject to a maximum of Rs.75.00 lakhs is provided for establishment of cold chain facilities. During 10th Plan 18 projects have been approved for assistance of which 3 projects have been approved during 2006-2007. An amount of Rs. 1.75 crore has been released under this component during 2006-2007. Details (Plan wise) are given in Annexure VIII

5.4. PACKAGING CENTRES:

The Scheme aims to provide facilities for packaging which may help in enhancement of shelf life of food products and make them internationally acceptable. Assistance @ 25% of the project cost in general areas and 33.33% in difficult areas subject to a maximum of Rs.2.00 crore is provided for establishment of packaging centre. Assistance is available to all implementing agencies. So far, assistance of Rs. 1.45 crore has been sanctioned to one packaging centre in Jammu & Kashmir

5.5 VALUE ADDED CENTRES:

The Scheme is intended to enhance value addition leading to enhanced shelf life, higher total realization and value addition at each level of handling and also to facilitate traceability.

Assistance @ 25% of the project cost in general areas and 33.33% in difficult areas subject to a maximum of Rs.75.00 lakhs is provided for establishment and modernization of value added centre. So far, 5 projects under this component have been sanctioned with a total approved assistance of Rs. 1.68 crore during 10th Plan. An assistance of Rs. 1.04 crore has been released.

5.4 पैकेजिंग केंद्र

इस स्कीम का उद्देश्य पैकेजिंग के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिनसे खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ने में मदद मिलेगी और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हो सकेंगे । पैकेजिंग केंद्र की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये है । सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सहायता उपलब्ध है । अब तक जम्मू और कश्मीर में एक पैकेजिंग केंद्र को 1.45 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है ।

5.5 मूल्यवर्धित केंद्र

इस स्कीम का उद्देश्य मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है जिससे टिकाऊपन बढ़ेगा, कुल प्राप्ति पहले से अधिक होगी और हैंडलिंग के प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन होगा और साथ ही अनुमार्गणीयता सुकर होगी ।

मूल्यवर्धित केंद्र की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है । अब तक इस संघटक के तहत पांच मूल्यवर्धित केंद्र मंजूर किए गए हैं जिसके लिए 10वीं योजना के दौरान 1.68 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है । 104 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है ।

5.6 प्रदीपन सुविधाएँ

इस स्कीम का उद्देश्य मसाले और आटे में कीड़ा लगने, उत्पाद (जैसे कि आलू) में अंकुर फूटने और रासायनिक संघटक में होने वाले परिवर्तन को प्रदीपन तकनीकों द्वारा रोक कर खाद्य उत्पाद के टिकाऊपन को बढ़ाना है । प्रदीपन सुविधाओं की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये है । अब तक, पांच प्रदीपन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें 9.27 करोड़ रुपये की राशि शामिल है । 7.81 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई है ।

5.7 आधुनिकीकृत बूचड़खाना

इस स्कीम का उद्देश्य वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर ढंग से पशु को काटना, पशु को बेहोश करना जिससे उसे कम से कम दर्द हो और बेहतर गौण उत्पाद उपयोग के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बेहतर श्रेणी के मांस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय निकायों को सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है । अब तक केवल एक मामला अर्थात एमसीडी, दिल्ली का अनुमोदित 4.00 करोड़ रुपये का अनुदान देने का किया गया है इसमें से 1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है ।

5.6. IRRADIATION FACILITIES:

The Scheme aims at enhancing shelf life of the food product through irradiation techniques by preventing infestation like in flour, sprouting and change in chemical composition of the product (as in potato). Financial assistance @ 25% of the project cost in general areas and 33.33% in difficult areas subject to a maximum of Rs.5.00 crore is provided for establishment of irradiation facilities. So far 5 irradiation projects have been approved involving a total assistance of Rs. 9.27 crore. An assistance of Rs. 7.81 crore has been released.

5.7. MODERNIZED ABATTOIR:

The Scheme aims at scientific and hygienic slaughter, causing least pain to the cattle and ensuring better byproduct utilization as well as availability of better grade meat for the consumers.

Assistance @ 25% of the project cost in general areas and 33.33% in difficult areas subject to a maximum of Rs.4.00 crore is provided to local bodies for modernization of abattoirs. So far only one case i.e. of MCD Delhi has been approved for grant of Rs.4.00 crore out of which Rs. 1 crore has been released.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रवार झलक

अध्याय - 6

6.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्यान्न प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पॉल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण, दूध उत्पाद, मछली प्रसंस्करण,फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, उपभोक्ता खाद्य उद्योग जैसे अनेक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का काम देखता है । नीतिगत और संवर्धनात्मक समर्थन उपलब्ध कराने के अलावा संभावित उद्यमकर्ताओं पर प्रदर्शनात्मक और प्रपाती प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 50.00 लाख रुपये और 75.00 लाख रुपये है । क्षेत्र-वार ब्योरे इस प्रकार हैः-

6.2 फल तथा सब्जी प्रसंस्करण

फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापित लाइसेंस प्राप्त क्षमता जो 1.01.1993 को 11.08 लाख़ टन थी 01.01.2006 तक बढ़कर 21.18 लाख टन और 01.01.2007 तक बढ़कर 27.74 लाख टन हो गई है। अनुमान है कि कुल फल तथा सब्जी उत्पादन में से लगभग 2.20% का प्रसंस्करण किया जाता है ।

पिछले कुछ वर्षों में परोसने के लिए तैयार पेय, फल रस और गूदे, निर्जलीकृत और फ्रोजेन फल सब्जी उत्पादों,टमाटर उत्पादों, अचार, सुविधाजनक सब्जी मसाला पेस्टों, प्रसंस्कृत खुम्बी और रसेदार सब्जियों में सकारात्मक वृद्धि हुई है । सामान्यतः मूल प्रसंस्कृत खाद्य और विशेषतः ताजे फल और सब्जियों की तुलना में मूल्यवर्धित फल एवं सब्जी उत्पादों की घरेलू खपत भी कम हुई जिसका कारण पैकेजिंग सामग्री पर लगने वाले कर और शुल्क समेत कर और शुल्क का अधिक अधिभार, क्षमता का कम उपयोग, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का न अपनाया जाना, वित्त की अधिक लागत, बुनियादी सुविधा संबंधी दिक्कतें, किसानों और प्रसंस्करणकर्त्ताओं के बीच पर्याप्त लिंकेज न होने के कारण बिचौलियों पर निर्भरता है । घरेलू बाजार के अपर्याप्त विस्तार का एक और प्रमुख कारण यूनिटों का आकार बहुत छोटा होना और अपना बाजार बढ़ाने में उनकी असमर्थता भी है । फल एवं सब्जी प्रसंस्करण को नवीन प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वर्ष 2004-05 में नई फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत, पांच वर्षों के लिए 100% लाभ घटाने और अगले पाँच वर्षों के लिए 25% लाभ घटाने की अनुमति दी है ।

6.3 मांस और मांस प्रसंस्करण

मांस और मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में मुर्गी मांस भारत में तेजी से वृद्धि कर रहा पशु-प्रोटीन है। इसका अनुमानित उत्पादन 1500 हजार टन है और यह वर्ष 1991 से 2005 के दौरान 13% सी.ए.जी.आर. पर बढ़ रहा है। इसकी प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2000 में 870 ग्राम से वर्ष 2005 में बढ़कर लगभग 1.68 कि.ग्रा. हो गई है। अनुमान है कि यह खपत वर्ष 2009 में बढ़कर 2 कि.ग्रा. हो जाएगी । भैंस मांस का उत्पादन अपेक्षाकृत कम तेजी से बढ़कर रहा है। पिछले 6 सालों में यह 5% सी.ए.जी.आर. पर बढ़ रहा है। अनुमान है कि इसका वर्तमान उत्पादन स्तर 1.9 मिलियन टन है जिसमें से लगभग 21% का निर्यात किया जाता है । बकरी और भेड मांस अपेक्षाकृत कम छोटे संघटक है जिनमें मांग आपूर्ति से ज्यादा है और इसके फलस्वरूप घरेलू बाजार में इनकी कीमतें ज्यादा हैं। इसका उत्पादन स्तर 950,000 मी.टन पर लगभग टिका हुआ है और इसमें से 10,000 मी.टन से कम का वार्षिक निर्यात किया जाता है। इससे बड़ी प्रसंस्करण कंपनियाँ इस क्षेत्र में अपने व्यापार हितों को बढ़ाने के लिए आगे नहीं आ रही है ।

भारतीय उपभोक्ता प्रसंस्कृत या प्रशीतित मांस के बजाय बाजार से ताजा कटा मांस खरीदना पसंद करता है । मुर्गी मांस उत्पादन (लगभग 100,000 मी.टन) के महज 6% की बिक्री प्रसंस्कृत रूप में की जाती है। इसमें से केवल 1% का ही प्रसंस्करण करके मूल्यवर्धित उत्पाद (खाने के लिए तैयार/पकाने के लिए तैयार) तैयार किए जाते हैं। बड़े पशुओं का प्रसंस्करण मुख्यतः निर्यात उद्देश्य से किया जाता है । भारत में कुल प्रसंस्करण क्षमता 1 मिलियन मी.टन सालाना से अधिक है जिसमें से 40-50% का उपयोग किया जाता है ।

भारत 500,000 मी.टन से अधिक मांस का निर्यात करता है जिसमें भैंस मांस का प्रमुख हिस्सा है। भारतीय भैंस मांस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से मांग बढ़ रही है क्योंकि यह चर्बी रहित और लगभग नैसर्गिक स्वरूप का होता है ।

FOOD PROCESSING INDUSTRIES – SECTORAL OVERVIEW UNDER THE SCHEME FOR TECHNOLOGY UPGRADATION/ MODERNIZATION/ ESTABLISHMENT OF FPIs.

CHAPTER – 6

6.1 The Ministry of Food Processing Industries is concerned with a number of food processing sectors such as grain processing, meat processing, poultry & egg processing, milk products, fish processing, fruit & vegetable processing, consumer food industries. Besides providing policy and promotional support, in order to create demonstrative and cascading effect on potential entrepreneurs, Government has implemented the scheme for technology upgradation/establishment/ expansion/modernization of the food processing industries. Under the scheme assistance is provided @ 25% of the project cost in general areas and 33.33% in difficult areas subject to a maximum of Rs. 50.00 lakh and Rs. 75.00 lakh respectively. Sector wise details are as under:-

6.2 FRUITS AND VEGETABLE PROCESSING

The installed capacity of fruits and vegetables processing industry has increased form 11.08 lakh tons on 01.01.1993 to 21.18 lakh tones as on 01.01.2006 and 24.74 lakh tones as on 01.01.2007. The utilization of fruits and vegetables processing is estimated to be around 2.20% of the total production.

Over the last few years, there has been a positive growth in ready to serve beverages, fruit juices and pulps, dehydrated and frozen fruits and vegetable products, tomato products, pickles, convenience veg-spice pastes, processed mushrooms and curried vegetables. The domestic consumption of value added fruits and vegetable products is also low compared to the primary processed food in general and fresh fruits and vegetables in particular which is attributed to higher incidence of tax and duties including that on packaging material, lower capacity utilisation, non-adoption of cost effective technology, high cost of finance, infrastructural constraints, inadequate farmers-processors linkage leading to dependence upon intermediaries. The smallness of units and their inability for market promotion is also other main reasons for inadequate expansion of the domestic market. In order to give fresh impetus to processing of Fruit and Vegetables, Government in 2004-05 has allowed under I.T. Act, 100% deduction of profit for first five year and 25% deduction for another five years for new upcoming Fruits & Vegetables Processing units.

6.3 MEAT & MEAT PROCESSING:

In meat & meat processing sector, poultry meat is the fastest growing animal protein in India. The estimated production is 1500 thousand tones growing at CAGR of 13% through 1991-2005. Per capita consumption has grown from 870 grams in 2000 to about 1.68 kg in 2005. This is expected to grow to 2Kg in 2009. Buffalo meat production has been growing relatively less rapidly at a CAGR of 5% in the last 6 years. The current production levels are estimated at 1.9 million MT. Of this about 21% is exported. Mutton and lamb is relatively small segment where demand is outstripping supply, which explains the high prices in domestic market. The production levels have been almost constant at 950,000 MT with annual exports of less than 10,000 MT. This has restricted large processing companies from developing business interests in this sector.

Indian consumer prefers to buy freshly cut meat from the wet market, rather than processed or frozen meat. A mere 6% of production (about 100,000 MT) of poultry meat is sold in processed form. Of this, only about 1% undergoes processing into value added products (Ready-to-eat/ Ready-to-cook). Processing of large animals is largely for the purpose of Exports. The Total processing capacity in India is over 1 million MT per annum, of which 40-50% is utilized.

India exports More than 500,000 MT of meat of which major share is buffalo meat. Indian buffalo meat is witnessing strong demand in international markets due to its lean character and near organic nature.

मांस उत्पादों की मात्रा और मूल्य के संदर्भ में निर्यात के ब्योरे नीचे दिए गए हैं

(मात्रा मीट्रिक टन में और मूल्य करोड़ रुपये में)

मांस उत्पाद	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
भैंस मांस	243355.58	1144.42	297897.26	1305.45	343817.08	1536.77	306970.81	1615.59
भेड़/बकरी मांस	3915.06	33.07	4973.55	39.95	16820.53	110.39	8885.28	79.36
मुर्गी मांस उत्पाद	19876.02	130.07	26450.01	156.47	415228.17	202.40	264607.54	154.11
पशु खोल	464.28	9.63	8296.17	140.27	732.84	12.43	552.33	12.57
प्रसंस्कृत मांस	267.13	1.29	669.48	4.8	986.13	7.63	107.45	1.57

भारत विश्व में गो मांस का 5वाँ सबसे बड़ा निर्यातक है । भारतीय भैंस मांस निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावनाएँ हैं । मांस के जरिए इन्सानों को होने वाले रोगों की वजह से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के कारण मांस उपभोक्ता मांस की पौष्टिकता के प्रति अधिक सतर्क हो गए हें और साफ तथा स्वच्छकर परिस्थितियों में प्रसंस्कृत मांस और मुर्गी उत्पादों की मांग कर रहे हैं । महानगरों और शहरी इलाकों में अर्ध-पकाई, खाने के लिए तैयार, पकाने के लिए तैयार मांस खाद्य उत्पादों जैसे "सुविधाजनक वस्तुओं की मांग बढ़ रही है ।

मांस उत्पाद प्रसंस्करण के लिए लाइसेंस मांस खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ), 1973 के अंतर्गत दिया जाता है जिसे दिनांक 19.3.04 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के मुख्य उद्देश्य निर्माताओं को दिए जाने वाले लाइसेंसों के जरिए मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को विनियमित करना, स्वास्थ्यकर मांस खाद्य उत्पाद के उत्पादन के लिए निर्धारित स्वच्छकर और स्वास्थ्यकर स्थितियों को लागू करना, मांस खाद्य उत्पादों चिल्ड पाल्ट्री समेत मछली उत्पाद के उत्पादन के सभी चरणों में कड़ा गुणवत्ता नियंत्रण रखना आदि ।

घरेलू के साथ-साथ निर्यात बाजार के लिए मांस एवं मांस खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सहायता-अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । वर्ष 2006-07 के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मांस एवं मांस खाद्य उत्पादों के निर्माण हेतु 7 परियोजनाओं को सहायता दी है ।

6.4 डेरी प्रसंस्करण

बड़े गर्व की बात है कि कि भारत वर्ष 1988 से अब तक विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है । भारत पर दुग्ध क्रांति कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के कारण प्रथम स्थान बना हुआ है । विश्व दूध उत्पादन 613 मिलियन टन है और 1.1% सीएजीआर पर बढ़ रहा है । भारत का स्थान विश्व में दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम है । भारतीय उत्पादन 91 मिलियन टन है जोकि 4% सीएजीआर पर बढ़ रहा है । 7.5 मिलियन टन विश्व संवर्धनात्मक उत्पादन में भारत का अंशदान 4 मिलियन टन है । पहले के अधिक के वृद्धि दर के बावजूद भारत में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता (प्रतिदिन 229 ग्राम) विश्व औसत (प्रतिदिन 285 ग्राम) से कम है । अब भारत में कुल दूध उत्पादन में भैंस दूध का अंशदान अनुमानतः 57% है ।

भारत में दूध के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन उपभोग का स्वरूप एकदम अलग है जिसकी तुलना किसी बड़े मिल्क उत्पादक देश से नहीं की जा सकती है । देश में लगभग 70 मिलियन ग्रामीण घर (मूलतः छोटे और सीमांत किसान तथा भूमिहीन मजदूर) दूध उत्पादन के काम से जुडे हुए हैं । 11 मिलियन से अधिक किसान लगभग 0.1 मिलियन ग्राम डेरी सहकारी समितियों के तहत संगठित हैं (प्रति समिति लगभग 110 किसान) । देश भर में इन समितियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 18 मिलियन लीटर दूध संबंधी कार्य किया जाता है । ये समितियाँ एक राष्ट्रीय, मिल्क ग्रिड का हिस्सा है जो देश भर में दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहर और कस्बों के उपभोक्ताओं से जोड़ती है और मौसम तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण दूध की उपलब्धता में अंतर को कम करती है ।

भारत में दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4 से 6% के बीच है । यह मूलतः दूध क्रांति कार्यक्रमों द्वारा दूध उत्पादकों को सहकारी समितियों के रूप में संगठित करने के लिए की गई पहल दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी सुविधा तैयार करने, और डेयरी क्षेत्र को व्यवहार्य स्वयं धारणीय संगठित क्षेत्र बनाने के लिए कृषि मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण

Details of exports in terms of quantity and value of Meat products are given as under.

Qty.in MTs & Value in Rs. Crores

Meat product	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
Buffalo meat	243355.58	1144.42	297897.26	1305.45	343817.08	1536.77	306970.81	1615.59
Sheep/ Goat meat	3915.06	33.07	4973.55	39.95	16820.53	110.39	8885.28	79.36
Poultry Products	19876.02	130.07	26450.01	156.47	415228.17	202.40	264607.54	154.11
Animal casings	464.28	9.63	8296.17	140.27	732.84	12.43	552.33	12.57
Processed Meat	267.13	1.29	669.48	4.8	986.13	7.63	107.45	1.57

India is the 5th largest exporter of bovine meat in the world. Indian buffalo meat exports have the potential to grow significantly. Due to emerging health threats of the diseases communicable to human through meat, the meat consumers are more vigilant towards the wholesomeness of the meat and demanding meat and poultry products processed in clean and sanitary environment. In metros and urban areas there are upcoming demands for "convenience items" such as semi cooked, ready-to-eat, ready-to-cook meat food products.

Processing of meat products is licensed under Meat Food Products Order,(MFPO) 1973 which is being implemented by Ministry of food Processing industries w.e.f. 14.05.2004. The main objectives of the MFPO, 1973 are to regulate production and sale of meat food products through licensing of manufacturers, enforce sanitary and hygienic conditions prescribed for production of wholesome meat food products, exercise strict quality control at all stages of production of meat food products, fish products including chilled poultry etc.

To develop necessary infrastructure for processing of meat & meat food products for domestic market as well as for Export market , Ministry of food Processing Industries is providing financial assistance by way of grant-in-aid. During the Year 2006-07 MFPI assisted 7 projects for manufacture of Meat and Meat food products.

6.4 DAIRY PROCESSING

It is a matter of pride that India is the number one milk producing country in the world, maintaining the top position since 1988, thanks to successful implementation of the operation flood programmes. World milk production is estimated at 613 million tones growing at a CAGR of 1.1%. India ranks first in the world in terms of milk production. Indian production stands at 91million tones growing at a CAGR of 4%. Hence, India contributes 4 million tones to the world's incremental production of 7.5 million tonnes. Despite a higher growth rate, the per capita availability of milk in India (229 grams per day) is lower than the world average (285grams per day).Buffalo milk is now estimated to account for 57% of the total milk production in India.

India has a unique pattern of production, processing and marketing/consumption of milk, which is not comparable with any large milk producing country. Approximately 70 million rural households (primarily, small and marginal farmers and landless labourers) in the country are engaged in milk production. 0ver 11 million farmer are organized into about 0.1 million village Dairy Cooperative Societies (DCS)(about 110 farmers per DCS). The cumulative milk handled by DCS across the country is about 18 million kg of milk per day. These cooperatives form part of a national milk grid which links the milk producers through out India with consumers in more than 700 towns and cities bridging the gaps on account of seasonal and regional variations in the availability of milk.

In India current annual growth rate in Milk production is pegged between 4 to 6%. This is primarily due to the initiatives taken by the Operation flood programmes in the organizing milk producers into cooperatives; building infrastructure for milk procurement, processing and marketing; and providing financial, technical and management inputs by the Ministry of Agriculture & Ministry of Food processing Industries to turn the Dairy sector into viable self-sustaining organized sector. About 35% of milk produced in India is processed. The organized sector (large scale dairy plants) processes

उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधन आदानों के कारण हो पाया है । भारत मे उत्पादित लगभग 35% दूध का प्रसंस्करण किया जाता है । संगठित क्षेत्र (बड़े डेयरी संयंत्र) सालाना लगभग 13 मिलियन टन का प्रसंस्करण करते हैं जबकि असंगठित क्षेत्र (हलवाई और विक्रेता) सालाना 22 मिलियन टन का प्रसंस्करण करते हैं । संगठित क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास पंजीकृत सहकारी, निजी तथा सरकारी क्षेत्र में लगभग 676 डेयरी संयंत्र हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संगठित डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है ताकि प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों की उभरती मांग पूरी की जा सके और भावी उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिए अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर रहा है ताकि डेयरी प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता देकर भारतीय डेयरी निर्यात का स्वरूप बदला जा सके । वर्ष 2006-07 (दिसम्बर तक) के दौरान मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत 32 यूनिटों को वित्तीय सहायता (591 लाख रुपये) स्वीकृत की गई है ।

6.5 मछली प्रसंस्करण

8000 कि.मी. से अधिक लम्बे तट, 50600 वर्ग किलोमीटर लंबी कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्षेत्र और 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाले भारत के पास प्रचुर मात्स्यिकी संसाधन हैं । गत पांच वर्षों के दौरान मछली उत्पादन (समुद्री तथा अंतर्देशीय दोनों) का ब्योरा निम्नलिखित हैः-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
2000-01	2.81	2.84	5.65
2001-02	2.83	3.12	5.95
2002-03	2.99	3.21	6.20
2003-04	2.94	3.45	6.39
2004-05	3.01	3.50	6.51

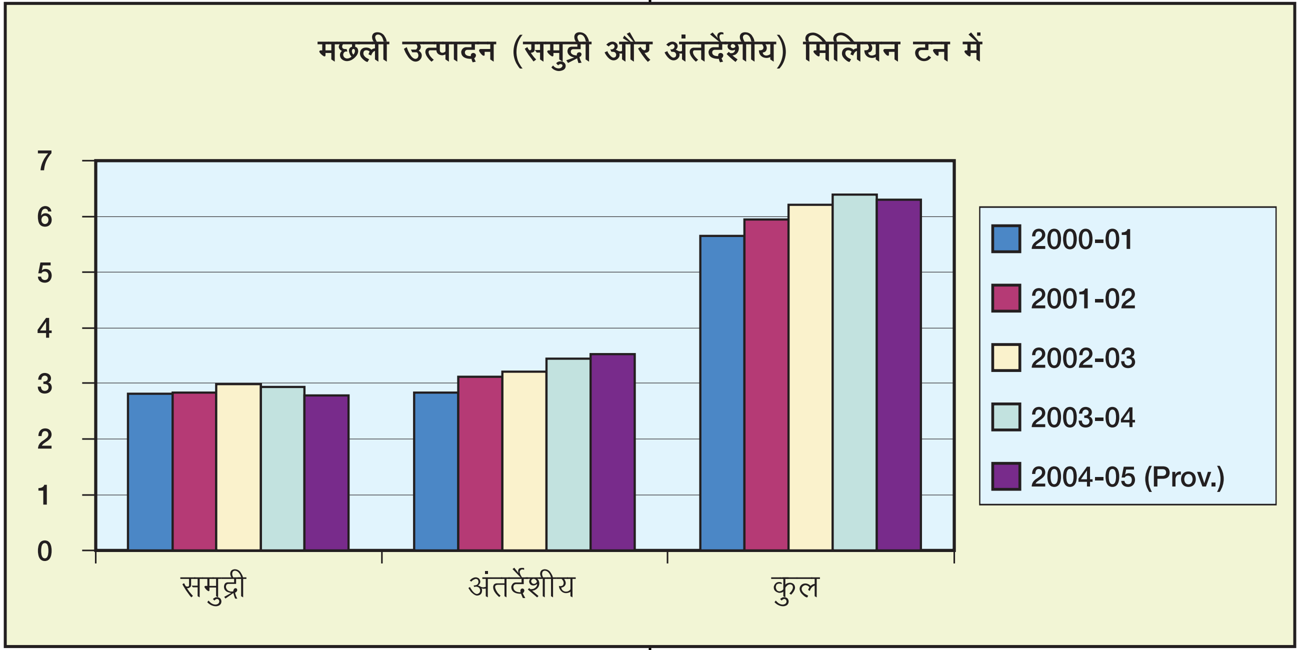

about 13 million tones annually, while the unorganized sector (halwaiis and vendors) processes about 22 million tones per annum. In the organized sector, there are 676 dairy plants in the Cooperative, Private and Government sectors registered with the Government of India and the state Governments.

The Ministry of food Processing Industries is promoting organized Dairy processing sector to accomplish upcoming demands of processed dairy products and helping to identify various areas of research for future product development and quality improvement to revamp the Indian dairy export by way of providing financial assistance to the dairy processing units. 32 Units have been sanctioned financial assistance (Rs.591 lakhs) under the plan scheme of the Ministry during the year 2006-07 (Upto December 2006).

6.5 FISH PROCESSING

With its long coast line of over 8000 kms., 50600 sq, kms. of continental shelf area and 2.2 million sq. km. of Exclusive Economic Zone, India is endowed with rich fishery resources. Fish production (both marine and inland) during last five years are given below:

(Figure in Million tons)

Year	Marine	Inland	Total
2000-01	2.81	2.84	5.65
2001-02	2.83	3.12	5.95
2002-03	2.99	3.21	6.20
2003-04	2.94	3.45	6.39
2004-05	3.01	3.50	6.51

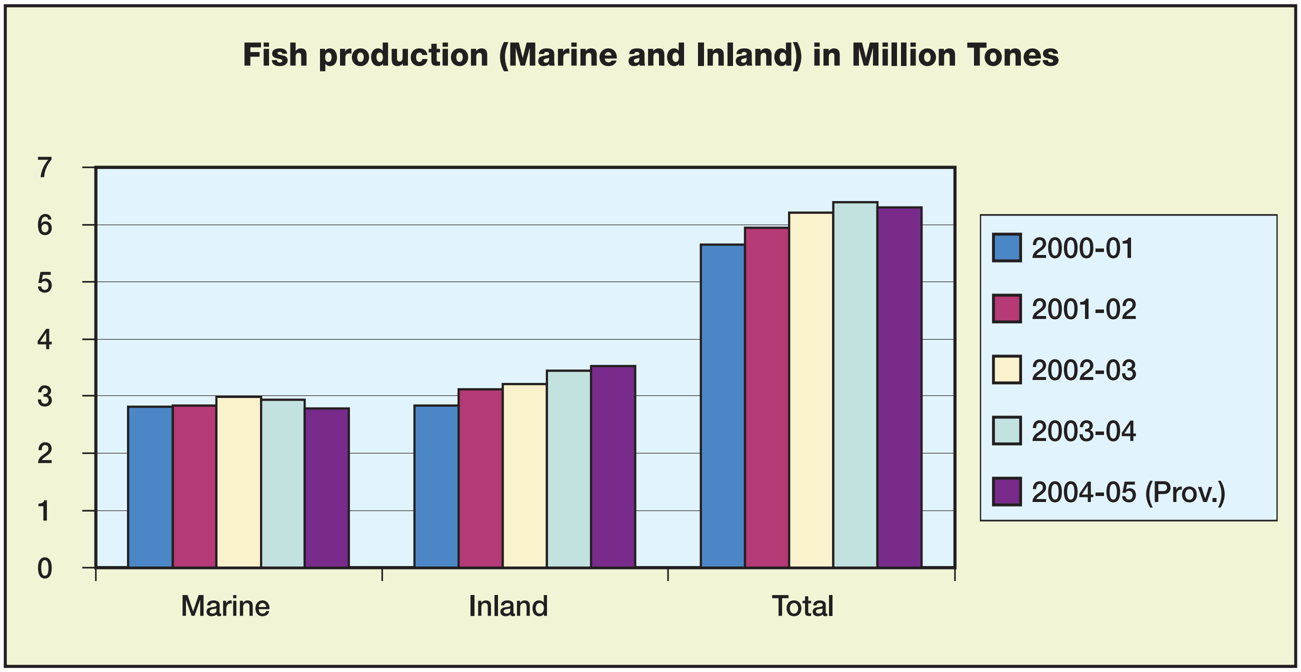

50 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। वर्तमान में, 369 से अधिक फ्रीजिंग यूनिटें हैं जिनकी दैनिक प्रसंस्करण क्षमता 10266 टन है जिसमें से 150 यूनिटें यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अनुमोदित हैं। 499 यूनिटें प्रशीतित मछली का उत्पादन करती हैं और उनकी कुल भण्डार क्षमता 1347647 टन है। इसके अलावा, 12 सुरमि यूनिटे, 5 डिब्बाबंदी यूनिटें और पूर्व प्रसंस्करण तथा सूखी हुई मछली के भण्डारण का काम करने वाली 473 यूनिटें हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मछली प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान 17 मछली प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता दी गई है।

गत पाँच वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत और निर्यातित समुद्री उत्पादों की मात्रा तथा इससे प्राप्त विदेशी मुद्रा निम्नलिखित हैं -

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रू. में)
2000-01	440473	6444
2001-02	424470	5957
2002-03	467297	6881
2003-04	412017	6092
2004-05	461329	6647

वर्ष 2003-04 में भारतीय समुद्री खाद्य का निर्यात अनुमानित अनुसार नहीं हुआ। अमरीका, जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे प्रमुख बाजारों की प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों और सूनामी के कारण निर्यात में कमी का रूख बना रहा। वैसे वर्ष 2004-05 में समुद्री उत्पाद के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से 12% रिकार्ड वृद्धि और अमरीकी डॉलर की वसूली में 11% की वृद्धि हुई। कुल निर्यात मूल्य में प्रशीतित श्रिम्प का अंशदान 63.5% है। अमरीका भारतीय समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है। कुल निर्यात मात्रा की दृष्टि से उसका अंशदान 13.21% और मूल्य की दृष्टि से 29.8% है। अमरीका मुख्यतः प्रशीतित श्रिंप-एचएल ब्लैक टाइगर श्रिम का आयात करता है।

6.6 खाद्यान्न प्रसंस्करण

खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योगों में चावल, गेहूँ, दालों की मिलिंग शामिल है। यूनिटें चालू करने से पहले उनकी स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना स्कीम के अंतर्गत अनाज/चावल/दाल/आटा मिलिंग क्षेत्र में स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रश्न की संवीक्षा की गई है। यह महसूस किया गया कि जल्दी खराब होने वाली मदों के प्रसंस्करण और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र में बरबादी में कमी आए और मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिले।

इस बात पर विचार करते हुए कि चावल/दाल/आटे का प्रसंस्कृत रूप में ही उपभोग किया जाता है और इन क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण से शेल्फ लाइफ, बरबादी पर नियंत्रण और मूल्यवर्धन में बहुत कम बढ़ोतरी होती है, यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से इस क्षेत्र यानी चावल, आटा और दाल मिलिंग के नए प्रस्तावों को स्वीकार नही किया जाए। वैसे राज्य नोडल एजेंसी के पास दिनांक 31.3.2004

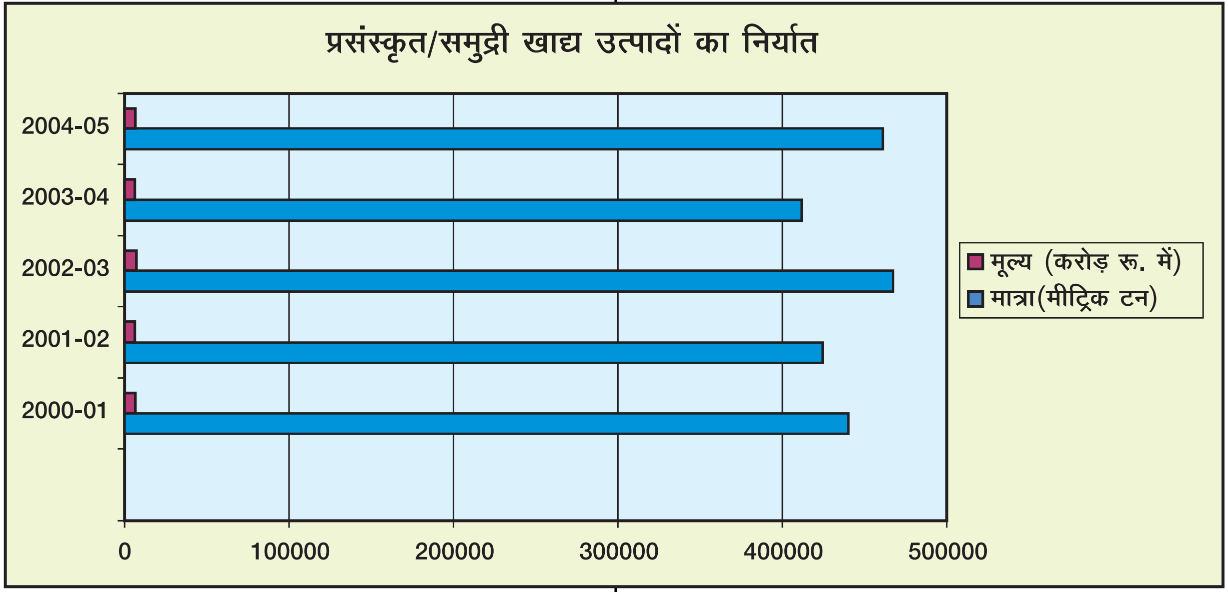

Considerable infrastructure facilities for processing of marine products have been developed over a period of 50 years. At present, there are over 369 freezing units with a daily processing capacity of 10266 tons out of which 150 units are approved for export to EU. 499 units are engaged in production of frozen fish with a total storage capacity of 134767 tons. Apart from the above there are 12 surimi units, 5 canning units and 473 units are engaged in pre-processing and dry fish storage.

Ministry of Food Processing Industries extends financial assistance for setting up/ technology upgradation/ modernization of fish processing units. During the year 2006-07 (upto December 2006) 17 fish processing units have been assisted.

The quantum of marine products processed and exported and revenue thereof during the last 5 years is as follows:

Year	Quantity (MT)	Value (Rs. crore)
2000-01	440473	6444
2001-02	424470	5957
2002-03	467297	6881
2003-04	412017	6092
2004-05	461329	6647

Performance of Indian seafood exports in 2003-04 was not on the expected lines. There was a declining trend in exports due to the adverse market situation prevailing in the major markets like USA, Japan and European Union and due to Tsunami factor. However, in 2004-05, export of marine products achieved a record 12% increase in volume and 11% increase in US$ realisation. Frozen shrimps constitute 63.5% of total value of exports. USA is the largest importer of Indian marine products contributing 13.21% in quantity and 29.8% in value of total exports importing mainly frozen shrimps – HL Black tiger shrimps.

6.6 GRAIN PROCESSING

The grain processing industries include milling of rice, wheat and pulses. Financial assistance has been provided for setting up/modernization/expansion of the units before their commissioning. The question of providing financial assistance under the Plan Scheme for setting up/modernization in the grain/rice/pulses/flour milling sector has been reviewed. It was felt that priority should be given to processing and enhancing shelf life of perishable items so as to reduce wastage and encourage value addition in that sector.

Considering that rice/pulses/flour are consumed in the processed form only and primary processing in these sectors add little to shelf life, wastage control and value addition, it has been decided not to accept fresh proposal for these sectors viz, Rice, Flour & Pulse Milling from the financial year 2004-05. However complete and viable cases relating to rice mill, flour mills and Pulses received by SNA till 31.03.2004 subject to prescribed conditions are being considered on merit for assistance.

A Technical Committee has been constituted to review and make recommendation on benchmarks for latest and most efficient technology and processes and identification of minimum conditions to be laid down for assistance to rice/pulses/flour/oil sector. The Committee has submitted its report, which has been accepted by the Ministry. These are being incorporated in the guidelines for the financial institutions for providing assistance keeping in view the value additions and technological benchmarks.

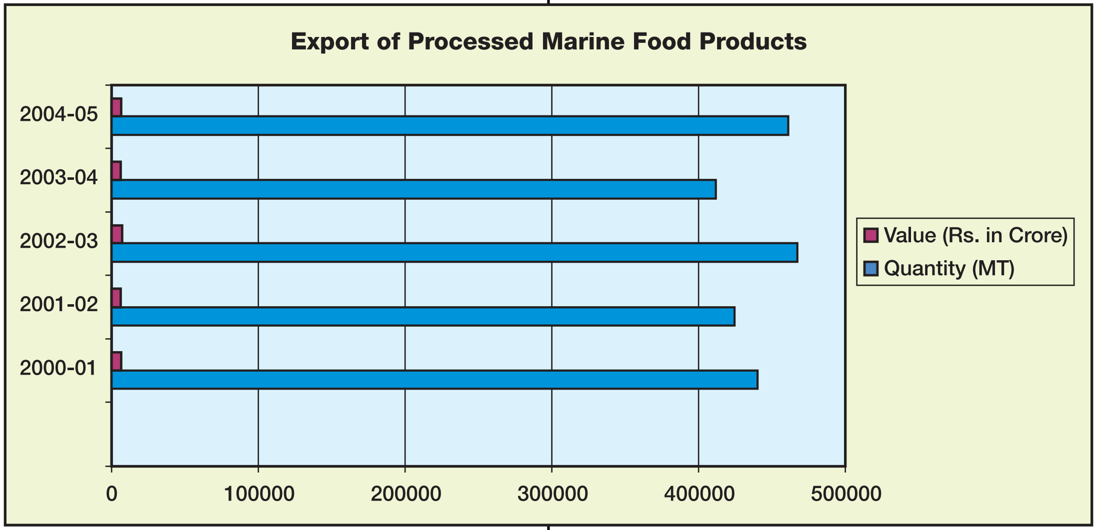

तक प्राप्त चावल मिल, आटा मिल और दाल संबंधी पूर्ण और व्यवहार्य मामलों पर निर्धारित शर्तों के अधीन सहायता के लिए प्राथमिकता आधार पर विचार किया जा रहा है ।

एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जो समीक्षा करेगी तथा अधुनातम तथा सर्वाधिक कारगर प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण हेतु बेंचमार्कों पर अपनी संस्तुतियाँ देगी तथा चावल/दाल/आटा/तेल सेक्टर की सहायता देने के लिए निर्धारित न्यूनतम शर्तों की पहचान करेगी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी बेंचमार्कों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थानों को सहायता देने संबंधी मार्गनिर्देशों में इन्हें शामिल किया जा रहा है ।

वर्ष 2006-07 (दिसंबर, 2006 तक) के दौरान मंत्रालय ने 32 चावल मिलिंग, 23 आटा मिलिंग, 62 खाद्य तेल मिलिंग और दाल मिलिंग क्षेत्र के 13 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता दी है ।

6.7 उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उपभोक्ता खाद्य उद्योग में पास्ता, ब्रेड केक, पेस्ट्री, रस्क, बन, रोल, नूडल्स, कोर्न फ्लैक्स, राइस फ्लैक्स, खाने के लिए तैयार उत्पाद पकाने के लिए तैयार उत्पाद शामिल हैं । उपभोक्ता खाद्यों में डबलरोटी और बिस्कुट का सबसे बड़ा हिस्सा है । इनका उत्पादन करीब 4.00 मिलियन टन प्रति वर्ष है । डबलरोटी का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है । कुल डबलरोटी के उत्पादन में से 40% संगठित क्षेत्र में और शेष 60% असंगठित क्षेत्र में तैयार की जाती है । इसी प्रकार संगठित क्षेत्र में बिस्कुट का उत्पादन लगभग 80% और असंगठित क्षेत्र में लगभग 20% बिस्कुट तैयार किए जाते हैं ।

वर्ष 2006-07 (जनवरी, 2007 तक) के दौरान 75 उपभोक्ता उद्योग से जुड़े 75 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वित्तीय सहायता मंजूर की है और 16.34 करोड़ रुपये की धनराशि अब तक जारी की है ।

6.8 वातित शीतल पेय

पैक की हुई चाय और पैक किए हुए बिस्कुटों के बाद पैक किए शीतल पेय खाद्य वस्तुओं में तीसरा स्थान रखते हैं । भारत में सभी राज्यों में वातित शीतल पेय उद्योग के 100 से अधिक संयंत्र हैं । यह उद्योग 1,25,000 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है । यह देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले उद्योगों में से एक है। इसका ग्लास, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेशन, चीनी और परिवहन उद्योग में सुदृढ़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 01.01.2006 को मीठे/वातित जल की स्थापित क्षमता 29.60 लाख टन सालाना है ।

6.9 पैक किया हुआ पेय जल

218 कंपनियाँ हैं जिन्हें पैक किया पेय जल और पैक किया प्राकृतिक खनिज जल तैयार करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। पिछले 3-4 सालों में इसमें काफी विकास हुआ है जिसका प्रमुख कारण पैक के ऐसे विभिन्न आकार हैं जो उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त हैं । 80% पैक किए हुए जल की बिक्री बड़े कंटेनरों (5 लीटर और उससे अधिक के) में होती है ।

6.10 अल्कोहलयुक्त पेय

भारत विश्व में अल्कोहलयुक्त पेयों का तृतीय सबसे बड़ा बाजार है । अनुमान है कि स्पिरिट और बीयर की मांग लगभग 373 मिलियन केस हैं । खाद्यान्न आधारित अल्कोहलयुक्त पेयों के उत्पादन के लिए सालाना 33919 किलोलीटर की लाइसेंसशुदा क्षमता वाली 12 संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं । भारत सरकार से प्राप्त लाइसेंसों के अंतर्गत 56 यूनिटें बीयर का निर्माण कर रही हैं । वाइन उद्योग भारत में कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है । यह मंत्रालय विंचूर (नासिक) में एक वाइन पार्क की स्थापना के वास्ते पहले ही मंजूरी दे चुका है ।

6.11 बैकवर्ड लिंकेज

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ठेका खेती को बढ़ावा देने के लिए बैकवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने संबंधी एक स्कीम चला रहा है । इसके उद्देश्य हैं (i) प्रसंस्करणकर्ता को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना (ii) मजबूरन बिक्री करने की घटनाओं को रोकना और किसानों को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करना (iii) प्रसंस्करण योग्य उपज की खेती को बढ़ावा देना (iv) अधिशेष खेत उपज की बरबादी को रोकना और प्रसंस्करण के माध्यम से उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना और (v) ठेका खेती के माध्यम से कृषि का व्यापारीकरण करना ।

विगत वर्षों में इस स्कीम को क्रमिक आधार पर उदार और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है । एक वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख रू. प्रतिवर्ष की शर्त के अध्यधीन प्रसंस्करणकर्ताओं को उसके द्वारा ठेका किसानों से की गई कुल खरीद के 10% तक वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 2006-07 के दौरान 29 यूनिटों को 52.06 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है और 2364 किसानों ने ठेका खेती के अंतर्गत भाग लिया ।

6.12 निर्यात

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नए यूनिटों की स्थापना और वर्तमान यूनिटों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराके अपनी विभिन्न नीतिगत पहल और योजना स्कीमों के माध्यम से कृषि- खाद्य उत्पादों के लिए नई प्रसंस्करण क्षमताओं को प्रोत्साहित कर रहा है । मंत्रालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्माण संबंधी विपुल संभावनाओं का उपयोग न केवल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध निर्यात संभावनाओं का भी लाभ उठाया जाना चाहिए । गत पांच वर्षों में किए गए प्रसंस्कृत खाद्य मदों का निर्यात नीचे दिया गया है -

During 2006-07 (upto December 2006), the Ministry has sanctioned financial assistance for 32 rice milling, 13 flour milling 62 edible oil milling and 13 pulse milling units.

6.7 CONSUMER FOOD INDUSTRIES

Consumer Food Industry includes pasta, breads, cakes, pastries, rusks, buns, rolls, noodles, corn flakes, rice flakes, ready to eat and ready to cook products, biscuits etc. Bread and biscuits constitute the largest segment of consumer foods. Their production is about 4.00 million tons per year. Manufacturing of bread is reserved for SSI sector. Out of the total production of bread, 40% is produced in the organized sector and the remaining 60% in the unorganized sector. Similarly, production of biscuits in the organized sector is about 80% and quantity of biscuits produced in the unorganized sector is about 20%.

During the year 2006-07 (upto January, 2007) 75 food-processing units relating to consumer industries were sanctioned financial assistance by MFPI and Rs.16.34 crore has been released so far.

6.8 AERATED SOFT DRINK

The soft drinks constitute the 3rd largest packaged food regularly consumed after packed tea and packed biscuits. The aerated soft drinks industry in India comprises over 100 plants across all States. It provides direct and indirect industry related employment to over 125,000 employees. It has attracted one of the highest foreign direct investments in the country. It has strong forward and backward linkages with glass, plastic, refrigeration, sugar and transportation industry. Installed capacity of sweetened/aerated water as on 01.01.2006 is reported to be 29.60 lakh tons, per annum.

6.9 PACKAGED DRINKING WATER

There are 218 companies, which have been granted licence for manufacturing packaged drinking water and packaged natural mineral water. There has been a spurt in growth for the last 3-4 years, which can largely be attributed to a range of various packaged sizes to suit the consumers. 80% of the packaged water sale comes from the bulk containers (5 litres and above).

6.10 ALCOHOLIC BEVERAGES

India is the third largest market for alcoholic beverages in the world. The demand for spirits and beer is estimated to be around 373 million cases. There are 12 joint venture companies having a licensed capacity of 33919 Kilo-litres per annum for production of grain based alcoholic beverages. 56 units are manufacturing beer under licence from the Government of India. The wine industry in India provides considerable opportunities for value addition and employment generation in the agro-processing sector. The Ministry has already sanctioned a wine park at Vinchur, Nasik.

6.11 BACKWARD LINKAGES

The Ministry of Food Processing Industries is operating a scheme for strengthening of backward linkages through promotion of contract farming. Its objectives are to (i) ensure regular supply of raw material for the processor (ii) avoid incidences of distress sale and ensure remunerative prices to the farmers (iii) promote cultivation of processable variety of farm produce (iv) prevent wastage of surplus farm produce and increase its shelf life through processing and (v) commercialize agriculture through contract farming.

Over the years, the scheme has been gradually liberalized and made more attractive. Financial assistance is given to the processor to the extent of 10% of the total purchase made by him from the contracted farmers in a given year subject to a maximum of Rs. 10.00 lakhs per year. During the year 2006-07, financial assistance worth of Rs.52.06 lakhs has been granted to 9 units and 2364 farmers have participated under contract farming.

6.12 EXPORTS

The Ministry of Food Processing Industries has been encouraging the new processing capacities for agro-food products through its various policy initiatives and Plan schemes providing financial incentives for setting up of new units and modernization of existing units. It is conscious of the fact that the tremendous potential for manufacturing of processed food products should be harnessed not only to meet the domestic demand but also to take advantage of the export potential that is available in the international market. The export of processed food items for the last five years has been as under:

मात्रा मी.टन में (करोड़ रुपये में)

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

वस्तुए	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ										
सूखी और परिरक्षित सब्जियाँ	209157.78	537.15	216640.16	561.03	211160.09	520.49	351034.32	765.75	566238	1459.17
आम गूदा	76735.18	241.34	96107.31	297.01	89514.84	241.99	90988.6	300.86	134613	364.24
अचार और चटनी	38758.97	120.34	56384.37	154.16	63052.73	119.75	67193.29	120.58	135382	260.98
अन्य प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ	61332.36	201.74	54792.77	194.73	66070.26	243.58	80760.5	275.53	107335	370.21
प्रसंस्कृत फल और सब्जियों का जोड़	**385984.29**	**1100.57**	**423924.61**	**1206.93**	**429797.92**	**1125.81**	**589976.71**	**1462.72**	**501826**	**1359.54**
पशु उत्पाद										
भैंस का मांस	243355.58	1144.42	297897.26	1305.45	343817.08	1536.77	306970.81	1615.59	459938	2629.57
भेड़/बकरे का मांस	3915.06	33.07	4973.55	39.95	16820.53	110.39	8885.28	79.36	7177.51	80.37
पॉल्ट्री उत्पाद	19876.02	130.07	26450.01	156.47	415228.17	202.4	264607.54	154.11	145889	167.58
डेरी उत्पाद	24774.13	182.45	21439.81	153.59	15882.67	155.19	48426.79	389.14	76515	668.50
पाशु आवरण	464.28	9.63	8296.17	140.27	732.84	12.43	552.33	12.57	1125.82	17.51
प्रसंस्कृत मांस	267.13	1.29	669.48	4.8	986.13	7.63	107.45	1.56	256.04	2.43
पाशु उत्पादों का जोड़	**292652.2**	**1500.93**	**359726.28**	**1800.53**	**793467.42**	**2024.81**	**629550.2**	**2252.33**	**690901**	**3566.96**
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य										
मूंगफली	112812.81	250.94	67889.75	178.30	176109.32	544.30	177114.96	503.00	190053	513.69
ग्वारगम	117883.03	403.09	111948.36	486.74	120561.27	507.90	129648.47	664.28	186718	1049.23
गुड़ और कन्फैक्शनरी	365893.44	436.49	191522.54	212.98	295013.25	331.48	35549.29	77.00	107197	227.57
कोको उत्पाद	1293.38	12.87	1235.21	11.94	1688.37	16.15	2273.85	27.30	2147.09	21.83
अनाज विनिर्मित पदार्थ	38087.17	224.67	51809.74	268.83	46275.35	241.71	49486.85	277.77	76880.6	393.96
अल्कोहलयुक्त और अल्कोहलयुक्त पेय	49671.86	118.29	26164.58	102.47	28964.09	108.62	30045.49	113.78	49587.9	117.20
विविध विनिर्मित पदार्थ	23189.16	137.33	38687.41	170.2	65252.02	210.33	52513.73	224.36	49606.7	225.77
मिल में बनाए गए उत्पाद	322346.5	196.39	499692.78	288.65	545755.39	355.95	140123.27	144.85	50901.5	64.68
अन्य प्रसंस्कृत खाद्यों का जोड़	**1031177.35**	**1780.07**	**988950.37**	**1720.11**	**1279619.06**	**2316.44**	**616755.91**	**2032.34**	**713092**	**2613.93**
कुल जोड़	**1709813.84**	**4381.57**	**1772601.26**	**4727.57**	**2502884.40**	**5467.06**	**1836282.82**	**5747.39**	**1905819**	**7539.43**

स्रोतः अपीडा

6.13 विश्व व्यापार संगठन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विश्व व्यापार संगठन के अनुबंधों और अन्य मुद्दों के कारण भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं पर प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के साथ परस्पर विचार-विमर्श करता है । मोटे तौर पर इन मुद्दों में बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियमों का कार्यान्वयन तंत्र, भौगोलिक चिह्न, कृषि, मछली उद्योग और समुद्री उत्पाद क्षेत्र में संवेदनशील मदों आदि के आयात संबंधी मुद्दे शामिल हैं । इन विचार-विमर्शों के आधार पर, यह मंत्रालय उदारीकृत आयात नीति व्यवस्था

(Rs. in crore)
Qty. in MTs.

EXPORT OF PROCESSED FOOD PRODUCTS

Items	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
Processed Fruits & Vegetables										
Dried & Preserved Vegetables	209157.78	537.15	216640.16	561.03	211160.09	520.49	351034.32	765.75	566238	1459.17
Mango Pulp	76735.18	241.34	96107.31	297.01	89514.84	241.99	90988.6	300.86	134613	364.24
Pickle & Chutney	38758.97	120.34	56384.37	154.16	63052.73	119.75	67193.29	120.58	135382	260.98
Other Processed Fruits & Vegetables	61332.36	201.74	54792.77	194.73	66070.26	243.58	80760.5	275.53	107335	370.21
Total for Processed Fruits & Vegetables	**385984.29**	**1100.57**	**423924.61**	**1206.93**	**429797.92**	**1125.81**	**589976.71**	**1462.72**	**501826**	**1359.54**
Animal Products										
Buffalo Meat	243355.58	1144.42	297897.26	1305.45	343817.08	1536.77	306970.81	1615.59	459938	2629.57
Sheep/Goat Meat	3915.06	33.07	4973.55	39.95	16820.53	110.39	8885.28	79.36	7177.51	80.37
Poultry Products	19876.02	130.07	26450.01	156.47	415228.17	202.4	264607.54	154.11	145889	167.58
Dairy Products	24774.13	182.45	21439.81	153.59	15882.67	155.19	48426.79	389.14	76515	668.50
Animal Casings	464.28	9.63	8296.17	140.27	732.84	12.43	552.33	12.57	1125.82	17.51
Processed Meat	267.13	1.29	669.48	4.8	986.13	7.63	107.45	1.56	256.04	2.43
Total for Animal Products	**292652.2**	**1500.93**	**359726.28**	**1800.53**	**793467.42**	**2024.81**	**629550.2**	**2252.33**	**690901**	**3566.96**
Other Processed Foods										
Groundnuts	112812.81	250.94	67889.75	178.30	176109.32	544.30	177114.96	503.00	190053	513.69
Guargum	117883.03	403.09	111948.36	486.74	120561.27	507.90	129648.47	664.28	186718	1049.23
Jaggery & Confectionery	365893.44	436.49	191522.54	212.98	295013.25	331.48	35549.29	77.00	107197	227.57
Cocoa Products	1293.38	12.87	1235.21	11.94	1688.37	16.15	2273.85	27.30	2147.09	21.83
Cereal Preparations	38087.17	224.67	51809.74	268.83	46275.35	241.71	49486.85	277.77	76880.6	393.96
Alcoholic & Non Alch. Beverages	49671.86	118.29	26164.58	102.47	28964.09	108.62	30045.49	113.78	49587.9	117.20
Miscellaneous Preparations	23189.16	137.33	38687.41	170.2	65252.02	210.33	52513.73	224.36	49606.7	225.77
Milled Products	322346.5	196.39	499692.78	288.65	545755.39	355.95	140123.27	144.85	50901.5	64.68
Total for other Processed Foods	**1031177.35**	**1780.07**	**988950.37**	**1720.11**	**1279619.06**	**2316.44**	**616755.91**	**2032.34**	**713092**	**2613.93**
Grand Total	**1709813.84**	**4381.57**	**1772601.26**	**4727.57**	**2502884.40**	**5467.06**	**1836282.82**	**5747.39**	**1905819**	**7539.43**

Source: APEDA

6.13 WORLD TRADE ORGANISATION

The Ministry of Food Processing Industries interacts with processed food industry with regard to problems faced by the Indian processed food industry arising from WTO Agreements and other issues. Broadly, the issues cover market access, mechanisms for implementation of Rules of Origin, Geographical Indications, issues regarding import of sensitive items, etc in Agricultural, fisheries and marine products sector. Based on such consultations, the Ministry provides inputs in formulating Government of India's position in that regard to the

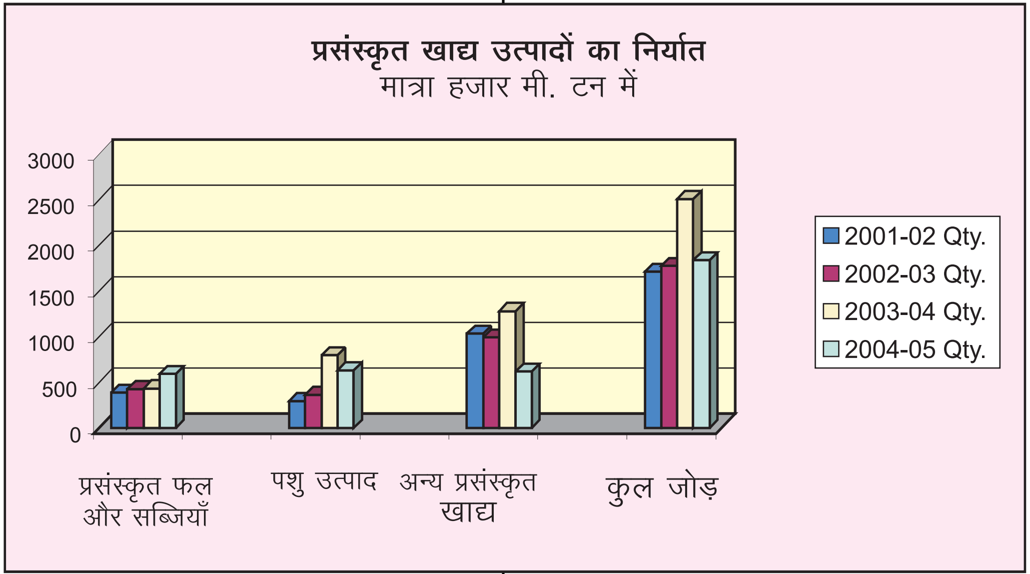

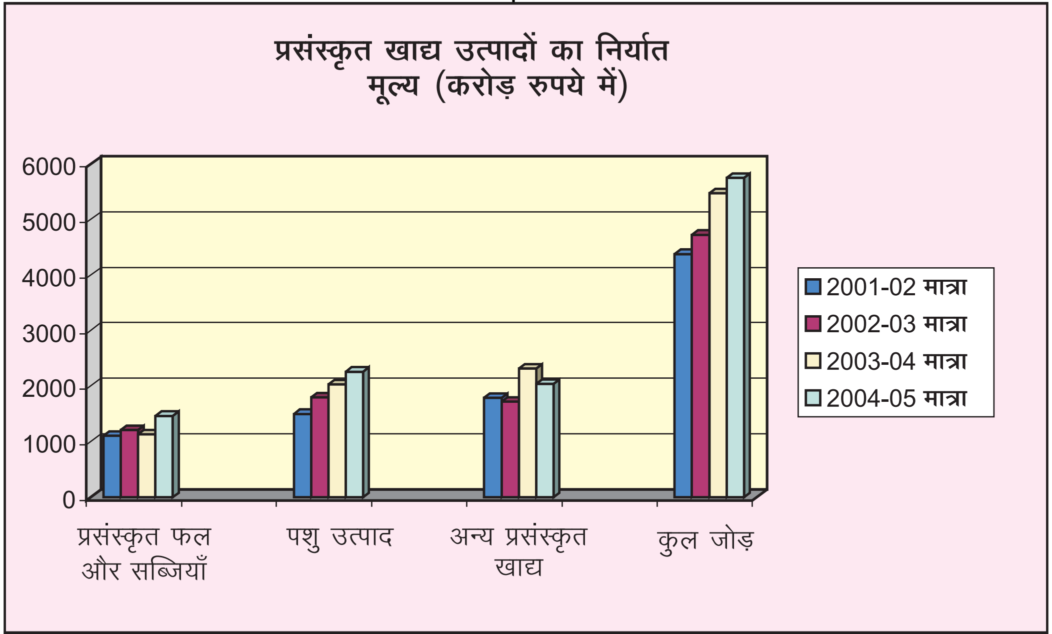

के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों को इस संबंध में भारत सरकार की स्थिति तैयार करने हेतु सूचना उपलब्ध कराता है ।

6.14 निवेश

वर्ष 2006-07 (सितम्बर, 2006 तक) तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2428.77 करोड़ रू. था । वर्ष 2001-01 से लेकर अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के ब्योरे निम्नलिखित हैं –

वर्ष	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह (करोड़ रू. में)
2000-01 (Apr-Mar.)	198.13
2001-02	1,036.12
2002-03	176.53
2003-04	510.85
2004-05	174.08
2005-06	182.94
2006-07 (Apr-Dec.)	222.00
कुल निवेश	2500.65

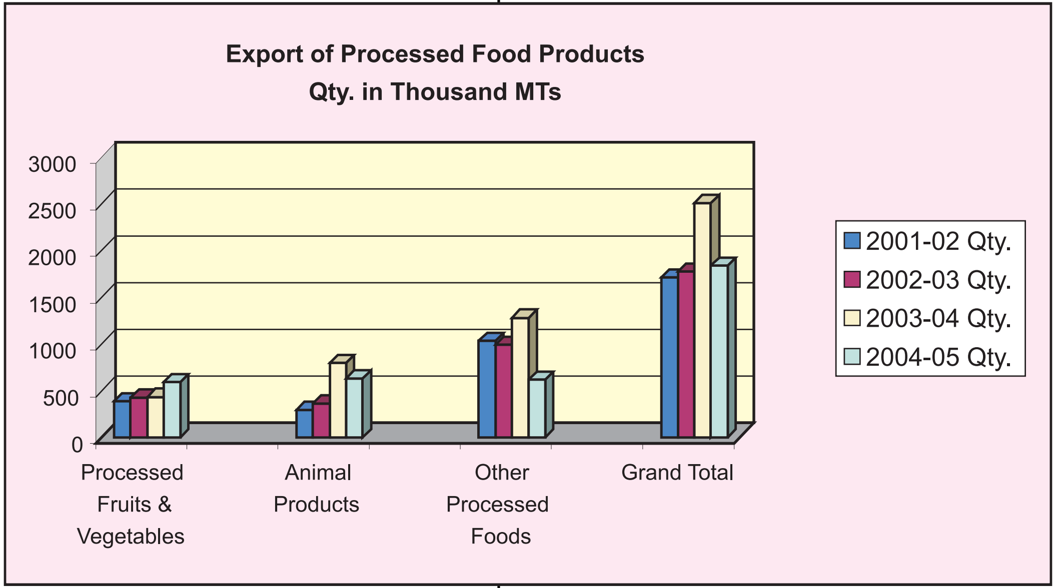

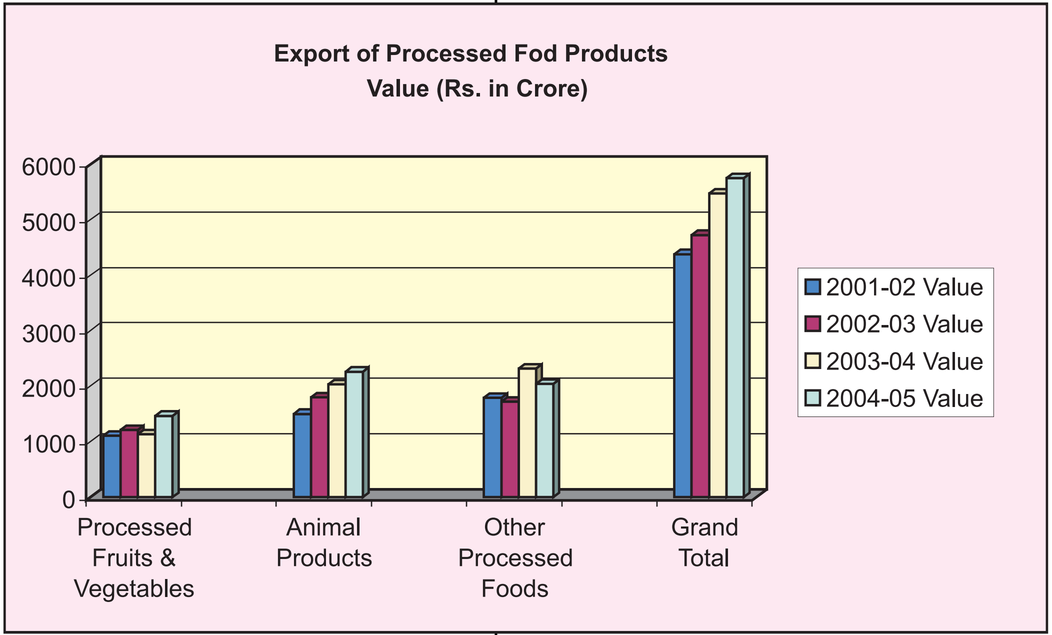

concerned Ministries in order to safeguard the interests of domestic industry both with regard to the problems faced by them in the international markets as well as in the domestic market on account of the liberalised import policy regime.

6.14 FOREIGN DIRECT INVESTMENT

The total inflow of FDI in FPI sector up to 2006-07 (upto December 2006) was Rs.2500.65 crore. Details of FDI inflow Since 2000-01 was as under:

Year	FDI in Rs Crore
2000-01 (Apr-Mar.)	198.13
2001-02	1,036.12
2002-03	176.53
2003-04	510.85
2004-05	174.08
2005-06	182.94
2006-07 (Apr-Dec.)	222.00
Grand Total	2500.65

मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास

अध्याय - 7

7.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बहुत तेजी से वृद्धि करने के अनुमान हैं । परिणामस्वरूप प्रशिक्षित जनशक्ति (जिसमें उद्यमी, प्रबंधक, प्रौद्योगिकीविद् और दक्ष कामगार) शामिल हैं, की मांग भी बढ़ेगी । ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि मौजूदा खाद्य उद्योग को अंतर्राट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने के लिए सतत प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण तथा प्रबंधन और विपणन के नये उपायों की जरूरत होगी । गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के प्रबंधन के लिए भी विशेष रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति चाहिए। विविध दक्षता वाल उद्यमियों का विकास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तीव्र वृद्वि का मूल मंत्र होगा । दूरदराज के इलाकों में कच्ची सामग्री के स्रोतों के समीप खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के फैलाव को बढ़ाने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन के लिए इन क्षेत्रों में उद्यमशीलता के विकास की जरूरत है। वस्तुतः प्रबंधन, नवप्रवर्त्तन और निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जनशक्ति का निर्माण सरकार का प्रमुख कार्य है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रबंधन नवप्रवर्तन और निर्माण के लिए उपयुक्त श्रेणी की जनशक्ति के सृजन हेतु, इस मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम कार्यान्वित की है । इस स्कीम के निम्नलिखित चार भाग हैं:-

7.2 ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र)

इस स्कीम का उदेश्य ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास करना और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले कच्चे माल के इस्तेमाल से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए इन उत्पाद-सह-प्रशिक्षण केंद्रों में "व्यवहारिक अनुभव " प्रदान करते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तातंरण करना है ।

इस मंत्रालय ने खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में दक्षता और उद्यमशीलता के विकास के लिए अपनी स्थापना की तारीख से 31.12.2006 तक 387 खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराई है । वर्ष 2006-07 (31.12.2006 तक) के दौरान लगभग 21.25 लाख रू. की राशि जारी की गई है । अनुमान है कि 21,384 से अधिक प्रशिक्षुओं ने इन खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । इनमें से बहुत से प्रशिक्षुओं ने अति लघु/लघु उद्योग क्षेत्र में प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किए हैं ।

7.3 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

मंत्रालय केंद्र/राज्य सरकारों/संगठनों/अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य नोडल एजेंसियों और गैर-

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND RESEARCH & DEVELOPMENT

CHAPTER – 7

7.1. The Food Processing Industry is expected to grow rapidly. Consequently, demand for trained manpower including entrepreneurs, managers, technologists, skill workers to cater to the growing needs of the food processing industry will also surge. This is more so because latest technology & diversification and the new ways of managing and marketing is required by the existing food processing industry to face the global competition. Management of Quality control system again requires specially trained manpower. Developing entrepreneurs with variety of skills will be the key to rapid growth of food processing industries. With a view to extending the spread of food processing units in the remote areas closer to the raw material sources there will be need for developing entrepreneurship in such areas for production, packaging and marketing of processed food products. In fact building international grade manpower to manage, innovate & build is one of the primary functions of the Government. For creation of suitable grade manpower to manage, innovate and build FPI sector, this Ministry has implemented a Scheme for Human Resource Development in Food Processing Industries. The Scheme has the following four components:

7.2. PERSON POWER DEVELOPMENT IN RURAL AREAS (FOOD PROCESSING & TRAINING CENTRES)

The objective of the Scheme is to promote development of rural entrepreneurship and transfer of technology for processing of food products by utilizing locally grown raw materials and providing hands on experience at such production-cum-training centres, while according priority to persons belonging to SC/ST/OBC and women.

In order to develop skill and entrepreneurship particularly in fruit and vegetables processing in rural areas, the Ministry has approved assistance for setting up of 387 Food Processing & Training Centres (FPTCs) from date of inception till 31st December, 2006. An amount of about Rs. 21.25 lakhs has been released during the financial year upto 31.12.2006. More than 21,384 trainees are estimated to have received the training in these FPTCs. Many of these trainees have set up processing units in tiny/small scale sector.

7.3. ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (EDP) :-

The Ministry has been providing financial assistance for conduct of EDPs in food processing through Central/ State Governments/ Organizations R& D Institutes, Universities, SNAs & NGOs. The objective of EDP is to enable trainees to establish commercially viable enterprises in food & agri processing sector by providing basic knowledge of project formulation and management including technology and marketing, motivating the trainees and instilling confidence in them, educating on the opportunities & financial assistance available and providing escort services to enable them to avail credit facilities from banks/financial institutions and other support services from the developmental organizations. The duration of the EDP is 4 weeks with a follow- up phase of 12 months and the number of trainess should not be less than 20. The maximum financial assistance of Rs.1.00 lakh per EDP is provided. So far 890 EDPs have been sanctioned financial assistance by the Ministry, out of which 114 EDPs were sanctioned in 2006-07 (Upto December 2006).

7.4. CREATION OF INFRASTRUCTURE FACILITIES IN HRD INSTITUTIONS:-

The Ministry is implementing a Scheme for assistance to HRD institutions like Central/State Governments organizations, reputed Universities/colleges, Technical Institutes for creation of infrastructure facilities. The objectives of the Programme is to develop technologists, managers and entrepreneurs in food processing sector, to upgrade skills of existing personnel through training programmes and to develop manpower in quality

वर्ष 2005-06 (दिसंबर, 2005 तक) के दौरान मंजूर किए गए खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र

क्रम सं.	संगठन का नाम	मंजूर की गई राशि	मंजूरी की तिथि
1	जागरूक महिला मंडल, वार्ड नं. 11, सदा कालोनी, चंदेरी, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश	2,00,000/-	10.8.2006
2	हेरिटेज फाउंडेशन, समंतराय हाउस, 293/600, यूनिट 7, सूर्यानगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2,00,000/-	10.8.2006
3	आर.के.जन शिक्षण एवं समाज कल्याण संस्थान, ग्राम कोटरा, पोस्ट हुसैनपुर, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	1,73,800/-	31.8.2006
4	भुवनेश्वर विज्ञान तथा पर्यावरण फोरम, आई.आर.सी गांव, जिला भुवनेश्वर, ऊड़ीसा	1,00,000/-	4.9.2006
5	भारतीय किसान कल्याण समिति, ए.बी.नगर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	2,00,000/-	6.9.2006
6	पवन शिक्षा एवं जन उत्थान समिति, खेती, उत्तरांचल	1,00,000/-	20.9.2006
7	तरू शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, केशव कालोनी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	2,00,000/-	3.10.2006
8	हिमाल्टो ग्रामोद्योग संस्थान, मिनी इंडस्ट्रियल एरिया, भाटवारी सैन, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तरांचल	1,00,000/-	3.10.2006
9	श्री कृष्ण ग्रामोद्योग समिति, सबजीत का पुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	1,00,000/-	16.10.2006
10	तफा पाली मिलानी संघ, सरीशाहाट,जिला दक्षिण 24 परगना, प. बंगाल	2.00.000/-	30.10.2006
11	लक्ष्मी महिला हस्तशिल्प केंद्र संघ, कल्याण भवन, गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	1,79,795/-	13.12.2006
12	रामकृष्ण मिशन आश्रम, सरीशा, दक्षिण 24 परगना, पं. बंगाल	1,78,200/-	29.12.2006
13	सर्वदलीय मानव विकास केंद्र, बहजोई, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	1,93,500/-	29.12.2006
	कुल	**21,25,295/-**	

सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की एक सूची अनुलग्नक-9 पर दी गई है ।

FPTC SANCTIONED DURING THE YEAR 2006-07 (UPTO 31ST DECEMBER, 2006)

Sl. No.	Name of the organization	Amount sanctioned	date of Sanction
1.	Jagruk Mahila Mandal, Ward No. 11, Sada Colony, Chanderi, Distt. Ashok Nagar, Madhya Pradesh	2,00,000/-	10.8.2006
2.	Heritage Foundation, Samantaray House, 293/600, Unit 7, Suryanagar, Bhubaneshwar, Orissa	2,00,000/-	10.8.2006
3.	R. K. Jan Shikshan EvamSamaj Kalyan Sansthan, Gram Kotra, Post Husainpur, Distt. Morena, Madhya Pradesh	1,73,800/-	31.8.2006
4.	Bhubaneshwar Science and Environment Forum, I.R.C. Village Distt. Bhubaneshwar, Orissa	1,00,000/-	4.9.2006
5.	Bhartiya Kisan Kalyan Samiti, A.B. Nagar, Unnao, Uttar Pradesh	2,00,000/-	6.9.2006
6.	Pawan Shiksha Avam Jan Utthan Samiti, Kheti, Uttranchal	1,00,000/-	20.9.2006
7.	Taru Shikshan Evam Prashikshan Samiti, Keshav Colony, Distt. Morena, Madhya Pradesh	2,00,000/-	3.10.2006
8.	Himalto Gramodyog Sansthan, Mini Industrial Area, Bhatwari Sain, Distt. Rudraprayag, Uttranchal	1,00,000/-	3.10.2006
9.	Shri Krishan Gramodyog Samiti, Sabjit Ka Pura, Distt. Morena, Madhya Pradesh	1,00,000/-	16.10.2006
10	Tafa Palli Milani Sangha, At Sarishahat, Distt. South 24 Parganas, West Bengal	2,00,000/-	30.10.2006
11.	Luxmi women Handicraft Centre Association, Kalyan Bhawan, Gulaothi, Distt. Bulandshahr, UP	1,79,795/-	13.12.2006
12.	Ramakrishna Mission Ashram, Sarisha, South 24 Parganas, West Bengal	1,78,200/-	29.12.2006
13.	Sarvdaliya Manav Vikas Kendra, Bahjoi, Distt. Moradabad., UP	1,93,500/-	29.12.2006
	Total:	**21,25,295/-**	

A list of FPTCs so far assisted state wise is at Annexure-IX.

सरकारी संगठनों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और विपणन समेत परियोजना निर्माण और प्रबंधन की मूल जानकारी देकर उद्यमियों को खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों की स्थापना करने में मदद करना , उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उनमें विश्वास भरना, उपलब्ध वित्तीय सहायता और अवसरों के बारे में शिक्षित करना तथा सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधाएं तथा विकासात्मक संगठनों से अन्य सहायक सेवाएं प्राप्त कर सकें। उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की अवधि 4 हफ्ते है जिसके बाद 12 महीने का अनुवर्ती चरण है। इसमें प्रशिक्षुओं की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रति उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम हेतु अधिकतम 1.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक मंत्रालय द्वारा 890 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है जिसमें से 114 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) में स्वीकृत किए गए हैं।

7.4 मानव संसाधन विकास संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का सृजन

मंत्रालय बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों,तकनीकी संस्थानों जैसे मानव संसाधन विकास संस्थानों को सहायता देने के लिए एक स्कीम चला रहा है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रौद्योगिकविद्, प्रबंधक और उद्यमियों का विकास करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए वर्तमान कार्मिकों की दक्षता का उन्नयन करना तथा गुणवत्ता प्रबंधन में जनशक्ति का विकास करना है। इस स्कीम के तहत मानव संसाधन विकास संस्थानों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपकरणों, प्रयोगशाला पायलेट संयंत्रों, पुस्तकालय तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए दो समान किस्तों में 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस स्कीम के तहत बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा 15 संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई है जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं -

क्रम सं.	संस्था का नाम	परियोजना	जारी की गई राशि
1.	उद्यमशीलता विकास संस्थान, पटना, बिहार	खाद्य प्रौद्योगिकी में एक साल के पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	25.00 लाख रुपए (दूसरी किस्त)
2.	डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	डेयरी प्रौद्योगिकी में बी.टेक और एम.टेक पाठ्यक्रमों हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	25.00 लाख रुपए (पहली किस्त)
3.	रासायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई विश्वविद्यालय	खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक और एम.टेक/पी. एच.डी.पाठ्यक्रमों हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	24.27 लाख रुपए (पहली किस्त)

Practical Training is in Progress during the EDP - (exclusively for Food Processing Industries) conducted by NITCON at SIRSA.

management. The quantum of financial assistance given to HRD institutions under this scheme is upto Rs. 50.00 lakhs in two equal installments for creation of infrastructure facilities like, equipments, laboratory pilot plants, library and books & journals etc for running degree/diploma courses and training programmes in the food processing sector.

15 Institutions have been provided financial assistance by this Ministry during current financial year (upto December, 2006) for creation of infrastructure facilities under the scheme, the details of which are as under:-

Sl. No.	Name of the Institution	Project released	Amount
01.	Institute of Entrepreneurship Development , Patna, Bihar	Creation of infrastructure facilities for one year P.G. Diploma Course in Food Technology.	25.00 Lakhs (second instalment)
02.	College of Dairy Technology, Indira Gandhi Agriculture University, Raipur, Chhattisgarh.	Creation of infrastructure facilities for B. Tech. & M. Tech. Courses in Dairy Technology.	25.00 Lakhs (First instalment)
03.	Institute of Chemical Technology, University of Mumbai.	Creation of infrastructure facilities for B. Tech/ M. Tech/Ph.D Courses in Food Technology.	24.27 Lakhs (First instalment)

क्रम सं.	संस्था का नाम	परियोजना	जारी की गई राशि
4.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूर	खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू करने हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	12 लाख रुपए (पहली किस्त)
5.	वी.वी. वन्निपेरूमल कॉलेज फॉर वूमन, विरूद्धनगर, तमिलनाडु	खाद्य प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण में एम.एस.सी.पाठयक्रम हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	25.00 लाख रुपए (दूसरी किस्त)
6.	खाद्य तथा डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय चेन्नै	मार्डर्न डेयरी संयंत्र की स्थापना तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में बी.टेक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन	23.00 लाख रुपए (दूसरी किस्त)
7.	राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, जयपुर, राजस्थान	खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	23.00 लाख रुपए (पहली किस्त)
8.	कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलोजी, महाराष्ट्र एनीमल एंड फिशरी सांइसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	डेयरी प्रौद्योगिकी में बी.टेक और एम.टेक पाठ्यक्रम हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	18.50 लाख रुपए (दूसरी किस्त)
9.	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र	खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक पाठ्यक्रम हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	25.00 लाख रुपए (दूसरी किस्त)
10.	शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ एप्लाइड सांइसेज फॉर वूमन, दिल्ली	खाद्य प्रौद्योगिकी में वर्तमान बी.एस.सी. और खाद्य प्रौद्योगिकी में प्रस्तावित एम.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	25.00 लाख रुपए (पहली किस्त)
11.	फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग, डा. वाई.एस.परमार, बागवानी तथा वानिका विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान तथा गुणवत्ता नियंत्रण विस्तार केंद्र की स्थापना हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	22.23 लाख रुपए (पहली किस्त)
12.	डेयरी तथा खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	डेयरी प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक और एम.टेक पाठ्यक्रमों तथा डेयरी कैमेस्ट्री/डेयरी माइक्रो बॉयोलॉजी में एम.एस.सी. हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	25.00 लाख रुपए (दूसरी किस्त)

Sl. No.	Name of the Institution	Project	Amount released
04.	University of Agricultural Sciences, Bangalore	Creation of infrastructure facilities for setting up of one year Diploma in Food Processing.	12.00 Lakhs (First instalment)
05.	V.V. Vanniaperumal College for Women, Virudhnagar, Tamil Nadu	Creation of infrastructure facilities for M.Sc. Course in Food Processing and Quality Control.	25.00 Lakhs (second instalment)
06.	Institute of Food & Dairy Technology, Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai	Creation of infrastructure facilities for establishment of Modern Dairy Plant and for starting B.Tech Courses in Food Processing Technology.	23.00 Lakhs (second instalment)
07.	State Institute of Agriculture Management, Jaipur, Rajasthan	Creation of infrastructure facilities for starting One year Diploma Certificate Course in Food Processing.	23.00 Lakhs (First instalment)
08.	College of Dairy Technology, Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Nagpur.	Creation of infrastructure facilities for B.Tech & M. Tech Courses in Dairy Technology.	18.50 Lakhs (second instalment)
09.	Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Maharashtra	Creation of infrastructure facilities for B. Tech in Food technology.	25.00 Lakhs (second instalment)
10.	Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, Delhi	Creation of infrastructure facilities for existing B.Sc. Course in Food Technology and proposed M.Sc. Course in Food Technology	25.00 Lakhs (first instalment)
11.	Department of Post Harvest Technology, Dr. Y. S. Parmar, University of Horticulture and Forestry, Solan, Himachal Pradesh	Creation of infrastructure facilities for establishment of Food Processing Research and Quality Control Extension Centre	22.23 Lakhs (first instalment)

क्रम सं.	संस्था का नाम	परियोजना	जारी की गई राशि
13.	प्रेमलीला विट्ठलदास पॉलीटेक्नीक, मुम्बई	खाद्य प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	20.00 लाख रुपए (दूसरी किस्त)
14.	कृषि प्रसंस्करण तथा खाद्य इंजिनियरिंग विभाग, कृषि इंजिनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी कॉलेज, उडीसा, कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उडीसा	खाद्य प्रसंस्करण तथा खाद्य इंजिनियरिंग में बी.टेक पाठ्यक्रम हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	23.65 लाख रुपए (दूसरी किस्त)
15.	पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लुधियाना, पंजाब	5 वर्षीय बी.वी.एस.सी. एंड ए.एच.और 2 वर्षीय एम.वी.एस.सी. पाठ्यक्रमों हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन	19.37 लाख रुपए (पहली किस्त)

7.5 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है। सहायता की मात्रा प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रशिक्षण की अवधि पर निर्भर करती है। राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण में 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु दूसरी किस्त के रूप में 24.00 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

7.6 धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र, तंजावुर खाद्य प्रसंरकरण उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और पिछले 3 दशकों से कार्यरत है। मोटा अनाज, दाल और तिलहन जैसी अन्य वस्तुओं का महत्व बढ़ रहा है इसलिए वर्ष 2001 में उपर्युक्त वस्तुओं को भी शामिल करने के लिए इस संस्थान के अधिदेश का विस्तार किया गया है। माननीय वित्त मंत्री नें अपने बजट भाषण 2006-07 में, धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र का उन्नयन एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में करने की सरकार की इच्छा की घोषणा की थी। इस हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। अनुमान है कि इस केंद्र का उन्नयन करने में 50 करोड़ रुपए का कुल व्यय होगा। उन्नयन के बाद इस केंद्र के प्रस्तावित संशोधिते अधिदेश में मूल, व्यवहारिक अपनाए जा सकने वाले अनुसंधान का आयोजन करना, जलभूमि, बाढ़ और तूफान प्रभावी क्षेत्रों में फसलों के फसलोत्तर प्रसंस्करण के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा उक्त संस्थान अधिदेश में शामिल फसलों के उत्पादन पश्चात प्रणालियों संबंधी सूचना हेतु एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करेगा, कच्चे और प्रसंस्कृत कृषि वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकी परामर्श और विश्लेषण सेवाओं का स्थानांतरण करेगा और अपने उद्देश्यों को कारगर ढंग से प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों और अन्य अकदमियों के साथ-साथ अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

Sl. No.	Name of the Institution	Project	Amount released
		for conduct of certificate courses in various aspects of food processing sector.	
12.	College of Dairy & Food Science Technology, Maharana Partap University of Agriculture & Technology, Udaipur, Rajasthan	Creation of infrastructure facilities for B. Tech and M. Tech. Courses in Dairy Technology/ Food Technology and M.Sc. in Dairy Chemistry/ Dairy Microbiology.	25.00 Lakhs (second instalment)
13.	Premlila Vithaldas Polytechnic, Mumbai	Creation of infrastructure facilities for 3 year Diploma Course in Food Technology.	20.00 Lakhs (second instalment)
14.	Department of Agricultural Processing & Food Engineering, College of Agricultural Engineering and Technology, Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneshwar, Orissa.	Creation of infrastructure facilities for B. Tech Course in Food Processing & Food Engineering.	23.65 Lakhs (second instalment)
15.	Department of Livestock Products Technology, College of Veterinary Science, Ludhiana, Punjab	Creation of infrastructure facilities for 05 year B.V.Sc. & A.H., 2 year M.V.Sc. Courses.	19.37 Lakhs (First instalment)

7.5. TRAINING PROGRMMES SPONSORED BY MFPI:

The Ministry has been providing financial assistance to the Institutions for conducting training programmes sponsored by it in various areas of food processing. The quantum of assistance depends on number of trainees and duration of training etc. Raja Dinesh Singh Krishi Vigyan Kendra, Pratapgarh, Uttar Pradesh has been provided a grant of Rs. 24.00 Lakhs as second instalment for conduct of 08 Training Programmes in Food Processing.

3.6. PADDY PROCESSING RESEARCH CENTRE (PPRC)

PPRC, Thanjavur is an autonomous organization under the MFPI and has been in existence for the last three decades. As other commodities such as millets, pulses and oil seeds are gaining importance it was decided in 2001 to expand the mandate of this Institute to include the above commodities also. In his Budget Speech of 2006-07, the Hon'ble Finance Minister announced the intention of the Government to upgrade PPRC to a National Institute. A detailed project report has been prepared by an Expert Committee for this purpose. The total expenditure estimated to upgrade the Centre is Rs.50 Crore. The proposed revised mandate of the upgraded Centre will include conducting basic, applied and adoptive research, education and training in the area of post harvest processing of crops of wetlands, flood and storm prone regions. Besides, the institute will act as a National Organisation for information on post production systems of mandated crops, undertake transfer of technology,

7.7 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान स्थापित करना

सरकार ने कुण्डली, हरियाणा में 244.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 100 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया है ।

उक्त संस्थान खाद्य प्रसंस्करण में अंतः विधा अनुसंधान कार्य करने, नए उत्पाद और प्रक्रियाएँ विकसित करने, नवीनतम योजनाओं के लिए प्रारंभिक सुविधाएँ देने, उद्योग, सरकार, उपभोक्ताओं और सुविज्ञों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उभरती रूपरेखा पर अंतःक्रिया के लिए मंच प्रदान करने, इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित मानव संसाधन विकास समर्थन पर मार्गनिर्देश और सलाह देने और उद्योग के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने पर जोर देते हुए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा ।

आशा है कि उक्त संस्थान वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किराए के परिसरों में लघु अवधि पाठ्यक्रम शुरू करेगा। मंत्रालय ने उक्त संस्थान द्वारा उक्त कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुण्डली में किराए पर लेने हेतु परिसरों की पहचान कर ली है । इस संस्थान के तीसरे वर्ष के दौरान पूरी तरह काम शुरू करने की संभावना है ।

मंत्रालय हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी सुविधा विकास निगम से उक्त संस्थान हेतु कुण्डली में लगभग 42 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर चुका है । हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी सुविधा विकास निगम बाकी उस जमीन को अधिग्रहीत करने के लिए कार्रवाई कर रहा है जिसे छ महीने में मंत्रालय को सौंपे जाने की संभावना है ।

7.8 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य सभी प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों हेतु प्रसंस्करण पैकिंग और भंडारण प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करना है ताकि वे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकें, विभिन्न कारकों का मानकीकरण,प्रसंस्करण प्रौद्योगिकरण का विकास और हमारी जनसंख्या के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए अनाज/अनाज उत्पादों का पुष्टिकरण करना है । वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसम्बर, 2006 तक) कके दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई है:-

(i) "(क) न्यूनतम प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ाकर और (ख) श्रेष्ठतर पुनः निर्जलीकरण और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए निर्जलीकृत उत्पादों की नई रेंज का विकास करते हुए "चुनिंदा फल तथा सब्जियों का परिरक्षण" के लिए 253.8 लाख रुपये का सहायता अनुदान देने हेतु कारूण्य प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, कोयम्बतूर, तमिलनाडु का प्रस्ताव 28.7.2006 को अनुमोदित किया गया ।

(ii) "एन्जाइम मैडिएटिड फूड प्रोसेसिंग" के लिए 64.50 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैम्पस, नई दिल्ली का प्रस्ताव 29.09.2006 को अनुमोदित किया गया ।

EDP Training - Association of Women Entrepreneurs of Karnataka, Raja ji Nagar, Bangalore.

consultancy and analytical services for raw and processed agricultural commodities, establish linkages with related processing industries and other academic as well as R&D institutions for achieving its goals effectively.

7.7. SETTING UP OF NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT

Government has approved establishment of National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM) in 100 acres of land at Kundli in the State of Haryana, at an estimated cost of Rs. 244.6 crores.

The Institute will function as a knowledge centre in food processing with emphasis on inter-disciplinary research, developing new products and processes, incubating innovative ideas, provide a forum for intense interaction for industry, Government, consumers and experts on the emerging contours of the food processing industry, guide and advise on the HRD support required for the sector and the regulatory framework for the industry.

NIFTEM is likely to start short-term courses during the current financial year from hired premises. The Ministry has already identified premises at Kundli to be hired for undertaking these activities of NIFTEM. The Institute is likely to be fully operational during the third year.

The Ministry has already taken possession of around 42 acres of land at Kundli for the Institute from Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation (HSIIDC). HSIIDC is in the process of acquiring the remaining land which is likely to be handed over to the Ministry in 6 months.

7.8. RESEARCH AND DEVELOPMENT IN FOOD PROCESSING SECTOR

Main objectives in promotion of R&D work in food processing are to update processing, packaging and storage technologies for all major processed food

(iii) "खाद्य तथा औद्योगिक प्रयोग हेतु मोटे अनाज और मिलट से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करना " के लिए 50.65 लाख रुपये का सहायता अनुदान देने के लिए गृह विज्ञान

(iv) विभाग, कालेज तथा अनुसंधान संस्थान, मदुरै, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का -प्रस्ताव 21.6.2006 को अनुमोदित किया गया ।

products so that they meet National /international standards, standardization of various factors, development of processing technology and fortification of cereals/cereal products for enhancing the nutritional level of our population. Following projects have been sanctioned assistance during the current financial year upto December2006.

(i) Proposal of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamilnadu was approved on 28.7.2006 for providing grant-in-aid of Rs.253.8 lakhs for "preservation of selected vegetable and fruits by, A) Improving quality and shelf life of minimally processed products and, B) Development of new range of dehydrated products having superior rehydratrion and keeping qualities".

(ii) Proposal of Department of Microbiology, University of Delhi South Campus, New Delhi was approved on 29.9.2006 for providing grant-in-aid of Rs.64.50 lakhs for "Enzyme mediated food processing".

(iii) Proposal of Department of Home Science College &Research Institute, Madurai, Tamilnadu Agricultural University, was approved on 21.7.2006 for providing grant-in-aid of Rs.50.65 lakhs for "Formulating value added products from Coarse Grain and Millet for food and Industrial use".

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संवर्धनात्मक सहायता

अध्याय - 8

8.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन संबंधी योजना स्कीम के तहत मंत्रालय सरकारी या शैक्षणिक निकायों, उद्योग संघों और गैर सरकारी संगठनों आदि को निम्नलिखित हेतु वित्तीय सहायता देता हैः-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों के आयोजन के लिए ।

(ii) खंडीय और क्षेत्रीय आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए ।

8.2 दसवीं योजना स्कीम के अंतर्गत अध्ययन एवं सर्वेक्षण के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता को लागत के 50% तक सीमित किया गया है जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है । किंतु मंत्रालय यदि अध्ययन/सर्वेक्षण करने का निर्णय लेता है, तो उक्त वित्तीय सीमा लागू नहीं होगी । इसी तरह सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन और संगोष्ठी के मामले में, वित्तीय सहायता आम तौर पर लागत के 50% तक सीमित है जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है । यदि मंत्रालय कार्यक्रम का प्रायोजन करता है, तो यह वित्तीय सीमा लागू नहीं होगी ।

8.3 मंत्रालय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, उद्योग संघों आदि के निकट सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी सूचना का प्रसार करने, उत्पादन एवं पैकेजिंग की आधुनिक तकनीक से मौजूदा एवं संभावी उद्यमियों को परिचित कराने, बाजार के विकास और उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शनी/मेलों में भाग लेता है । राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने के लिए, राज्य सरकारें/राज्य सरकार के संगठन जगह किराए का 25% वित्तीय सहायता के रूप में पाने के पात्र हैं ताकि ऐसे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी में वृद्धि हो ।

8.4 वर्ष 2006-07 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित/शुरू की गई/सहायता प्राप्त प्रमुख प्रदर्शनियाँ/मेले, कार्यशालाएँ, सेमिनार, सम्मेलन एवं अध्ययन निम्नलिखित हैं-

(क) प्रदर्शनियाँ (राष्ट्रीय)

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मैसर्स भारतीय उद्योग संघ, लखनऊ द्वारा 9-12 जनवरी, 2005 तक लखनऊ में आयोजित "भारतीय खाद्य एक्सपो, 2006" में भाग लिया ।

2. हैदराबाद में 25-29 जनवरी, 2006 तक आयोजित बागवानी व्यापार मेला, 2006 को वित्तीय सहायता दी ।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कोलकाता में 3-5 फरवरी, 2006 के दौरान "अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो-2006" में भाग लिया ।

4. मंत्रालय ने 8-12 मार्च, 2006 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "कृषि एक्सपो, 2006" में भाग लिया ।

5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 8-12 मार्च, 2006 के दौरान भारतीय व्यापार

PROMOTIONAL SUPPORT FOR FOOD PROCESSING INDUSTRIES

CHAPTER - 8

8.1. Under the Plan Scheme for Promotion of Food Processing Industries, the Ministry provides financial assistance to government or Academic Bodies, Industry Associations, and Non-Government Organizations etc. for

i) Organizing exhibitions/fairs, seminars, workshops, conferences, symposia to focus attention on development of food processing industries.

ii) Undertaking studies/surveys for assessment of potential for Food Processing Industries on sectoral and regional basis.

8.2. Under the 10th Plan Scheme financial assistance for conduct of studies and surveys has been restricted to 50% of cost subject to a maximum of Rs. 3 lakhs. However, if the Ministry itself decides to commission the studies/surveys, the above financial ceiling is not applicable. Similarly in the case of seminars, workshops, conferences and symposium, the financial assistance in general is restricted to 50% of the cost subject to a maximum of Rs. 1 lakh. If the Ministry sponsors the event, this financial ceiling will not be applicable.

8.3. The Ministry in close association with APEDA, CFTRI, industry associations etc. participates in exhibitions/fairs for dissemination of information regarding Food Processing Industries, familiarizing the existing and prospective entrepreneurs with modern technologies of production and packaging, development of markets and popularization of products. For participation in the national/international exhibitions/fairs, State Govts./State Govt. Organizations are eligible for financial assistance limited to 25% of space rental in order to enhance their participation in such events.

8.4 During the year 2006-2007 the following major exhibitions/fairs, workshops/seminars/ conferences & studies have been sponsored/ commissioned/assisted by the Ministry:-

(a) Exhibitions (National)

1. MFPI participated in India Food Expo 2006 at Lucknow from 9th-12th January 2005 organized by M/s Indian Industry Association Lucknow.

2. Assisted Horticulture Trade Fair 2006 from 25-29 January 2006 at Hyderabad.

3. MFPI participated in international Seafood Show-2006 at Kolkata during 3rd-5th February 2006 which was organized by MPEDA.

4. Ministry participated in Krishi Expo 2006 in Pragati Maidan , New Delhi from 8-12 March 2006.

5. MFPI participated in AAHAR 2006 being organized by ITPO during 8th-12th March 2006 at Pragati Maidan, New Delhi.

6. Ministry participated in Agri Biotech 2006 during March 9-11, 2006 at Hyderabad.

7. Ministry participated for conference on the changing Dynamics of the Food Processing “FOCUS ANDHRA PRADESH” in Hyderabad on 11th March 2006.

8. MFPI participated in North East Agri Expo 2006 organized by M/O Agriculture through CII, New Delhi at Dimapur, Nagaland during 27-31 March, 2006.

9. Assisted Kolkata Welfare Trust for organizing “Ganga Festival 2006” from 20-22 August 2006 at Kolkata. The Ministry participated in this exhibition by setting up office stall to disseminate information of various programmes/schemes being implemented by the Ministry.

10. Assisted NNS Online Pvt. Ltd., New Delhi and participated in the Food and Technology Expo 2006 from 31.08.2006 to 3rd September 2006 at Pragati Maidan, New Delhi. MOS (FPI) (IC) inaugurated the Expo. The Ministry participated in this exhibition by setting up office stall to disseminate information of various programmes/ schemes being implemented by the Ministry.

11. Assisted 13th MTNL Perfect Health Mela at New Delhi organized by Heart Care Foundation of India from 10-16 October 2006. The Ministry participated in this exhibition by setting up office stall to disseminate information of various programmes/schemes being implemented by the Ministry.

12. Assisted CII, Mumbai for Food and Bev Tech 2006 from 9-11 November 2006 at Mumbai. Secretary

संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित "आहार, 2006" में भाग लिया ।

6. मंत्रालय ने हैदराबाद में 9-11 मार्च, 2006 के दौरान "एग्री बायोटेक" 2006 में भाग लिया ।

7. मंत्रालय ने हैदराबाद में 11 मार्च, 2006 को आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य प्रसंस्करण के बदलती हुई गतिकी पर सम्मेलन में भाग लिया ।

8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 27-31 मार्च, 2006 के दौरान दीमापुर, नागालैण्ड में भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली के जरिए कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर कृषि एक्सपो, 2006 में भाग लिया ।

9. कोलकाता कल्याण ट्रस्ट को कोलकाता में 20-22 अगस्त, 2006 को "गंगा फैस्टिवल, 2006" आयोजित करने के लिए सहायता दी । मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की सूचना का प्रसार करने के लिए कार्यालय स्टाल लगाकर इस प्रदर्शनी में भाग लिया ।

10. एन एन एस आनलाइन प्रा0लि0, नई दिल्ली को सहायता दी और प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 31.8.2006 से 3.9.2006 तक खाद्य और प्रौद्योगिकी एक्सपो, 2006 में भाग लिया । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया । मंत्रालय ने इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की सूचना का प्रसार करने के लिए कार्यालय स्टाल लगाकर प्रदर्शनी में भाग लिया ।

11. "हर्ट केयर फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया" द्वारा 10-16 अक्तूबर, 2006 तक नई दिल्ली में 13वें एमटीएनएल परफेक्ट हेल्थ मेला को सहायता दी । मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की सूचना का प्रसार करने के लिए मंत्रालय ने कार्यालय स्टाल लगाकर इस प्रदर्शनी में भाग लिया ।

12. भारतीय उद्योग परिसंघ, मुम्बई को 9-11 नवम्बर, 2006 तक मुम्बई में हुए "फूड एंड बेव0 टेक, 2006 को सहायता दी । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया । मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की सूचना का प्रसार करने के लिए मंत्रालय ने कार्यालय स्टाल लगाकर इस प्रदर्शनी में भाग लिया ।

13. भारतीय उद्योग परिसंघ, अहमदाबाद को 17-19 नवम्बर, 2006 तक "एग्री फेयर" 2006 के लिए सहायता दी । मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/ स्कीमों की सूचना का प्रसार करने के लिए मंत्रालय ने कार्यालय स्टाल लगाकर इस प्रदर्शनी में भाग लिया ।

14. झारखण्ड लघु उद्योग परिसंघ, झारखण्ड रांची को 15-22 नवम्बर, 2006 तक रांची में "उद्योग मेला, 2006" आयोजित करने के लिए सहायता दी और उसे सहप्रायोजित किया । मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की सूचना का प्रसार करने के लिए मंत्रालय ने कार्यालय स्टाल लगाकर इस प्रदर्शनी में भाग लिया । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मेले-सह-प्रदर्शनी में उपस्थित हुए ।

15. अखिल भारत पंचायत परिषद, दिल्ली द्वारा 21-22 नवम्बर, 2006 के दौरान दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी-सह-सेमिनार में मंत्रालय ने भाग लिया ।

16. भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ (भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ) द्वारा नवम्बर, 2006 में मुम्बई में आयोजित "अन्नपूर्णा - विश्व खाद्य" को सहायता दी और सह-प्रायोजित किया ।

Shri Subodh Kant Sahai, Minister, FPI addressing the country participants at the U.K. Agriculture Show - July, 2006.

Shri Subodh Kant Sahai, Minister, FPI with Mr. Nicolas Forrissier, Minister for Food Processing, France at the Sial Food Fair October, 2006 in Paris.

17. भारतीय उद्योग परिसंघ, चण्डीगढ़ द्वारा 1-4 दिसम्बर, 2006 को चण्डीगढ़ में आयोजित "एग्रो टेक, 2006" को सहायता दी और सह-प्रायोजित किया। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की सूचना का प्रसार करने के लिए मंत्रालय ने कार्यालय स्टाल लगाकर इस प्रदर्शनी में भाग लिया।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/पारस्परिक क्रियाएँ

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मेलबार्न (आस्ट्रेलिया) में फाइन फूड शो, 2005 में भाग लिया।
2. मंत्रालय ने मैसर्स इंटर एड लि0 और आई टी ई इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली के सहयोग से 22-25 मार्च, 2006 तक मास्को में हुए "इण्डिया एक्सपो, 2006" में भाग लिया।
3. मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 1-5 मई, 2006 के दौरान सिंगापुर, थाईलैण्ड और मलेशिया में रोड शो में भाग लिया।
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से दिनांक 29-31 मई, 2006 को शंघई, चीन में हुए सियाल, चीन, 2006 में भाग लिया।
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 2-5 जुलाई, 2006 को स्टोनले पार्क, वारविकशायर यू0के0 में "रॉयल एग्रीकल्चर शो" में भाग लिया।
6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 9-11 जुलाई, 2006 तक न्यूयार्क, यूएसए में "इंटरनेशनल फेंसी फूड एंड कन्फेक्शन शो" में भाग लिया।
7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 13-15 जुलाई, 2006 तक कुआलालाम्पुर में हुए मलेशियन इंटरनेशनल फूड एंड बेविरेज, 2006 में भाग लिया।
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 17-20 जुलाई, 2006 तक साओ पालो, ब्राजील में इंटरनेशनल फिस्पल फूड सर्विसेज फेयर, 2006 में भाग लिया।
9. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 21-22 अगस्त, 2006 के दौरान लॉस ऐंजिल्स में यू0एस0 इण्डिया इंवेस्टमेंट सेमिनार एंड बिजनेस एक्सपो, 2006 में भाग लिया।
10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पेरिस में सियाल फूड फेयर, 2006 में भाग लिया।

(ग) सेमिनार और कार्यशालाएँ-

इस मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्य के संवर्धन और लोकप्रियता के लिए विभिन्न संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए सहायता दी। देश के विभिन्न भागों में आयोजित कार्यक्रमों की सूची अनुलग्नक-10 पर दी गई है।

8.5 प्रचार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु एक प्रेरक वातावरण सृजित करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए सतत संवर्धनात्मक प्रचार अभियान शुरू किया है। इस अभियान का व्यापक उद्देश्य प्रसंस्कृत खाद्य के बारे में मिथ्या एवं गलत धारणाओं को दूर करना है। अभियान के एक अंग के रूप में, प्रसंस्कृत खाद्य के सुविधाजनक होने, समय एवं ऊर्जा बचाने, पूरे साल उपलब्ध होने, अधिक समय तक टिक सकने वाले, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बनाए जाने, शक्तिवर्धक बनाए जा सकने आदि जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए गए हैं। यह अभियान जनता और उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमों और उपलब्ध कराई जा रही सहायता से भी अवगत कराता है।

FPI inaugurated the exhibition. The Ministry participated in this exhibition by setting up office stall to disseminate information of various programmes/schemes being implemented by the Ministry.

13. Assisted CII, Ahmedabad for Agri Fair 2006 from 17-19 November 2006. The Ministry participated in this exhibition by setting up office stall to disseminate information of various programmes/ schemes being implemented by the Ministry.
14. Assisted and co-sponsored Jharkhand Small Industry Association, Jharkhand Ranchi for organizing "Udyog Mela 2006" from 15-22 November 2006 at Ranchi. The Ministry participated in this exhibition by setting up office stall to disseminate information of various programmes/schemes being implemented by the Ministry. MOS (FPI) (IC) and Seniors officers of the Ministry also attended this Mela cum Exhibition.
15. MFPI participated in an Exhibition cum Seminar in Delhi organized by All India Panchyat Parishad, Delhi on 21-22 November 2006.
16. Assisted and co-sponsored "Anna Purna- World of Food at Mumbai in November 2006 organized by CIFTI (FICCI).
17. Assisted and co-sponsored "Agro Tech 2006" at Chandigadh organized by CII, Chandigadh from 1-4 December 2006. The Ministry participated in this exhibition by setting up office stall to disseminate information of various programmes/ schemes being implemented by the Ministry.

(b) International Exhibition/Interactions

1. MFPI participated in Fine Food show 2005 in Melbourne (Australia).
2. Ministry participated in association with M/s Inter Add Ltd. And ITE India pvt. Ltd. New Delhi for "India Expo 2006" at Moscow from 22-25 March 2006.
3. Ministry participated in association with CII for Road show in Singapore, Thailand and Malaysia during 1-5 may 2006.
4. MFPI participated in the SIAL China 2006 in association with APEDA from 29-31 May 2006 held at Shanghai, China.
5. MFPI participated in "Royal Agriculture Show" 2006 from 2nd-5th July, 2006 at Stonley Park, Warwickshire, U.K.
6. MFPI participated in International Fancy Food and confection show New York USA from 9- 11 July 2006.
7. MFPI participated in Malaysian International Food & Beverages (MIFB), 2006 held at Kuala Lumpur from 13th-15th July 2006.
8. MFPI participated in International Fispal Food Services Fair 2006 at Sao Paulo, Brazil from 17th-20th July 2006.
9. MFPI participated in US India investment seminar and Business Expo 2006 in Los Angeles during 21-22 August 2006.
10. MFPI participated in SIAL Food Fair 2006 in Paris.

(c) Seminar & workshops

Ministry assisted organization of several seminars/ workshops for promotion and popularisation of processed Food. A list of such events organized in different parts of the country is at **Annexure X.**

8.5 PUBLICITY

The Ministry of Food Processing Industries through DAVP has launched an ongoing promotional publicity campaign for creating a conducive environment for processed food in the country. The broad objective of the campaign is to remove the myths and misconceptions about processed food. As a part of the campaign, advertisements highlighting aspects like processed food being convenient, saving time and energy, available round the year, having longer shelf life, produced in hygienic conditions, can be fortified etc. have been published in the print media. The campaign also familiarised the public and entrepreneurs about the schemes and assistance provided by Ministry of Food Processing Industries.

खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता

अध्याय - 9

9.1 खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियाँ

खाद्य उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । वर्तमान विश्व बाजार में, खाद्य निर्माण करने और सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले उद्यमियों के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं । इसलिए, बदलते विश्व व्यापार माहौल में, आई.एस.ओ. 9000 गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना तथा हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली अत्याधिक वांछनीय है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन तंत्रों जैसे कि आई.एस.ओ.-9000, आई.एस.असो.-14000, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पाइंट, अच्छी निर्माण प्रणालियों, अच्छी स्वच्छकर प्रणालियों समेत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को अपनाने/कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर रहा है तथा उन्हें विश्व व्यापार संगठन के बाद के समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है ।

10वीं योजना के लिए अनुमोदित स्कीम के तहत, केंद्रीय/ राज्य सरकार के संगठनों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50% तक और दुर्गम क्षेत्रों में 75% तक अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है । इसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 10 लाख रु. और 50 लाख रुपये हैं । अन्य और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन, एच ए सी सी पी आदि समेत कुल गुणवत्ता प्रबंधन लागू करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33% तक जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में 50% तक जिसकी सीमा अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है सहायता अनुदान दिया जाता है ।

इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन तंत्रों जैसे कि आई.एस.ओ.-9000, आई.एस.असो.-14000, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पाइंट, अच्छी निर्माण प्रणालियों, अच्छी स्वच्छकर प्रणालियों समेत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को अपनाने/कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना ।
- उन्हें विश्व व्यापार संगठन के बाद के समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार करना ।
- स्वच्छता संबंधी मानकों में कड़ी गुणवत्ता अपनाने में मदद करना ।
- विदेशी क्रेताओं द्वारा उत्पादों की स्वीकार्यता को बढ़ाना ।
- भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों से अवगत कराना ।

वित्तीय वर्ष 2006 के दौरान मंत्रालय के एचएसीसीपी, आईएसओ 9000, अच्छी निर्माण प्रणालियों, अच्छी स्वच्छकर प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता दी है:-

9.2 फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खंड-3 के तहत प्रख्यापित फल उत्पाद आदेश, 1955 का उद्देश्य फल और सब्जी उत्पाद तैयार करने में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को विनियमित करना है । लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस आदेश के तहत निम्नलिखित न्यूनतम जरूरतें निर्धारित की गई हैं :-

FOOD SAFETY & QUALITY

CHAPTER - 9

9.1 FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

The Food Industry plays an important role in the national economy. In today's global market, quality and food safety have become competitive edge for the enterprises producing foods and providing services. Therefore, the installation of ISO:9000 Quality Management Systems and Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) based food safety system is extremely desirable in view of the changing scenario in the international trade. Ministry of Food Processing Industries is operating a Plan Scheme to motivate the food processing industries for adoption / implementation of food safety and quality assurance mechanisms such as Total Quality Management (TQM) including ISO-9000, ISO - 14000, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practices (GHP) and prepare them to face the global competition in International trade in post WTO era.

Under the Plan Scheme approved for 10th Plan, assistance in the form of grant-in-aid is provided to Central/State Government Organizations/ IITs and Universities to the extent of 50% of the total cost of the project in general areas and 75% in difficult areas. The absolute ceiling will remain Rs.10.00 lakhs and Rs.15.00 lakhs respectively. For all other implementing agencies, the grant-in-aid is available up to 33% of the project cost subject to a maximum limit of Rs. 10 lakhs for general areas and 50% subject to a maximum of Rs. 15 lakhs for difficult areas towards implementation of Total Quality Management including obtaining ISO:9000 Certification, HACCP etc.

The objectives of this plan scheme are as under:

- To motivate the food processing industries for adoption of food safety and quality assurance mechanism such as TQM including ISO-9000, ISO-14000, HACCP, GMP,GHP
- To prepare them to face the global competition in international trade in post WTO regime
- To enable adherence to stringent quality in hygiene norms
- To enhance product acceptance by overseas buyers
- To keep Indian industry technologically abreast of international best practices.

During the financial year 2006-2007, Ministry has provided financial assistance to various food processing industries for implementation of HACCP, ISO-9000, GMP, GHP practices.

9.2 FRUIT PRODUCTS ORDER (FPO), 1955

FPO-1955, promulgated under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, provides for regulating sanitary and hygienic conditions in manufacture of fruit & vegetable products. Licensing under this Order lays down the minimum requirement for the following items:

1. Sanitary and hygienic conditions of premises, surrounding and personnel.
2. Water to be used for processing
3. Machinery and equipment
4. Products specifications

In addition, maximum limits of preservatives, additives and contaminants have also been specified for various products. The FPO is implemented by MFPI through the Directorate of Fruit & Vegetable Preservation at New Delhi. The Directorate has five regional offices located at Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Guwahati as well as a sub-office at Lucknow. The officials of the Directorate undertake frequent inspections of the manufacturing units and draw random samples of products from the manufacturers and markets which are analyzed in the laboratories to test their conformity with the specifications laid down under FPO. To make the field offices more functional and obviate delays, powers to grant license for all category of units have also been delegated to Deputy Directors in the regions. To make the FPO logo visible and its message understandable to a large number of consumers, promotional campaigns have been launched by the Ministry.

1. परिसर, वातावरण और कर्मचारियों की स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियाँ ।
2. प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी ।
3. मशीनरी और उपकरण ।
4. उत्पाद विनिर्देश ।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न उत्पादों के लिए परिरक्षकों, योगजों और संदूषकों की अधिकतम सीमाएँ भी विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

यह आदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय के जरिए कार्यान्वित किया जाता है । इस निदेशालय के दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा गुवाहाटी स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालय तथा लखनऊ स्थित एक उप कार्यालय है । निदेशालय के अधिकारी उत्पादन यूनिटों का अक्सर निरीक्षण करते हैं और निर्माताओं एवं बाजार से उत्पादों के फौरी नमूने इकट्ठे करते हैं और वे फल उत्पाद आदेश के तहत निर्धारित विनिर्देशों के यह आदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय के जरिए कार्यान्वित किया जाता है । इस निदेशालय के दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा गुवाहाटी स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालय तथा लखनऊ स्थित एक उप कार्यालय है । निदेशालय के अधिकारी उत्पादन यूनिटों का अक्सर निरीक्षण करते हैं और निर्माताओं एवं बाजार से उत्पादों के फौरी नमूने इकट्ठे करते हैं और वे फल उत्पाद आदेश के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं, यह जांचने के लिए उनका प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाता है । फील्ड कार्यालयों को अधिक कार्यक्षम बनाने तथा विलम्ब को रोकने के लिए सभी श्रेणियों के यूनिटों हेतु लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियाँ उक्त क्षेत्रों में उपनिदेशकों को प्रत्यायोजित की गई हैं । फल उत्पाद आदेश के "लोगो" को दृष्टिगोचर बनाने और अधिसंख्यक उपभोक्ताओं को उसका संदेश समझने लायक बनाने के लिए मंत्रालय ने संप्रवर्तक अभियान शुरू किए हैं । वर्ष 2006 के दौरान जारी, रद्द किए गए लाइसेंसों, किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

प्रदत्त किए गए फल उत्पाद आदेश लाइसेंसों की संख्या	419
रद्द किए गए फल उत्पाद आदेश लाइसेंसों की संख्या	187
जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या	131
जारी किए गए निलंबन आदेश की संख्या	27
किए गए निरीक्षणों की संख्या	3225

राज्यवार कुल लाइसेंसप्राप्त फल तथा सब्जी परिरक्षण यूनिटों की संख्या अनुलग्नक 11 पर दी गई है ।

विनियामक कार्यों के अलावा, फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय ने फल उत्पाद आदेश, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहायता से विभिन्न जगहों पर आयोजित कई प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों में भाग लिया । आम जनता और उत्पादकों के बीच फल उत्पाद आदेश के "लोगो" को गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रिंट मीडिया के जरिए फल उत्पाद आदेश प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं ताकि उसकी अनिवार्यता, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर अपेक्षाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता एवं उत्पादों हेतु गुणवत्ता मापदंड की जानकारी हो सके ।

9.3 मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 (एमएफपीओ)

उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यकर मांस खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 का कार्यान्वयन विगत में विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया गया । मांस खाद्य उत्पाद आदेश का प्रशासन 19.03.2004 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया । स्वच्छकर, स्वास्थ्यकर, पैकिंग मार्किंग और लेबलिंग संबंधी अपेक्षाओं का उल्लेख इस आदेश की अलग-अलग अनुसूचियों में किया गया है । सरकार द्वारा मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के पैरा 3 के अंतर्गत, मांस खाद्य उत्पाद सलाहकार समिति स्थापित की गई है जो मांस खाद्य उत्पाद

Details about licenses issued, cancelled, inspections made etc. during the year 2006 are as under:-

No. of FPO licence granted	419
No. of FPO licence Cancelled	187
No. of Show cause notice issued	131
No. of suspension order issued	27
No. of inspections carried out	3225

Total Licenced F&VP units State-wise is at Annexure - XI.

Apart from the regulatory functions, the Directorate of F&VP participated in a number of exhibitions and seminars held at various places with the assistance on the MFPI with a view to increasing awareness about the FPO, quality control etc. In order to promote the FPO logo as a symbol of quality to the general public and amongst the manufacturers so that its mandatory nature and the necessity of conforming to sanitary and hygiene requirements, as also the quality parameters for the products is known, FPO publicity campaigns have been launched through print media.

9.3 MEAT FOOD PRODUCTS ORDER, 1973 (MFPO)

The MFPO, 1973, promulgated under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 with an objective of ensuring supply of wholesome meat food products (MFP) to the consumers was earlier implemented by Directorate of Marketing & Inspection (DMI). From 19.03.2004 administration of MFPO has been transferred to the Ministry of Food Processing Industries. The sanitary, hygienic, packing, marking and labeling requirements are specified in separate Schedules of the Order. The Meat Food Products Advisory Committee has been constituted under para 3 of MFPO, 1973 by the Government, for advices in implementation, amendments etc. of MFPO, 1973. Members of the committee are from concerned Government Departments, Technical Experts, representatives of the Research Institutes and Industry.

9.4 CODEX

(i) Codex Alimentarius Commission (CAC) is an International Body constituted by Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO) of the United Nations with an objective to protect health of consumers and to ensure fair practices in the food trade. Codex prescribes International Standards for safety and quality of food as well as codes of good manufacturing practice, guidelines to protect health of the consumers. These standards, guidelines and recommendations are recognized worldwide for international trade and negotiations and also for settling of disputes by WTO.

(ii) The Codex contact point in India is the Directorate General of Health Services in the Ministry of Health & Family welfare. However, the Ministry of Food Processing Industries is closely associated with the activities of Codex Alimentarious in the country. It provides inputs to various shadow Codex Committees. This Ministry also Chairs the following Shadow Committee of Codex in the country: -

- o Codex Committee of Food Additives and Contaminants.
- o Codex Committee of Food Labelling (Co-Chairman).
- o Codex Committee of Processed Fruits & Vegetables.
- o Codex Committee of Vegetable Protein
- o Task Force on Fruit Juices

(iii) During the year 2006-2007, this Ministry helped in drafting country's response to important agenda items being taken up in the Codex**.**

9.5 ASSISTANCE FOR ISO/ HACCP CERTIFICATION: -

For implementation of Total Quality Management including obtaining ISO:9000 Certification, HACCP etc. assistance in the form of grant-in-aid is provided to Central/State Government Organizations/ IITs and Universities to the extent of 50% of the total cost of the project in general areas and 75% in difficult areas subject to a ceiling of Rs.10.00 lakhs and Rs.15.00 lakhs respectively. For all other implementing agencies, the grant-in-aid is available up to 33% of the project cost subject to a limit of Rs. 10 lakhs for general areas and 50% subject to a maximum of Rs. 15.00 lakhs for difficult areas. During the financial year 2005-2006, the Ministry has provided financial assistance to various food processing industries for implementation of HACCP, ISO:9000, GMP, GHP practices.

MFPI has recognized Quality Council of India (QCI) for carrying out the Accreditation of Certification Bodies (CBs) for HACCP, GMP, GHP, ISO:9000 certification

आदेश, 1973 के कार्यान्वयन, संशोधनों आदि के बारे में सलाह देती है । समिति के सदस्य सम्बन्धित सरकारी विभाग के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के प्रतिनिधि होते हैं ।

9.4 कोडेक्स

(i) कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफपीओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित प्रणालियाँ सुनिश्चित करना है । कोडेक्स में उपभोक्ताओं की सेहत की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रणालियों को हटाने के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ-साथ बेहतर निर्माण-प्रणालियों और अन्य दिशानिर्देशों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख है । इन मानकों, मार्गनिर्देशों और सिफारिशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौतों के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन द्वारा विवादों के निपटारे के लिए भी पूरे विश्व में मान्यताप्राप्त है ।

(ii) भारत में कोडेक्स संपर्क स्थल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय है । वैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कोडेक्स एलिमेंटेरियस के कार्यकलापों से निकटता से जुड़ा हुआ है । यह विभिन्न छाया कोडेक्स समितियों को जानकारी उपलब्ध कराता है । यह मंत्रालय देश में कोडेक्स समितियों की निम्नलिखित छाया समितियों का भी अध्यक्ष हैः-

- खाद्य योगज तथा प्रदूषक संबंधी कोडेक्स समिति ।
- खाद्य लेबलिंग संबंधी कोडेक्स समिति (सह-अध्यक्ष) ।
- प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों संबंधी कोडेक्स समिति ।
- वेजिटेबल प्रोटीन संबंधी कोडेक्स समिति ।
- फल रस संबंधी कार्य बल ।

(iii) वर्ष 2006-07 के दौरान, इस मंत्रालय ने कोडेक्स में उठाई गई मुख्य कार्यसूची मदों पर देश की प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करने में मदद की ।

9.5 आई.एस.ओ./एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणीकरण के लिए सहायता

आईएसओ-9000 प्रमाणीकरण, एचएसीसीपी आदि समेत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय/राज्य सरकारी संगठनों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत तक और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना की कुल लागत के 75 प्रतिशत तक सहायता अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 10 लाख रुपये और 15 लाख रुपये है । सभी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु, सामान्य क्षेत्र के लिए परियोजना लागत के 33 प्रतिशत तक, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत तक, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है, सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान, इस मंत्रालय ने एचएसीसीपी, आईएसओ 9000, जी एम पी, जी एच पी प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एच.ए.सी.सी.पी., जी.एम.पी., जी.एच.पी.,आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन हेतु प्रमाणन निकायों द्वारा किए जा रहे प्रत्यापन कार्यों और इन प्रमाणन निकायों पर नजर रखने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद को मान्यता दी है । इस मेमोरेंडम के प्रमुख उद्देश्य एच.ए.सी.सी.पी. आई एस ओ, 9000, जी एम पी, जी एच पी प्रणालियों के लिए भारत में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को प्रमाणन देने संबंधी कार्य कर रहे प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए एक तंत्र की स्थापना करना है ।

9.6 बार-कोडिंग

दसवीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित उद्देश्यों से एक योजना स्कीम चला रहा हैः-

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में बार कोडिंग प्रणाली की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हो रही प्रगति के अनुरूप अपने प्रसंस्कृत खाद्य पैकेजों पर बार कोड्स लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

and Monitoring of Certification Bodies (CBs). The principal objectives of this Memorandum is to establish a mechanism for accreditation of certification bodies operating in certification of food processing units in India for HACCP, ISO:9000, GMP, GHP Systems

9.6 BAR- CODING

The Ministry of Food Processing Industries is operating a Plan Scheme in the 10th Plan with the following objectives:

- To popularize the concept of bar coding system following National/International Standards and to encourage food processors to affix bar codes on their processed food packages in order to keep with the developments in the international markets.
- To avoid any non-tariff barriers in future, as bar coding has become an important requirement in the context of the stringent food safety standards.

Under this Plan Scheme, the Central/State Government organizations, IITs and Universities are eligible for 50% of the registration fees to be paid to EAN – India and 50% of the cost of the capital equipments subject to maximum of Rs.3.00 lakhs. All other implementing agencies are eligible for 50% of the registration fee to be paid to EAN – India and 33% of the cost of the capital equipment subject to maximum of Rs.3.00 lakhs for general areas and 50% of the cost of capital equipment subject to maximum of Rs.3.00 lakhs for difficult areas. The organizations intending to avail the financial assistance for bar coding have to get registered with EAN – India before applying to the Ministry.

9.7 SETTING UP/UP-GRADATION OF QUALITY CONTROL LABORATORY

For a successful food processing sector in India, various aspects of TQM such as quality control, quality system and quality assurance should function in a horizontal fashion for total success. These are vital today, if one has to reach the world market or avoid being swamped by imported food items. MFPI aims at setting up a network of laboratories to help in implementing quality regime for processed food. Further, to provide the common facilities to food processing industries and consumers for testing of articles of food , Ministry of Food Processing Industries is operating a Plan Scheme for setting up/up-gradation of quality control laboratory. The major objectives are:

- To ensure compliance with National food standards.
- To assist industries in the food sector to develop and implement quality management systems such as ISO9000, HACCP etc.
- To analyze the samples received from food processing industries, and other stakeholders.
- To impart training in the areas relating to quality improvement through own expertise.
- To provide information on quality standards and requirements of various markets on quality of products.
- To reduce the time of analysis of samples by reducing transportation time of samples.
- To generate scientific data on levels of contaminants, pesticide residue etc.

9.8 ELIGIBILITY AND PATTERN OF ASSISTANCE

Under the plan scheme approved for Tenth Plan, the Central/State Govt. organizations, IITs and Universities are eligible for grant in aid limited to entire cost of the capital equipments required for setting up/ modernization of Laboratories. All other implementing agencies are eligible for grant in aid limited to 33% of the cost of capital equipment required for setting up/up-gradation of such laboratories for general areas and 50% for difficult areas. A number of institutions/ organizations have been assisted for setting up/ up-gradation of food testing laboratories to facilitate the quality revolution in the country. Some of the important ones are:

i) Nodal Codex Laboratory, CFTRI, Mysore.

ii) Food Research and Analysis Center, New Delhi.

iii) Regional Food Research and Analysis Center, Govt. of U.P., Lucknow.

iv) Regional Food Research and Analysis Center, Bangalore.

v) Pradeshik Cooperative Dairy Federation Ltd., Lucknow.

vi) Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar.

vii) Food Research and Development Center, TRIFED, New Delhi.

viii) CCS Haryana Agriculture University, Hissar.

ix) Punjab Horticultural Post-Harvest Technology Center, Ludhiana.

- भविष्य में किसी गैर-टैरिफ अवरोध को रोकना, क्योंकि बार कोडिंग कड़े खाद्य सुरक्षा मानकों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपेक्षा बन गई है ।

इस योजना स्कीम के तहत, केंद्रीय/राज्य सरकारी संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विश्वविद्यालय ईएएन-भारत को भुगतान किए जाने वाले पंजीकरण शुल्क के 50 प्रतिशत और पूंजीगत उपकरणों की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है, के पात्र हैं । सभी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ ईएएन-भारत को भुगतान किए जाने वाले पंजीकरण शुल्क के 50 प्रतिशत तथा सामान्य क्षेत्रों में पूंजीगत उपकरणों की लागत के 33 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत उपकरणों की लागत के 50 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है, के पात्र हैं । बार कोडिंग हेतु वितीय सहायता का उपयोग करने के इच्छुक संगठनों को मंत्रालय में आवेदन करने से पूर्व ईएएन-भारत में पंजीकरण कराना पड़ेगा।

9.7 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन

भारत में सफल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रणाली और गुणवत्ता आश्वासन को लंब आधार पर संपूर्ण सफलता के लिए कार्य करना चाहिए । विश्व बाजार में पहुँचने अथवा आयातित खाद्य मदों के आयात की बौछार से बचने के लिए आज ऐसा करना आवश्यक है । इसके अलावा, खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और उपभोक्ताओं को सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन के लिए एक योजना स्कीम चला रहा है । इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- राष्ट्रीय खाद्य मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करना ।
- आई.एस.ओ. 9000, एच.ए.सी.सी.पी. आदि जैसी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के विकास और कार्यन्वयन के लिए खा|द्य क्षेत्र के उद्योगों की सहायता करना ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अन्य पणधारियों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना ।
- गुणवत्ता उन्नयन से जुड़े क्षेत्रों में स्वयं की विशेषज्ञता द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- गुणवत्ता मानक तथा उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में विभिन्न बाजारों की अपेक्षाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराना ।
- नमूनों की ढुलाई के समय को कम करके, नमूनों के विश्लेषण समय को काम करना ।
- प्रदूषक, कीटनाशक अवशेषों आदि के स्तरों के बारे में वैज्ञानिक आंकड़े तैयार करना ।

9.8 सहायता की पात्रता और स्वरूप

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भी सहायता उपलब्ध कराता है । दसवीं योजना के लिए अनुमोदित योजना स्कीम के अंतर्गत, केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन, आईआईटी और विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों की पूर्ण लागत सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करने के पात्र हैं । सभी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए सामान्य क्षेत्रों में अपेक्षित पूंजीगत उपकरण की लागत के 33 प्रतिशत तक तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत तक सहायता अनुदान की पात्र हैं । देश में गुणवत्ता क्रांति लाने के लिए, खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए अनेक संस्थानों/संगठनों को सहायता दी गई है । इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -

(i) नोडल कोडेक्स प्रयोगशाला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।

(ii) खाद्य अनुसंधान तथा विश्लेषण केंद्र, नई दिल्ली ।

(iii) क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान तथा विश्लेषण केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

Shri Subodh Kant Sahai, Minister, FPI with Dr. V. Prakash, Director, CFTRI, Mysore inaugurating the student hostel of CFTRI , Mysore - May, 2006.

Shri Subodh Kant Sahai, Minister, FPI addressing the Solvent Extractors Association of India at Mumbai - September, 2006

(iv) क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान तथा विश्लेषण केंद्र, बंगलौर ।

(v) प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ लि0, लखनऊ ।

(vi) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्ज़त नगर ।

(vii) खाद्य अनुसंधान तथा विकास केंद्र, ट्राइफेड, नई दिल्ली ।

(viii) चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ।

(ix) पंजाब बागवानी फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केंद्र, लुधियाना ।

(x) जी0बी0 पंत विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तराखंड ।

(xi) शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू ।

(xii) जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता ।

(xiii) राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ।

(xiv) चित्तूर जिला फल प्रसंस्करणकर्ता संघ, चित्तूर ।

(xv) मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, पुणे ।

(xvi) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, झारखण्ड

(xvii) बिधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

(xviii) नवासरी कृषि विश्वविद्यालय, नवासरी (गुजरात)

(xix) श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

(xx) आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद

(xxi) मार्कफेड, चंडीगढ़, पंजाब

(xxii) करूणान्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) कोयम्बटूर

(xxiii) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद

(xxiv) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

वर्ष 2006-07 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए हैः-

1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2 गुरू जंबेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार

3 मार्क लैब प्राइवेट लिमि., पुणे

4 खाद्य अनुसंधान तथा विकास परिषद, केरल सरकार

5 जूनागढ़ विश्वविद्यालय, जूनागढ़ (गुजरात)

6 उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला कूच बिहार, प. बंगाल

7 खाद्य अनुसंधान तथा विश्लेषण केंद्र, लखनऊ

8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

9 खाद्य तथा औषध प्रशासन, भोपाल (म.प्र.)

10 अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र, पंचकुला (हरियाणा)

x) G.B. Pant University, Pant Nagar, Uttarakhand.

xi) Sher-e-Kashmir University of Agriculture Science and Technology, Jammu.

xii) Jadavpur University, Kolkata.

xiii) Raja Dinesh Singh Krishi Vigyan Kendra, Pratapgarh, U.P.

xiv) Chittoor District Fruits Processors Federation, Chittoor.

xv) Mahratta Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, Pune.

xvi) Birla Institute of Technology , Ranchi, Jharkhand

xvii) Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, West Bengal

xviii) Navsari Agricultural University , Navasari (Gujarat)

xix) Shriram Institute of Industrial Research, New Delhi

xx) Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Hyderabad

xxi) Markfed , Chandigarh, Punjab

xxii) Karunya Institute of Technology and Management (Deemed University), Coimbatore

xxiii) A.P. State Agro Industries Dev. Corpn. Ltd, Hyderabad

xxiv) Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore

During 2006-07**,** Ministry of Food Processing Industries has approved following proposals for financial assistance for setting up/up-gradation of quality control laboratories:

1 Allahabad University, Allahabad

2. Guru Jambheshwar University, Hissar

3. Maarc Lab Pvt. Ltd. Pune

4. Council for Food Research and Development, Govt. of Kerala

5. Junagarh Agriculture University, Junagarh (Gujarat)

6. Uttar Banga krishi Viswavidyalaya, Distt. Cooch Behar, West Bengal

7. Food research and Analysis Centre, Lucknow

8. Indian Institute of Technology, Kharagpur

9. Food & Drug Administration, Bhopal, M.P.

10. International Testing Centre, Panchkula (Haryana)

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

अध्याय - 10

10.1 वर्ष 1998-99 से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिक्किम समेत पूर्वोत्तर पर योजना परिव्यय का कम-से-कम 10% व्यय करें। मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998-99 से 2005-06 तक किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं -

वर्ष	योजना परिव्यय	व्यय किया जाने वाला 10 प्रतिशत परिव्यय	पूर्वोत्तर पर खर्च की गई धनराशि	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1998-99	30.00	3.00	5.32	18%
1999-00	40.00	4.00	8.05	20%
2000-01	50.00	5.00	9.46	19%
2001-02	55.00	5.50	5.85	10.63%
2002-03	75.00	7.50	7.50	10%
2003-04	65.00	6.50	6.45	10%
2004-05	85.00	8.50	8.50*	10%
2005-06	136.00	13.60	5.27	3.88%

** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग को हस्तांतरित की गई 5.56 करोड़ रु. की राशि शामिल है ।*

10.2 सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं,में विविध कृषि जलवायु, विभिन्न किस्म की मिट्टी और प्रचुर वर्षा के कारण बढ़िया किस्म की भांति-भांति की कृषि-बागवानी पैदावार होती है । इनमें फल एवं सब्जी, मसाले, बागान फसल, औषधिक और सुगंधित पौधों, फूल/ऑर्किड आदि की किस्में शामिल हैं। यह क्षेत्र देश-विदेश दोनों में विपणन हेतु इस क्षेत्र की उच्च मूल्य की विशिष्ट बागवानी उपज और मूल्यवर्धित उत्पादों हेतु सर्वश्रेष्ठ स्रोत स्थल बन सकता है ।

इस मिशन का विचार इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास हेतु एन्ड-टू-एंड एप्रोच रखने का है । यह मिशन उपज की पैदावार, फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण के जरिए अंत में खपत श्रृंखला तक पहुंचने में अनुसंधान और विकास लिंकेज प्रदान करेगा । इस प्रकार यह मिशन बुआई सामग्री की उपलब्धता, उत्पादकता, फसलोत्तर बुनियादी ढांचे, प्रसंस्करण सुविधाओं और बाजार संवर्धन संबंधी सभी क्षेत्रों पर विचार करेगा ।

10.3 इस प्रौद्योगिकी मिशन के चार मिनी मिशन हैं -

मिनी मिशन 1 इस मिनी मिशन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट कृषि जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियस/मूल बीज तथा रोपण सामग्री प्रदान करने, उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं खेतों में परीक्षणों द्वारा प्रशिक्षण के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को समुचित प्रौद्योगिकी समर्थन प्रदान करना है । इसका कार्यान्वयन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

मिनी मिशन 2 इस मिनी मिशन का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र की बागवानी उपज की पैदावार एवं उत्पादकता बढ़ाना है ।

मिनी मिशन 3 इस मिनी मिशन का उद्देश्य फसलोत्तर प्रबंधन, विपणन और निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना है ।

DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

CHAPTER - 10

10.1 From the year 1998-99, all Ministries/Departments of the Government of India are required to spend at least 10% of the Plan Outlay in the Northeast, including Sikkim. The details of the expenditure incurred by the Ministry since 1998-99 to 2005-06 are given below:-

Year	Plan Outlay	10% outlay to be spent	Amt. Spent on NE	% of total outlay
1998-99	30.00	3.00	5.32	18%
1999-00	40.00	4.00	8.05	20%
2000-01	50.00	5.00	9.46	19%
2001-02	55.00	5.50	5.85	10.63%
2002-03	75.00	7.50	7.50	10%
2003-04	65.00	6.50	6.45	10%
2004-05	85.00	8.50	8.50*	10%
2005-06	136.00	13.60	5.27	3.88%

** Includes the amount of Rs.5.56 crore transferred to Development of North East Region Department.*

10.2. TECHNOLOGY MISSION FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF HORTICULTURE IN NORTH EASTERN REGION INCLUDING SIKKIM, J & K HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.

The North Eastern Region comprising of the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim, by virtue of its diverse agro-climatic conditions, variety of types and abundant rainfall, offers a wide range of agro-horticultural produce of premium quality. These include a variety of Fruits & Vegetables, Spices, Plantation Crops, Medicinal and Aromatic plants, Flowers, Orchards etc. The region holds a promise of becoming an excellent sourcing point for high value horticultural produce and value added products unique to the region, for onward marketing both within the country and abroad.

The mission proposes an end-to-end approach for all round development of the region. The mission would provide linkages from Research & Development till the produce finally reaches the consumption chain through production, post harvest management and processing. Thus, the mission would address all the areas relating to availability of planting material, productivity, Post Harvest Infrastructure, Processing Facilities and Market Promotion.

10.3 THE TECHNOLOGY MISSION HAS FOUR MINI MISSIONS

Mini Mission I: This Mini Mission aims to provide technology support appropriate to the North Eastern Region in view of their specific agro climatic and socio economic conditions through supply of nucleus/basic seed and planting material, standardization of production and protection technologies and technology refinement and training through on-farm trials. This is being implemented by the Department of Agriculture Research & Education (DARE).

Mini Mission II: This Mini Mission primarily aims at increasing production and productivity of the horticulture produce of the region.

Mini Mission III: This Mini Mission aims to create infrastructural facilities for post harvest management, marketing and export.

Mini Mission II & III are being implemented by the Department of Agriculture & Cooperation.

मिनी मिशन 2 और 3 का कार्यान्वयन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

मिनी मिशन 4 यह मिनी मिशन प्रसंस्करण एवं विपणन के सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए बनाया गया है । मिनी मिशन 4 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा समन्वित है और इसे स्मॉल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के जरिए कार्यान्वित किया जाता है । मिनी मिशन 4 के तहत तीन संघटकों यानी नए यूनिटों का संवर्धन, मौजूदा यूनिटों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण और संवर्धनात्मक कार्यकलापों को अनुमोदित किया गया है ।

मिनी मिशन 4 के तहत, मंत्रालय की सामान्य योजना स्कीमों के तहत अनुज्ञेय प्रोत्साहन की जगह क्रेडिट लिंक्ड एवं बैक एन्डेड वित्तीय सहायता के रूप में, निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों के जरिए उच्च स्तरीय प्रोत्साहन उपलब्ध है जोकि नई यूनिटों के संवर्धन हेतु पूंजीगत लागत के 50 % तक जिसकी अधिकतम सीमा 4 करोड़ रू. है और यूनिटों के उन्न्यन/आधुनिकीकरण हेतु 50% जिसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रू. है, वित्तीय सहायता दी जाती है ।

वर्ष 2006-07 के दौरान 11.85 करोड़ रुपये की कुल सहायता समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिनी मिशन-IV के तहत परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं ।

Mini Mission IV: This Mini Mission is designed to address all the issues of processing and marketing. Mini Mission IV is coordinated by the Ministry of Food Processing Industries and is implemented through Small Agri Business Consortium. Under Mini Mission IV, three components have been approved namely; For promotion of new units, for upgradation and modernization of existing units and for Promotional Activities.

Under Mini Mission IV higher level of incentive than admissible under the normal Plan Schemes of the Ministry are available in the form of credit linked and back ended financial assistance through designated financial institutions to the extent of 50% of the capital cost subject to a maximum of Rs. 4.00 crore for promotion of new units and up to Rs. 1.00 crore for upgradation/modernization of units.

During 2006-07, projects under Mini Mission IV have been approved in the North East Region including a total assistance of Rs.11.85 crores.

अध्याय - 11

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति

11.1 संविधान के अनुच्छेद 343 के अपेक्षानुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने और वार्षिक राजभाषा कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग कार्यरत है जिसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो अनुवादक और दो कर्मचारी हैं ।

11.2 मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों में से 80% से अधिक ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित कर लिया है और तदनुसार मंत्रालय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जा चुका है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन मंत्रालय के 5 अनुभागों को अपना सारा सरकारी काम हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। अलग-अलग व्यक्तियों के आधार पर आवश्यक आदेश भी जारी किए गए हैं जिनमें 24 कमर्चारियों/अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने सरकारी काम में केवल हिंदी का प्रयोग करें ।

11.3 मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है । यह समिति पूरी तरह से सक्रिय है और मंत्रालय के सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसकी तिमाही बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है ।

11.4 माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का 19 जून, 2006 को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया ।

11.5 मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में मूल टिप्पण/प्रारूप लेखन कार्य के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई जा रही है ।

11.6 मंत्रालय द्वारा प्रयोग किए जा रहे लगभग 101 मानक मसौदों को अंग्रेजी-हिंदी दोनों भााओं में तैयार किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भााओं में है ।

PROGRESS MADE IN USE OF HINDI IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES.

CHAPTER -11

11.1 As required under Article 343 of the Constitution, necessary arrangements have been made to promote progressive use of Hindi in the Ministry of Food Processing Industries. A Hindi section comprising an Assistant Director, two translators and two supporting staff is working in the Ministry with an objective to ensure compliance of the Official Language Policy of the Central Government and to achieve the targets prescribed in the Annual Official Language Programme.

11.2. More than 80% of the employees working in the Ministry have acquired working knowledge of Hindi and accordingly the ministry has been notified under Rule 10(4) of the Official Language Rule, 1976. Under Rule 8(4) of the Official Language Rule, 1976, five sections of the Ministry have been notified to carry out all their official work in Hindi. Necessary orders on individual basis have also been issued asking 24 employees/officers to use Hindi alone in their official work.

11.3. An Official Language Implementation Committee has been constituted under chairpersonship of Joint Secretary (Administration) of the Ministry of Food Processing Industries. The Committee has been fully activated and its quarterly meetings are held regularly to review the progress made in use of Hindi in the official work of the Ministry.

11.4. The meeting of the Hindi Advisory Committee of the Ministry was successfully organized on 19th June, 2006.

11.5. In order to promote progressive use of Hindi in the Ministry, an incentive scheme for doing original noting/drafting in Hindi is being implemented.

11.6. 101 standard drafts being used in the Ministry have been prepared in both English and Hindi. The website of the Ministry is in bilingual form.

11.7. During the year under report, 10 inspections, including 1 inspection of regional office of Directorate of F&VP at Bombay, were made to review progress of Hindi in sections/desks/divisions of the Ministry.

11.8. In order to promote and popularize use of Hindi among officers and employees of the Ministry a Hindi Fortnight from 11th to 22nd September, 2006 was organized. During this Fortnight various

Inspection of the Ministry by the 2nd Sub Commiittee of the Committee of Parliament on Official Language on 09-02-2007 - Dr. Laxmi Narayan Pandey, Convener and other members in the meeting.

11.7 सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल की स्थिति का जायजा लेने के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मंत्रालय के फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा मंत्रालय के 9 अनुभागों/डेस्कों/डिवीजनों के निरीक्षण किए गए ।

11.8 मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 11 से 22 सितम्बर, 2006 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण/प्रारूप लेखन, हिंदी निबंध, अनुवाद, हिंदी टाइपिंग, हिंदी सुलेख, वाद-विवाद आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उसके परिणामस्वरूप 38 प्रतियोगियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव द्वारा 12.10.2006 को पुरस्कृत किया गया ।

Inspection of the Ministry by the 2nd Sub Commiittee of the Committee of Parliament on Official Language on 09-02-2007 - Secretary (FPI)and other Senior Officers of the Ministry in the meeting.

competitions like Hindi Noting/Drafting, Hindi Essay Writing, Translation, Hindi Typing, Hindi Calligraphy, Hindi debate etc. were organised and as a result thereof 38 officers/officials were awarded by Secretary, Ministry of Food Processing Industries on 12th October, 2006.

महिलाओं से संबंधित बजट

अध्याय - 12

12.1 मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं के योगदान को इस बात को ध्यान में रखते हुए मान्यता देता है कि खाद्य प्रसंस्करण की शुरूआत विभिन्न समुदायों और वर्गों की पाक-कला परंपरा में निहित हैं, जिसे उनके महिला वर्ग द्वारा आगे जारी रखा गया है । सदियों से महिलाएं अचार, पापड़ बड़ियां आदि बनाने जैसे खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलाप पारंपरिक रूप से करती आ रही है । इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है । ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य अथवा क्षेत्र, समुदाय, जाति या महिला विशेष । मंत्रालय का प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महिला तथा पुरूष तथा इस उद्योग में, महिलाओं की जीविका को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर एक अध्ययन शुरू करने का है ।

12.2 मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लाभार्थी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले, खाद्य प्रसंस्करण संयत्रों में काम करने वाले और निचले चरण में विपणन कार्यकलापों में लगे लोग होते हैं । इन स्कीमों से महिलाओं को होने वाले लाभों की मात्रा नहीं बताई जा सकती लेकिन मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय में यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि सहायता के लिए महिलाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए । मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और स्वीकृति देते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला समूहों, को तरजीह दी जाती है ।

GENDER BUDGET

CHAPTER - 12

12.1 Keeping in mind the fact that origin of food processing lies in the culinary tradition of various communities, carried forward by their women folk, the ministry recognises contribution of women in food processing. Since ages, women are traditionally engaged in food processing activities-pickles, papad-making, nuggets etc. Schemes operated by this Ministry are aimed at providing facilities and incentives for promotion of food processing industry in the country. These schemes are project oriented and not State, area, community, caste or gender specific. The Ministry proposes to initiate a study of the gender implications of food processing industries and its potential for improving livelihoods of women.

12.2 The beneficiaries of projects assisted by the Ministry are those supplying raw materials to food processing industries, people working in food processing plants and those engaged in marketing activities downstream. Although the benefit accruing to women from these schemes has not been quantified, however, instructions have been issued for guidance in the Ministry that projects and programmes submitted by women should be considered for assistance on priority basis. Under the HRD scheme priority is accorded to SC/ST/OBC and women groups while sanctioning FPTC and EDP training programmes.

३१.१२.२००६ की स्थिति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा

अनुलग्नक-I

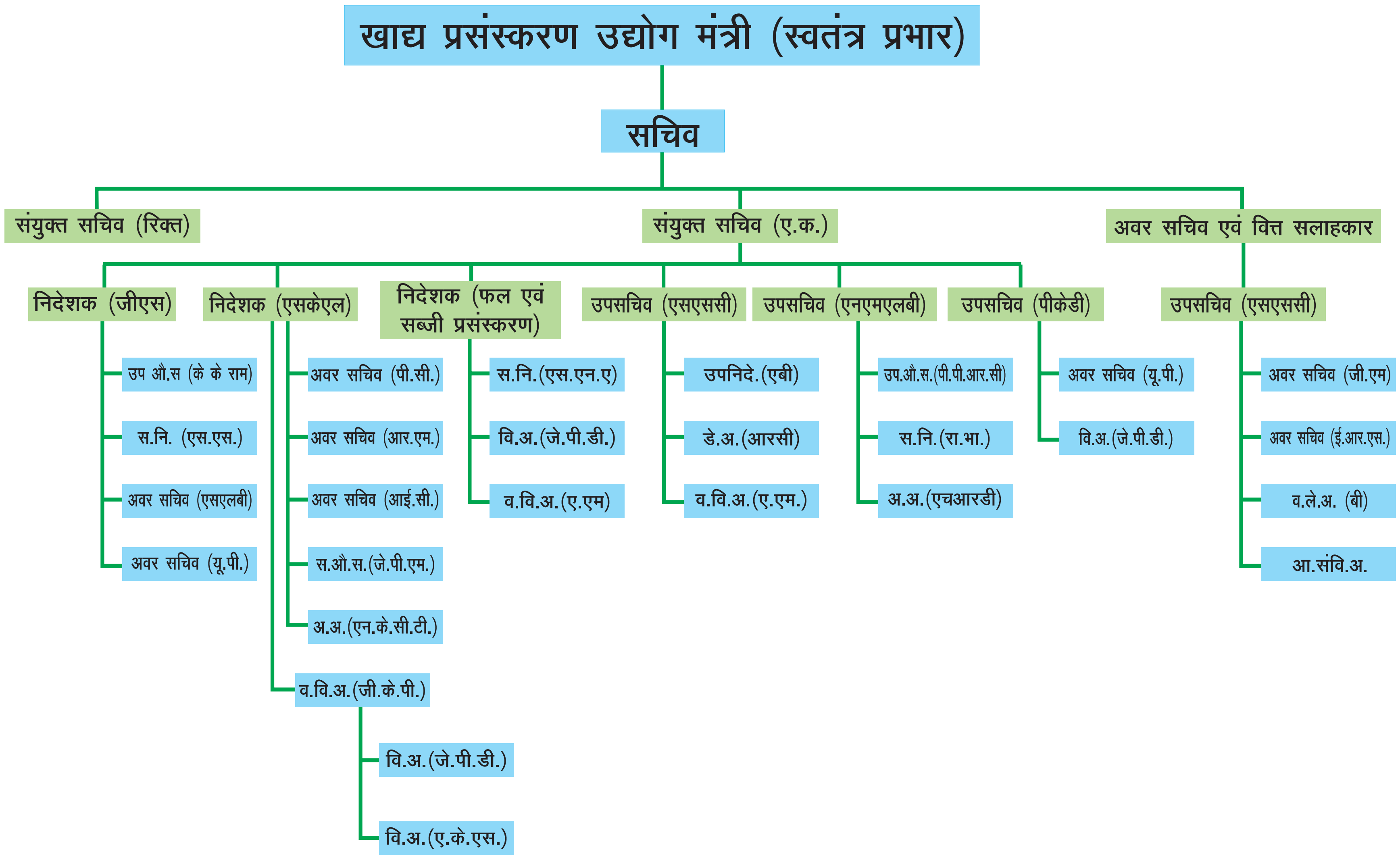

Organisational Structure of the Ministry of Food Processing Industries as on 31.12.2006

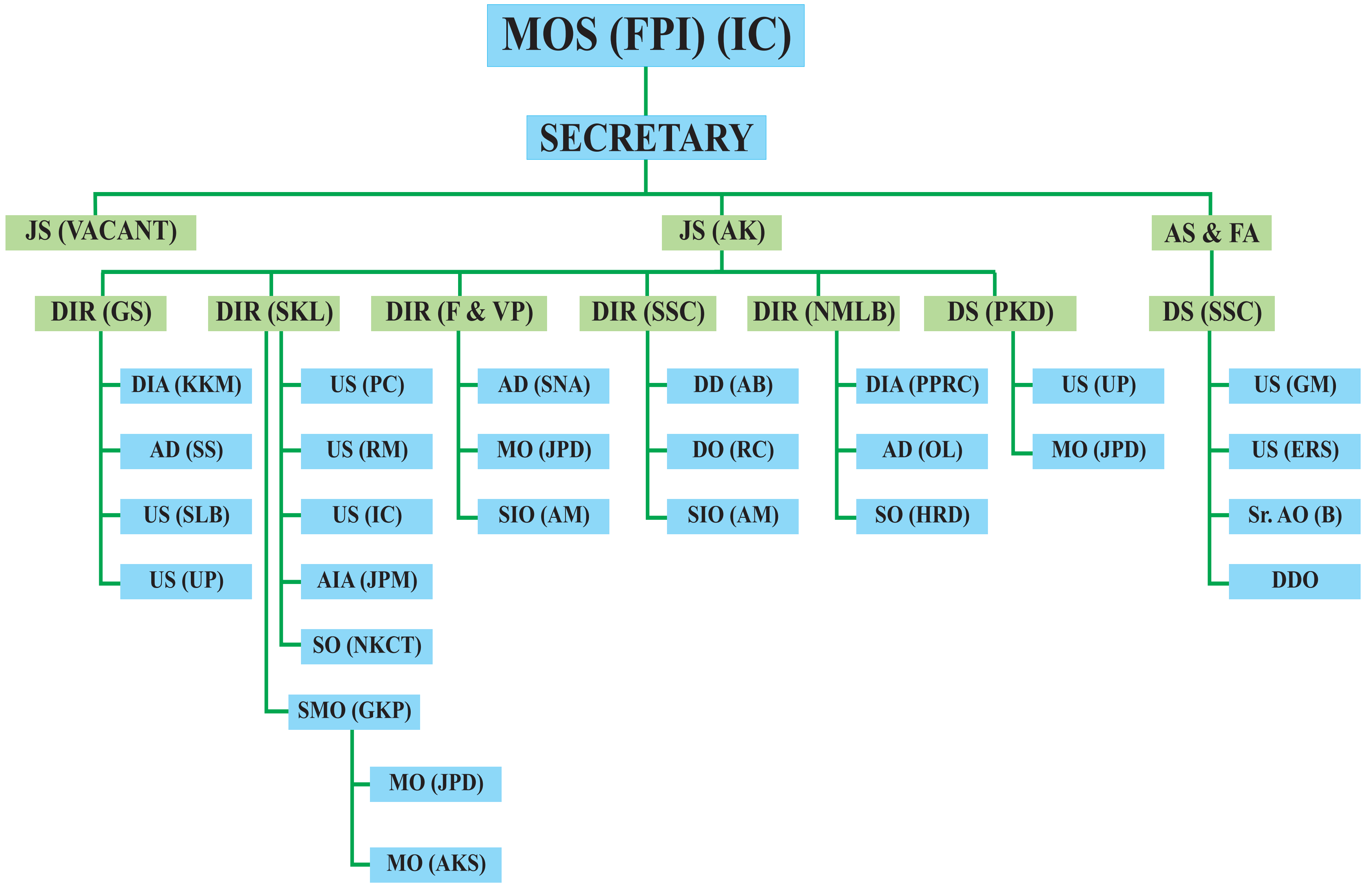

अनुलग्नक 2

वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रमुख स्कीमों हेतु विभिन्न राज्यों में स्थित परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्योरे

(लाख रुपये में)

योजना स्कीमें	बुनियादी विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार/तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास	बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	सिक्किम समेत पूर्वोत्तर हेतु एकमुश्त प्रावधान	कुल
राज्य/संघ शासित प्रदेश								
अंडमान एवं निकोबार				0.98		1.00		1.98
आंध्र प्रदेश	29.30	124.74	4.00	8.85	1.00			167.89
अरूणाचल प्रदेश							44.16	44.16
असम							232.31	232.31
बिहार			19.24	0.75				19.99
छत्तीसगढ़				0.93	2.22			3.15
दिल्ली			117.44	584.57	12.00			714.01
चंडीगढ़				4.00				4.00
गुजरात	40.00	27.41	20.00	10.63	58.93	1.00		157.97
हरियाणा	302.50	75.00	10.00		25.00			412.50
हिमाचल प्रदेश		111.36				1.00		112.36
जम्मू कश्मीर	400.00	111.22		2.31	1.99			515.52
झारखंड					2.00			2.00
कर्नाटक		41.85	267.22	0.20	6.10			315.37
केरल	291.00	104.90		5.44	19.00			420.34
मध्य प्रदेश	581.83	8.20	4.85	1.23	19.73	1.00		616.84
महाराष्ट्र	566.33	239.95	61.67	7.78	27.00	6.00		908.73
मणिपुर							343.44	343.44
मेघालय							58.10	58.10
मिजोरम							12.24	12.24
उड़ीसा		15.58		0.54		6.00		22.12
पांडिचेरी			13.37					13.37
पंजाब		176.98		0.32	5.64			182.91
राजस्थान	335.73				0.51			336.24
सिक्किम							1.20	1.20
तमिलनाडु	100.00	236.54	475.00	11.60	4.25			827.39
त्रिपुरा							82.75	82.75
उत्तर प्रदेश		119.14	115.00	1.03	59.63	1.00		295.80
उत्तरांचल				1.50	2.53	1.00		5.03
पश्चिम बंगाल	200.00	163.54	25.00	5.35	4.00	1.00		398.89
कुल	**2846.69**	**1556.38**	**1132.79**	**648.01**	**251.53**	**19.00**	**774.20**	**7228.60**

ANNEXURE-II

Details of financial assistance extended to projects in different States for major schemes during 2002-03

(Rs. In lakhs)

Plan schemes	Infrastructure Development	Technology Upgradation/ modernization/ expansion of FPI	Quality Assurance, Codex Standards and R&D	Backward & Forward Integration & other Promotional Activities	Human Resource Development	Strengthening of Institutions	Lump sum Provision for North East including Sikkim	Total
State/UT								
Andaman & Nicobar				0.98		1.00		1.98
Andhra Pradesh	29.30	124.74	4.00	8.85	1.00			167.89
Arunachal Pradesh							44.16	44.16
Assam							232.31	232.31
Bihar			19.24	0.75				19.99
Chhattisgarh				0.93	2.22			3.15
Delhi			117.44	584.57	12.00			714.01
Chandigarh				4.00				4.00
Gujarat	40.00	27.41	20.00	10.63	58.93	1.00		157.97
Haryana	302.50	75.00	10.00		25.00			412.50
Himachal Pradesh		111.36				1.00		112.36
Jammu & Kashmir	400.00	111.22		2.31	1.99			515.52
Jharkhand					2.00			2.00
Karnataka		41.85	267.22	0.20	6.10			315.37
Kerala	291.00	104.90		5.44	19.00			420.34
Madhya Pradesh	581.83	8.20	4.85	1.23	19.73	1.00		616.84
Maharashtra	566.33	239.95	61.67	7.78	27.00	6.00		908.73
Manipur							343.44	343.44
Meghalaya							58.10	58.10
Mizoram							12.24	12.24
Orissa		15.58		0.54		6.00		22.12
Pondicherry			13.37					13.37
Punjab		176.98		0.32	5.64			182.91
Rajasthan	335.73				0.51			336.24
Sikkim							1.20	1.20
Tamil Nadu	100.00	236.54	475.00	11.60	4.25			827.39
Tripura							82.75	82.75
Uttar Pradesh		119.14	115.00	1.03	59.63	1.00		295.80
Uttranchal				1.50	2.53	1.00		5.03
West Bengal	200.00	163.54	25.00	5.35	4.00	1.00		398.89
Total	**2846.69**	**1556.38**	**1132.79**	**648.01**	**251.53**	**19.00**	**774.20**	**7228.60**

अनुलग्नक - 3

वर्ष 2003-04 के दौरान प्रमुख स्कीमों के लिए विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्योरे

(लाख रुपये में)

योजना स्कीमें राज्य/संघ शासित प्रदेश	बुनियादा विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार/तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास	बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	सिक्किम समेत पूर्वोत्तर हेतु एकमुश्त प्रावधान including Sikkim	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सामान्यतः	कुल
अंडमान एवं निकोबार				1.00					1.00
आंध्र प्रदेश		465.57		10.17	51.00				526.74
असम				0.45			307.32		307.77
बिहार				0.42					0.42
चंडीगढ़				7.85					7.85
छत्तीसगढ़					3.00				3.00
दिल्ली	100.00		19.64	100.94	54.00				274.58
गोवा		17.00			22.00				39.00
गुजरात		165.85	4.00	11.89	8.00	3.88			193.62
हरियाणा		185.94	61.00		10.00	1.00			257.94
हिमाचल प्रदेश		99.18			4.00	1.00			104.18
जम्मू एवं कश्मीर		108.78	50.00		3.00	5.00			166.78
कर्नाटक		151.49	66.84	40.00	3.00				261.33
केरल		192.53		7.00	10.00				209.53
मध्य प्रदेश	200.00	88.93	4.85		8.00	1.00			302.78
महाराष्ट्र	469.92	529.03	28.22	9.38	64.00				1,100.55
मणिपुर							110.29		110.29
मिजोरम							111.50		111.50
नागालैण्ड							40.75		40.75
उड़ीसा					4.00	1.00			5.00
पांडिचेरी				0.03					0.03
पंजाब		163.00	8.76	0.60	82.00				254.36
राजस्थान	100.00	86.00		2.34	8.00				196.34
सिक्किम							0.50		0.50
तमिलनाडु		274.03		36.90	25.00	239.00			574.93
त्रिपुरा							34.07		34.07
उत्तर प्रदेश	200.00	263.19	150.55	7.82	13.00				634.56
उत्तरांचल		5.37							5.37
पश्चिम बंगाल	300.00	132.96	6.13	10.77	23.00				472.86
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सामान्यतः							40.33	40.33	
कुल	**1,369.92**	**2,928.85**	**399.99**	**246.56**	**396.00**	**251.88**	**604.43**	**40.33**	**6,237.96**

ANNEXURE-III

Details of financial assistance extended to projects in different States for major schemes during 2003-04

(Rs. In lakhs)

Plan schemes	Infrastructure Development	Technology Upgradation/ modernization/ expansion of FPI	Quality Assurance, Codex Standards and R&D	Backward & Forward Integration & other Promotional Activities	Human Resource Development	Strengthening of Institutions	Lump sum Provision for North East including Sikkim	Common to the NE States	Total
State/UT									
Andaman & Nicobar Island				1.00					1.00
Andhra Pradesh		465.57		10.17	51.00				526.74
Assam				0.45			307.32		307.77
Bihar				0.42					0.42
Chandigarh				7.85					7.85
Chhattisgarh					3.00				3.00
Delhi	100.00		19.64	100.94	54.00				274.58
Goa		17.00			22.00				39.00
Gujarat		165.85	4.00	11.89	8.00	3.88			193.62
Haryana		185.94	61.00		10.00	1.00			257.94
Himachal Pradesh		99.18			4.00	1.00			104.18
Jammu & Kashmir		108.78	50.00		3.00	5.00			166.78
Karnataka		151.49	66.84	40.00	3.00				261.33
Kerala		192.53		7.00	10.00				209.53
Madhya Pradesh	200.00	88.93	4.85		8.00	1.00			302.78
Maharashtra	469.92	529.03	28.22	9.38	64.00				1,100.55
Manipur							110.29		110.29
Mizoram							111.50		111.50
Nagaland							40.75		40.75
Orissa					4.00	1.00			5.00
Pondicherry				0.03					0.03
Punjab		163.00	8.76	0.60	82.00				254.36
Rajasthan	100.00	86.00		2.34	8.00				196.34
Sikkim							0.50		0.50
Tamil Nadu		274.03		36.90	25.00	239.00			574.93
Tripura							34.07		34.07
Uttar Pradesh	200.00	263.19	150.55	7.82	13.00				634.56
Uttranchal		5.37							5.37
West Bengal	300.00	132.96	6.13	10.77	23.00				472.86
Common to the NE State							40.33	40.33	
Total	**1,369.92**	**2,928.85**	**399.99**	**246.56**	**396.00**	**251.88**	**604.43**	**40.33**	**6,237.96**

अनुलग्नक-4

वर्ष 2004-2005 के दौरान प्रमुख स्कीमों हेतु विभिन्न राज्यों में स्थित परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

योजना स्कीमें	बुनियादी विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास	बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	कुल
राज्य/संघशासित प्रदेश							
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	0.25	-	0.25
आंध्र प्रदेश	3.39	797.67	-	2.27	50.37	0.36	854.06
असम	-	245.74	-	-	0.60	-	246.34
बिहार	-	25.32	3.74	4.34	12.00	-	45.40
छत्तीसगढ़	-	32.61	-	-	4.14	-	36.75
दिल्ली	-	2.50	14.85	271.50	19.35	-	308.20
चंडीगढ़	-	-	-	5.00	-	-	5.00
गोवा	-	25.00	-	-	1.16	-	26.16
गुजरात	3.40	262.15	-	17.55	77.60	1.00	361.70
हरियाणा	211.35	183.34	39.00		33.17	-	466.86
हिमाचल प्रदेश	25.72	75.51	-	-	9.60	-	110.83
जम्मू एवं कश्मीर	-	74.78	-	0.50	-	-	75.28
झारखण्ड	-	-	58.40	2.94	25.60	4.93	91.87
कर्नाटक		425.32	6.81	9.78	28.31	-	470.22
केरल	-	152.86	-	-	16.68	1.00	170.54
मध्य प्रदेश	128.76	45.62	-	10.00	38.78	1.00	224.16
महाराष्ट्र	250.00	778.67	53.61	18.76	42.22	-	1,143.26
मेघालय	-	12.14	-	-	-	-	12.14
मिजोरम	182.00	12.30	-	-	3.54	-	197.84
उड़ीसा	-	63.31	-	-	30.98	1.00	95.29
पांडिचेरी	-	24.54	-	-	-	-	24.54
पंजाब	-	538.23	0.50	-	9.01	-	547.74
राजस्थान	-	35.83	-	-	4.67	-	40.50
सिक्किम	-	-	-	-	0.90	-	0.90
तमिलनाडु	-	310.60	-	4.50	47.03	25.20	387.33
उत्तर प्रदेश	200.00	591.76	45.80	17.15	122.04	2.00	978.75
उत्तरांचल	-	87.88	7.50	-	-	-	95.38
पश्चिम बंगाल	177.38	325.74	69.50	30.85	77.12	-	680.59
पूर्वोत्तर राज्य	-	-	-	-	14.14	-	14.14
कुल	**1,182.00**	**5,129.42**	**299.71**	**395.14**	**669.26**	**36.49**	**7,697.88**

ANNEXURE-IV

Details of financial assistance extended to projects in different States for major schemes during 2004-05

(Rs. In lakhs)

Plan schemes	Infrastructure Development	Technology Upgradation/ modernization/ expansion of FPI	Quality Assurance, Codex Standards and R&D	Backward & Forward Integration & other Promotional Activities	Human Resource Development	Strengthening of Institutions	Total
State/UT							
Andaman & Nicobar Island	-	-	-	-	0.25	-	0.25
Andhra Pradesh	3.39	797.67	-	2.27	50.37	0.36	854.06
Assam	-	245.74	-	-	0.60	-	246.34
Bihar	-	25.32	3.74	4.34	12.00	-	45.40
Chhattisgarh	-	32.61	-	-	4.14	-	36.75
Delhi	-	2.50	14.85	271.50	19.35	-	308.20
Chandigarh	-	-	-	5.00	-	-	5.00
Goa	-	25.00	-	-	1.16	-	26.16
Gujarat	3.40	262.15	-	17.55	77.60	1.00	361.70
Haryana	211.35	183.34	39.00		33.17	-	466.86
Himachal Pradesh	25.72	75.51	-	-	9.60	-	110.83
Jammu & Kashmir	-	74.78	-	0.50	-	-	75.28
Jharkhand	-	-	58.40	2.94	25.60	4.93	91.87
Karnataka		425.32	6.81	9.78	28.31	-	470.22
Kerala	-	152.86	-	-	16.68	1.00	170.54
Madhya Pradesh	128.76	45.62	-	10.00	38.78	1.00	224.16
Maharashtra	250.00	778.67	53.61	18.76	42.22	-	1,143.26
Meghalaya	-	12.14	-	-	-	-	12.14
Mizoram	182.00	12.30	-	-	3.54	-	197.84
Orissa	-	63.31	-	-	30.98	1.00	95.29
Pondicherry	-	24.54	-	-	-	-	24.54
Punjab	-	538.23	0.50	-	9.01	-	547.74
Rajasthan	-	35.83	-	-	4.67	-	40.50
Sikkim	-	-	-	-	0.90	-	0.90
Tamil Nadu	-	310.60	-	4.50	47.03	25.20	387.33
Uttar Pradesh	200.00	591.76	45.80	17.15	122.04	2.00	978.75
Uttranchal	-	87.88	7.50	-	-	-	95.38
West Bengal	177.38	325.74	69.50	30.85	77.12	-	680.59
NE States	-	-	-	-	14.14	-	14.14
Total	**1,182.00**	**5,129.42**	**299.71**	**395.14**	**669.26**	**36.49**	**7,697.88**

अनुलग्नक- 5

वर्ष 2005-06 के दौरान प्रमुख स्कीमों के लिए विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्योरे

(लाख रुपये में)

योजना स्कीमें	बुनियादी विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी/ उन्नयन/आधुनिकीकरण विस्तार	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास	बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	कुल
राज्य/संघशासित प्रदेश							
अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15		0.15
आंध्र प्रदेश	0.00	725.22	175.19	5.00	26.29		931.70
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	10.00
असम	0.00	71.94	0.00	0.00	0.25		72.19
बिहार	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00		24.51
छत्तीसगढ़	0.00	91.76	0.00	0.00	4.80	5	101.56
दिल्ली	37.50	36.77	37.86	17.07	144.48		273.68
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
गोवा	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	10	57.58
गुजरात	3.35	282.25	137.40	46.94	74.93	10	554.87
हरियाणा	0.00	88.80	10.18	10.00	8.94	1	118.92
हिमाचल प्रदेश	0.00	110.10	0.00	7.50	9.19	1	127.79
जम्मू एवं कश्मीर	145.73	63.66	0.00	0.50	5.64		215.53
झारखंड	0.00	48.28	39.40	0.00	4.00		91.68
कर्नाटक	0.00	293.64	2.81	0.00	4.04	1	301.49
केरल	29.61	306.92	8.20	0.00	52.72	6	403.45
मध्य प्रदेश	0.00	193.56	14.85	8.90	10.03	6	233.34
महाराष्ट्र	265.50	852.84	19.77	5.00	13.16		1156.27
मणिपुर	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00		11.77
मेघालय	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	9.04	30.64
मिजोरम	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	6	16.15
नागालैण्ड	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	4.85	22.20
उड़ीसा	0.00	11.02	2.00	0.00	10.28	4.46	27.76
पांडिचेरी	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00		14.67
पंजाब	0.00	476.62	71.57	0.00	60.92		609.11
राजस्थान	0.00	106.80	0.00	0.00	50.76	6	163.56
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12		0.12
तमिलनाडु	16.03	337.24	146.72	11.00	105.43	180	796.42
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.00
उत्तर प्रदेश	24.34	619.59	0.15	6.45	84.57	10	745.10
उत्तरांचल	0.00	160.21	0.00	0.00	9.23	1	170.44
पश्चिम बंगाल	128.21	350.46	239.35	0.00	61.77	7	786.79
कुल	**650.27**	**5375.31**	**905.45**	**118.36**	**741.70**	**279.35**	**8070.44**

ANNEXURE-V

Details of financial assistance extended to projects in different States for major schemes during 2005-06

(Rs. In lakhs)

Plan schemes	Infrastructure Development	Technology Upgradation/ Modernization/ Expansion of FPI	Quality Assurance, Codex Standards and R&D	Backward & Forward Integration & other Promotional Activities	Human Resource Development	Strengthening of Institutions	Total
State/UT							
Andaman & Nicobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15		0.15
Andhra Pradesh	0.00	725.22	175.19	5.00	26.29		931.70
Arunachal Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	10.00
Assam	0.00	71.94	0.00	0.00	0.25		72.19
Bihar	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00		24.51
Chattisgarh	0.00	91.76	0.00	0.00	4.80	5	101.56
Delhi	37.50	36.77	37.86	17.07	144.48		273.68
Chandigarh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Goa	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	10	57.58
Gujarat	3.35	282.25	137.40	46.94	74.93	10	554.87
Haryana	0.00	88.80	10.18	10.00	8.94	1	118.92
Himachal Pradesh	0.00	110.10	0.00	7.50	9.19	1	127.79
Jammu & Kashmir	145.73	63.66	0.00	0.50	5.64		215.53
Jharkhand	0.00	48.28	39.40	0.00	4.00		91.68
Karnataka	0.00	293.64	2.81	0.00	4.04	1	301.49
Kerala	29.61	306.92	8.20	0.00	52.72	6	403.45
Madhya Pradesh	0.00	193.56	14.85	8.90	10.03	6	233.34
Maharashtra	265.50	852.84	19.77	5.00	13.16		1156.27
Manipur	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00		11.77
Meghalaya	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	9.04	30.64
Mizoram	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	6	16.15
Nagaland	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	4.85	22.20
Orissa	0.00	11.02	2.00	0.00	10.28	4.46	27.76
Pondicherry	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00		14.67
Punjab	0.00	476.62	71.57	0.00	60.92		609.11
Rajasthan	0.00	106.80	0.00	0.00	50.76	6	163.56
Sikkim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12		0.12
Tamil Nadu	16.03	337.24	146.72	11.00	105.43	180	796.42
Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.00
Uttar Pradesh	24.34	619.59	0.15	6.45	84.57	10	745.10
Uttaranchal	0.00	160.21	0.00	0.00	9.23	1	170.44
West Bengal	128.21	350.46	239.35	0.00	61.77	7	786.79
Total	**650.27**	**5375.31**	**905.45**	**118.36**	**741.70**	**279.35**	**8070.44**

अनुलग्नक - 6

वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान प्रमुख स्कीमों हेतु विभिन्न राज्यों में स्थित परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

योजना स्कीमें	बुनियादी विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास	बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	कुल
राज्य/संघशासित प्रदेश							
आंध्र प्रदेश	0.00	911.36	0.00	18.30	11.70		941.36
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
असम	0.00	920.49	0.00	1.59	3.75		925.83
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17		38.17
छत्तीसगढ़	0.00	91.64	0.00	0.00	28.25	5	124.89
दिल्ली	37.50	36.59	44.63	375.18	30.70		524.60
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00		4.34
गोवा	8.27	22.58	0.00	0.00	0.00		30.85
गुजरात	0.00	397.63	187.22	6.01	0.00		590.86
हरियाणा	211.35	294.51	127.00	1.00	8.86		642.72
हिमाचल प्रदेश	0.00	143.24	0.00	7.50	22.23		172.97
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	42.55	0.00	0.00	2.35		44.90
झारखंड	0.00	25.00	0.00	0.00	2.11		27.11
कर्नाटक	75.59	429.58	23.00	30.00	39.06	7.5	604.73
केरल	0.00	536.51	4.26	25.16	4.23	5	575.16
मध्य प्रदेश	125.00	124.24	14.85	0.00	18.37		282.46
महाराष्ट्र	465.96	1332.00	35.10	56.66	122.19		2011.91
मणिपुर	8.15	68.51	0.00	0.00	0.00		76.66
मेघालय	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00		21.85
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	5.00
नागालैण्ड	96.78	58.81	0.00	0.00	0.00	5	160.59
उड़ीसा	0.00	43.50	1.00	1.00	65.30		110.80
पांडिचेरी	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00		16.30
पंजाब	0.00	487.89	0.00	0.00	3.10	10	500.99
राजस्थान	0.00	481.62	0.00	0.00	25.60		507.22
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
तमिलनाडु	16.04	493.62	126.90	10.70	82.97	140	870.23
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
उत्तर प्रदेश	24.34	512.64	196.61	12.50	39.64		785.73
उत्तरांचल	0.00	299.93	7.50	0.00	2.25		309.68
पश्चिम बंगाल	132.56	380.02	339.76	2.45	7.61		862.40
कुल	**1201.54**	**8172.61**	**1107.83**	**552.39**	**558.44**	**177.50**	**11770.31**

ANNEXURE-VI

Details of financial assistance extended to projects in different States for major schemes during 2006-07 (upto December 2006)

(Rs. In lakhs)

Plan schemes	Infrastructure Development	Technology Upgradation/ Modernization/ Expansion of FPI	Quality Assurance, Codex Standards and R&D	Backward & Forward Integration & other Promotional Activities	Human Resource Development	Strengthening of Institutions	Total
State/UT							
Andhra Pradesh	0.00	911.36	0.00	18.30	11.70		941.36
Arunachal Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Assam	0.00	920.49	0.00	1.59	3.75		925.83
Bihar	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17		38.17
Chattisgarh	0.00	91.64	0.00	0.00	28.25	5	124.89
Delhi	37.50	36.59	44.63	375.18	30.70		524.60
Chandigarh	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00		4.34
Goa	8.27	22.58	0.00	0.00	0.00		30.85
Gujarat	0.00	397.63	187.22	6.01	0.00		590.86
Haryana	211.35	294.51	127.00	1.00	8.86		642.72
Himachal Pradesh	0.00	143.24	0.00	7.50	22.23		172.97
Jammu & Kashmir	0.00	42.55	0.00	0.00	2.35		44.90
Jharkhand	0.00	25.00	0.00	0.00	2.11		27.11
Karnataka	75.59	429.58	23.00	30.00	39.06	7.5	604.73
Kerala	0.00	536.51	4.26	25.16	4.23	5	575.16
Madhya Pradesh	125.00	124.24	14.85	0.00	18.37		282.46
Maharashtra	465.96	1332.00	35.10	56.66	122.19		2011.91
Manipur	8.15	68.51	0.00	0.00	0.00		76.66
Meghalaya	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00		21.85
Mizoram	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	5.00
Nagaland	96.78	58.81	0.00	0.00	0.00	5	160.59
Orissa	0.00	43.50	1.00	1.00	65.30		110.80
Pondicherry	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00		16.30
Punjab	0.00	487.89	0.00	0.00	3.10	10	500.99
Rajasthan	0.00	481.62	0.00	0.00	25.60		507.22
Sikkim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Tamil Nadu	16.04	493.62	126.90	10.70	82.97	140	870.23
Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Uttar Pradesh	24.34	512.64	196.61	12.50	39.64		785.73
Uttaranchal	0.00	299.93	7.50	0.00	2.25		309.68
West Bengal	132.56	380.02	339.76	2.45	7.61		862.40
Total	**1201.54**	**8172.61**	**1107.83**	**552.39**	**558.44**	**177.50**	**11770.31**

अनुलग्नक- 7

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अनुमोदित खाद्य पार्कों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना स्थल	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदन का वर्ष
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	चित्तूर, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश औद्योगिक बुनियादी सुविधा निगम लिमिटेड	2000-2001
2	असम	छायागाँव, जिला कामरूप	असम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी	2000-2001
3	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली	उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मार्फत उद्योग विभाग, बिहार सरकार	2002-2003
4	छत्तीसगढ़	गाँव टेडेसराय, जिला राजनंदगाँव	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर	2001-2002
5	हरियाणा	साहा, अम्बाला	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, पंचकुला	2001-2002
6	हरियाणा	राई, सोनीपत	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, पंचकुला	2001-2002
7	जम्मू कश्मीर	खुन्मो, श्रीनगर	जम्मू कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2000-2001
8	जम्मू कश्मीर	जम्मू	जम्मू कृिा औद्योगिक खाद्य पार्क, जम्मू	2001-2002
9	जम्मू कश्मीर	सोपोर, बारामूला	जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर	2002-2003
10	कर्नाटक	मलूर, कोलार	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, बंगलौर	2000-2001
11	कर्नाटक	बागलकोट	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/फूड कर्नाटक लि0	2000-2001
12	कर्नाटक	जेवरगी	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/फूड कर्नाटक लि0	2002-2003
13	केरल	जिला मल्लापुरम	केरल औद्योगिक बुनियादी विकास निगम, त्रिवेन्द्रम	1996-1997
14	केरल	अरूर, आलपुषा	समुद्री उत्पाद बुनियादी विकास निगम प्रा0 लिमिटेड/ सी फूड पार्क इण्डिया लि0	2001-2002
15	केरल	मषुवन्नूर, एर्नाकुलम	केरल औद्योगिक बुनियादी विकास निगम	2002-2003
16	केरल	अडूर	केरल औद्योगिक बुनियादी विकास निगम	2005-2006
17	मध्य प्रदेश	जग्गाखेड़ी, मंदसौर	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड	2000-2001
18	मध्य प्रदेश	निमरानी, जिला खरगौन, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड	2001-2002
19	मध्य प्रदेश	पिपरिया, बबई, होशंगाबाद	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2001-2002
20	मध्य प्रदेश	बोरगाँव, जिला छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2001-2002
21	मध्य प्रदेश	मालनपुर, जिला घिरौंगी, भिण्ड	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (ग्वालियर) लिमिटेड	2002-2003
22	मध्य प्रदेश	मनेरी, जिला मांडला	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2002-2003
23	महाराष्ट्र	बूटिबोरी, नागपुर, महाराष्ट्र	महाराट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2000-2001
24	महाराष्ट्र	विंचूर, जिला नासिक	महाराट्र औद्योगिक विकास निगम	2001-2002
25	महाराष्ट्र	मौज़ा गुमथला, भंडारा रोड नागपुर	मैसर्स हल्दीराम कृषि उद्योग प्रा0 लिमिटेड, नागपुर	2002-2003

ANNEXURE-VII

Ministry of Food Processing Industries

STATEMENT OF FOOD PARKS APPROVED

S. No	State	Location of the Project	Implementing agency	Year of approval
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	Kuppam, Dist.-Chittoor	Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd.,	2000-01
2.	Assam	Chaygaon, Distt. Kamrup	Assam small Industries Development Corporation Ltd.,	2000-01
3.	Bihar	Hajipur, District Vaishali	North Bihar Ind. Area Dev. Authority, C/o Department of Industries	2002-03
4.	Chhattisgarh	Vill: Teadesara, Dist-Rajnandgaon	Chhattisgarh State Industrial Development Corporation	2001-02
5.	Haryana	Saha, Distt.-Ambala	Haryana state Ind. Dev. Corporation Ltd.,	2001-02
6.	Haryana	Rai, Dist.-Sonipat,	Haryana state Ind. Dev. Corporation Ltd.,	2001-02
7.	Jammu & Kashmir	Khunmoh, Distt.- Srinagar,	J&K State Industrial Development Corporation Ltd.	2000-01
8.	Jammu & Kashmir	Sopore, Baramulla	J&K State Industrial Development Corporation Ltd. (J&K SIDCO)	2002-03
9.	Jammu & Kashmir	Jammu	Jammu Agro Industrial Food Park,	2001-02
10.	Karnataka	Malur, Distt.-Kolar,	Karnataka Industrial Areas Development Board/ Food Karnataka Limited	2000-01
11.	Karnataka	Bagalkot,	Karnataka Industrial Areas Development Board / Food Karnataka Limited	2000-01
12.	Karnataka	Jevargi	Karnataka Industrial Areas Development Board Food Karnataka Limited	2002-03
13.	Kerala	Distt. Mallapuram,	Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation	1996-97
14.	Kerala	Aroor, Distt.-Alappuzha,	Marine Products Infrastructure Development Corporation P. Ltd. (MIDCON) / Seafood Park India Ltd.	2001-02
15.	Kerala	Mazhuvannur, Ernakulam	Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation (KINFRA)	2002-03
16.	Kerala	Adoor	Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation (KINFRA)	2005-06
17.	Madhya Pradesh	Jaggakhedi, Distt.-Mandsaur,	Madhya Pradesh Audyogic Kendra Vikas Nigam (Indore) Ltd.,	2000-01
18.	Madhya Pradesh	Nimrani, Dist. Khargone,	Madhya Pradesh Audyogic Kendra Vikas Nigam (Indore) Ltd.,	2001-02
19.	Madhya Pradesh	Piparia, Babai, Distt.-Hoshangabad	Madhya Pradesh Audyogic Kendra Vikas Nigam (IBhopal) Ltd	2001-02
20.	Madhya Pradesh	Borgaon, Distt. Chhindwara	M.P.Audyogik Kendra, Vikas Nigam (Jabalpur) Ltd.,	2001-02
21.	Madhya Pradesh	Malanpur, Ghirongi, District Bhind (M.P).	M.P.Audyogik Kendra, Vikas Nigam (Gwalior) Ltd	2002-03
22.	Madhya Pradesh	Maneri, Distt. Mandla	M.P.Audyogik Kendra, Vikas Nigam (Jabalpur) Ltd.	2002-03
23.	Maharashtra	Butibori, Distt.-Nagpur,	Maharashtra Agro Industries Development Corporation Ltd.	2000-01
24.	Maharashtra	Vinchur, Distt. Nashik	Maharashtra Industrial Development Corporation	2001-02
25.	Maharashtra	Mouza Gumthala, . Bhandara Road, Dist. Nagpur	M/s Haldiram Krishi Udyog Pvt. Ltd., Dist. Nagpur.	2002-03

क्र.सं.	राज्य	परियोजना स्थल	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदन का वर्ष
26	महाराष्ट्र	गाँव सांगवी, जिला सतारा	मैसर्स एग्री फूड इन्फोर्मेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड, पुणे-411013	2002-2003
27	महाराष्ट्र	पालुस, जिला सांगली	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	2003-2004
28	महाराष्ट्र	कपसी, तालुका काम्टी, जिला नागपुर	मैसर्स माँ उमिया औद्योगिक सहकारी वसाहत मर्यादित	2005-06
29	महाराष्ट्र	एम.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रा, महाराष्ट्र	मैसर्स लक्ष्मी निर्मल प्रतिष्ठान	2006-07
30	मणिपुर	लम्फेलपट, इम्फाल	मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड, मणिपुर	2000-2001
31	मणिपुर	उखरूल जिला	रिशिंग केशिंग फाउण्डेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़	2001-2002
32	मिजोरम	छिंगछिप	मिजोरम फूड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन	2001-2002
33	नागालैण्ड	बमुंपुकरी, दीमापुर	प्रगतिशील ग्रामीण विकास सोसाइटी	2006-07
34	उड़ीसा	खुर्दा	उड़ीसा औद्योगिक बुनियादी विकास निगम	2001-2002
35	पंजाब	सरहिंद, जिला फतेहगढ़ साहिब	पंजाब कृषि निर्यात निगम	2000-2001
36	राजस्थान	रणपुर, जिला कोटा	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2002-2003
37	राजस्थान	बोरनाडा, जिला जोधपुर	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2002-2003
38	राजस्थान	श्रीगंगानगर	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2003-2004
39	तमिलनाडु	विरूद्धनगर जिला - मदुरै	वी.पी.एस. आय्यमपेरुमाल नाडार एंड संस, मदुरै	2000-2001
40	तमिलनाडु	जिला डिण्डीगल	निलकोट्टाई फूड पार्क लिमिटेड	2004-2005
41	त्रिपुरा	बोधजंग नगर, पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, अगरतला	2000-2001
42	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	वाइस इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड	1999-2000
43	उत्तर प्रदेश	खारकियो, वाराणसी	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	2000-2001
44	उत्तर प्रदेश	सहजनवा, गोरखपुर	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2004-2005
45	उत्तर प्रदेश	गांव कुशालीपुर, जिला सहारनपुर	मैसर्स कुशाल इंटरनेशनल लिमिटेड	2002-2003
46	उत्तर प्रदेश	कुर्सीरोड, बाराबंकी	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0	2000-2001
47	पश्चिम बंगाल	मौज़ा छगरिया, 24 परगना	राज्य मछुआरा सहकारी लिमिटेड	1998-99
48	पश्चिम बंगाल	(दक्षिण)धनकुनि, जिला हुगली	मॉड्यूलर कंसल्टेंट्स प्रा0 लिमिटेड	1996-97
49	पश्चिम बंगाल	हल्दिया, जिला मिदनापुर	हल्दिया विकास प्राधिकरण, हल्दिया	2002-2003
50	पश्चिम बंगाल	सुल्तानपुर, 24 परगना दक्षिण	राज्य मछुआरा सहकारी लिमिटेड, कोलकाता	2003-2004
51	पश्चिम बंगाल	मालदा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा बागवानी विभाग, प ाश्चिम बंगाल सरकार	2003-2004
52	पश्चिम बंगाल	शंकरपुर, जिला पूर्बा, मेदिनीपुर	मात्स्यिकी, मछली पालन, जलचर संसाधन और मात्स्यिकी बंदरगाह विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	2004-2005
53	पश्चिम बंगाल	संखरेल, हावड़ा	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम	2004-2005
54	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	मैसर्स पताका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2005-2006

S. No	State	Location of the Project	Implementing agency	Year of approval
26.	Maharashtra	Village Sangvi, Distt. Satara	M/s Agrifood Informatics (India) Ltd, Pune-411013	2002-03
27.	Maharashtra	Palus, Distt.-Sangli	Maharashtra Industrial Development Corporation	2003-04
28.	Maharashtra	Kapsi, Taluka Kamtee, Distt. Nagpur	M/s Maa Umiya Audyogic sahakari vasahat Maryadit	2005-06
29.	Maharashtra	MIDC Industrial Area, Shendra, Aurangabad	M/s Laxmi Nirmal Pratisthan	2006-07
30.	Manipur	Lamphelpat, Imphal	Manipur Food Industries Corporation Ltd.	2000-01
31.	Manipur	Distt.-Ukhrul	Rishang Keishing Foundationfor Management of Tribal Areas	2001-02
32.	Mizoram	Chhingchip,	Mizoram Food and Allied Industries	2001-02
33.	Nagaland	Bamunpukri, Dimapur	Progressive Rural Development Society	2006-07
34.	Orissa	Khurda	Orissa Indl. Infrastructure Development Corporation	2001-02
35.	Punjab	Sirhind, Distt. Fatehgarh Sahib	Punjab Agri Export Corporation	2000-01
36.	Rajasthan	Ranpur, Distt. Kota.	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd., (RIICO)	2002-03
37.	Rajasthan	Boranada, District - Jodhpur	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd., (RIICO),	2002-03
38.	Rajasthan	Sri Ganganagar	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd., (RIICO),	2003-04
39.	Tamil Nadu	Virudhunagar, Distt.-Madurai	V.P.S Ayyemperumal Nadar & Sons.,	2000-01
40.	Tamil Nadu	Dindigul District	Nilakottai Food Park Ltd.	2004-05
41.	Tripura	Bodhjungnagar, West Tripura	Tripura Industrial Development Corporation Ltd. ,	2000-01
42.	Uttar Pradesh	Ghaziabad	Wise Industrial Park Ltd.	1999-00
43.	Uttar Pradesh	Kharkion, Distt.-Varanasi	U.P State Industrial Development Corporation Ltd.	2000-01
44.	Uttar Pradesh	Shahajanwa, Gorakhpur	Gorakhpur Industrial Dev. Authority.	2004-05
45.	Uttar Pradesh	Village Kushalipur, District Saharanpur.	M/S Kushal International Limited,	2002-03
46.	Uttar Pradesh	Kursi Road, Distt.- Barabanki	U.P State Industrial Development Corporation Ltd.	2000-01
47.	West Bengal	Chakgaria, 24 Parganas (South)	State Fishermen's Cooperative Ltd., (BENFISH), Kolkata	1998-99
48.	West Bengal	Dankuni, Distt. Hooghly	Modular Consultants Pvt. Ltd.	1996-97
49.	West Bengal	Haldia District Midnapore.	Haldia Development Authority,Haldia,	2002-03
50.	West Bengal	Sultanpur, South 24 Parganas	State Fishermen's Cooperative Ltd., (BENFISH), Kolkata	2003-04
51.	West Bengal	Malda	Deptt. Of Food Processing Industries andHorticulture, Govt. of West Bengal.	2003-04
52.	West Bengal	Shankarapur, Dist. Purba Medinipur,	Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources, Govt. of West Bengal,	2004-05
53.	West Bengal	Sankhrail, Howrah	West Bengal Industrial Development Corporation (WBIDC)	2004-05
54.	West Begal	Murshidabad	M/s Pataka Industries Limited	2005-06

अनुलग्नक- 8

नौवीं योजना और दसवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायताप्राप्त शीतागार परियोजनाएँ

क्रम सं.	राज्य का नाम	नौवीं योजना के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या (1997-98 से 2001-02)	दसवीं योजना के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या (2002-03 और उसके बाद)
1	आंध्र प्रदेश	1	2
2	असम	1	
3	गुजरात	5	3
4	हरियाणा	2	1
5	हिमाचल प्रदेश	1	
6	कर्नाटक	6	
7	केरल	2	1
8	मध्य प्रदेश	3	
9	महाराष्ट्र	11	4
10	मेघालय	1	1
11	उड़ीसा	3	
12	पंजाब	3	
13	उत्तर प्रदेश	1	1
143	पश्चिम बंगाल	12	2
15	लक्षद्वीप	1	
16	मणिपुर		1
17	दिल्ली		1
18	गोवा		1
	जोड़	53	18

ANNEXURE-VIII

Cold Storage Projects Assisted by MFPI during 9th Plan and 10th Plan

Sl.No.	State	No. of projects approved during 9th Plan (1997-98 to 2001-02)	No. of projects approved during 10th Plan (2002-03 onwards)
1.	Andhra Pradesh	1	2
2.	Assam	1	
3.	Gujarat	5	3
4.	Haryana	2	1
5.	Himachal Pradesh	1	
6.	Karnataka	6	
7.	Kerala	2	1
8.	Madhya Pradesh	3	
9.	Maharashtra	11	4
10.	Meghalaya	1	1
11.	Orissa	3	
12.	Punjab	3	
13.	Uttar Pradesh	1	1
14.	West Bengal	12	2
15.	Lakshadweep	1	
16.	Manipur		1
17.	Delhi		1
18.	Goa		1
	Total	**53**	**18**

अनुलग्नक- 9

वर्ष 1992-93 से 2006-07 (31 दिसम्बर, 2006 तक) सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों के राज्यवार ब्योरे

क्र सं.	राज्य का नाम	कुल सहायता प्राप्त खा.प्र. और प्रशिक्षण केंद्र	10वीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त (31 दिसम्बर, 2006 तक)
1.	अंडमान एवं निकोबार	01	-
2.	आंध्र प्रदेश	06	01
3.	अरूणाचल प्रदेश	01	-
4.	असम	25	-
5.	बिहार	29	01
6.	दिल्ली	07	-
7.	गुजरात	04	01
8.	हरियाणा	11	02
9.	हिमाचल प्रदेश	08	01
10	जम्मू एवं कश्मीर	08	-
11.	कर्नाटक	11	-
12.	झारखंड	2	02
13.	केरल	07	01
14.	महाराष्ट्र	18	01
14.	मध्य प्रदेश	09	04
15.	मणिपुर	04	01
16.	मिजोरम	06	-
17.	मेघालय	01	-
18.	नागालैण्ड	02	-
19.	उड़ीसा	67	05
20.	पंजाब	02	-
21.	राजस्थान	04	01
22.	तमिलनाडु	40	06
23.	त्रिपुरा	01	-
24.	उत्तर प्रदेश	90	16
25.	पश्चिम बंगाल	18	05
26.	उत्तरांचल	05	04
	कुल:	**387**	**52**

ANNEXURE-IX

Statewise Details of Food Processing & Training Centres Assisted during the Period 1992-93 to 2006-2007 (upto 31st december, 2006)

S.No.	Name of the State	Total FPTC assisted	Assisted during 10th Plan (upto 31st December, 2006)
1.	Andaman & Nicobar Islands	01	-
2.	Andhra Pradesh	06	01
3.	Arunachal Pradesh	01	-
4.	Assam	25	-
5.	Bihar	29	01
6.	Delhi	07	-
7.	Gujarat	04	01
8.	Haryana	11	02
9.	Himachal Pradesh	08	01
10	J&K	08	-
11.	Karnataka	11	-
12.	Jharkhand	2	02
12.	Kerala	07	01
13.	Maharashtra	18	01
14.	Madhya Pradesh	09	04
15.	Manipur	04	01
16.	Mizoram	06	-
17.	Meghalaya	01	-
18.	Nagaland	02	-
19.	Orissa	67	05
20.	Punjab	02	-
21.	Rajasthan	04	01
22.	Tamil Nadu	40	06
23.	Tripura	01	-
24.	Uttar Pradesh	90	16
25.	West Bengal	18	05
26.	Uttranchal	05	04
	Total:	**387**	**52**

अनुलग्नक- 10

वर्ष 2006-2007 में आयोजित सेमिनार/कार्यशालाएँ

क्रम सं.	सेमिनारों/कार्यशालाओं के ब्यौरे
1	राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नई दिल्ली को भरतपुर (राजस्थान) में 7.1.2006 को मधुमक्खी पालन परियोजना संबंधी सेमिनार के लिए सहायता दी ।
2	एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया को प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों पर कोचीन में 19 जनवरी, 2006 को हुए सम्मेलन के लिए सहायता दी ।
3	कॉलेज ऑफ डेरी टेक्नॉलॉजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में डेरी-उद्योग एवं प्रदर्शनी-सह-बिक्री मेला पर फरवरी, 2006 में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सहायता दी ।
4	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान को आर आई ई, मैसूर में आयोजित तृतीय नेशनल टीचर्स साइंस कांफ्रेंस-2005 के लिए सहायता दी ।
5	कॉटेज एवं स्माल स्केल इंडस्ट्रिज एसोसिएशन कोलकाता को 6-15 जनवरी, 2006 को बरूईपुर (पश्चिम बंगाल) में आयोजित तृतीय शिल्प-वाणिज्य मेला के लिए सहायता दी ।
6	एम ए आई डी सी एल-मैसर्स ग्रेप ग्रोवर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, पुणे को 6-11 फरवरी, 2006 के बारामाली में अंगूर उत्पादन और प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी के लिए सहायता दी ।
7	"एसोचैम" को 28 जनवरी, 2006 को चण्डीगढ़ में आयोजित उत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित कारते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में उभरते अवसर, चुनौतियों पर सम्मेलन के लिए सहायता दी ।
8	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) पश्चिम बंगाल राज्य केंद्र कोलकाता को कृषि प्रसंस्करण एवं ग्रामीण शक्तिकरण पर सम्मेलन के लिए सहायता दी ।
9	बासाकेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा बागलकोट में 9-11 मार्च, 06 के दौरान "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जरिए डिव-06 ग्रामीण विकास" और फूड एक्सपो, 2006 पर राष्ट्रीय सेमिनार को सहायता दी ।
10	सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च आन गोटस को मथुरा में 4-5 मार्च, 2006 को कार्यशाला-सह-सेमिनार के लिए सहायता दी ।
11	डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल, इकोनामिक्स, फैक्ल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर (तमिलनाडु) को सहायता दी ।
12	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर को 23-25 जून, 2006 के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय पोषण में क्षमता विकास संगोष्ठी के लिए सहायता दी ।
13	इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई को गोरेगाँव में 11-14 दिसम्बर, 2006 के दौरान इण्डिया पैक-2006 पर अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी/सम्मेलन के लिए सहायता दी ।
14	आई आई टी, दिल्ली को फसलोत्तर हानियों पर अध्ययन प्रस्ताव के लिए सहायता दी ।
15	भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा नई दिल्ली में 9 और 10 मार्च, 2006 को आयोजित कृषि खाद्य कारोबार के लिए सहायता दी ।
16	जवाहरलाल नेहरू कालेज, पसीधाट, अरूणाचल प्रदेश को 26 और 27 मार्च, 2006 को अरूणाचल प्रदेश में फल प्रसंस्करण उद्योग के लिए आवश्यकता और प्रत्याशा पर सेमिनार के लिए सहायता दी ।
17	हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजी इंस्टिट्यूट, कानपुर को बायो-प्रोसेस एंड एफपीआई में उभरते हुए व्यापार पर राष्ट्रीय सेमिनार के लिए सहायता दी ।
18	दक्षिणी 24 परगना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर सुन्दरबन एग्रो इको सोशो एजुकेशनल सोसाइटी को सहायता दी ।
19	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में "महिला उद्यमियों के लिए गुंजाइश अवसर और चुनौतियों" पर 26 और 27 मार्च, 2006 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सहायता दी ।

ANNEXURE-X

Seminars/ Workshops organised in 2006-2007

S.No.	Details of Seminars/ Workshops
1.	Assisted National Bee Board, New Delhi Project on Bee Keeping Seminar at Bharatpur, Rajasthan on 7.01.2006.
2.	Assisted ASSOCHAM, Associated Chamber of Commerce & Industry of India Conference on Emerging Opportunities in processed Food Sector on 19th January 2006 Cochin.
3.	Assisted College of Dairy Technology, Indira Gandhi Agriculture University Raipur, Chhatisgarh- Three days National Seminar on Dairying & Exhibition cum Sale Fair at Chhatisgarh in Feb. 2006
4.	Assisted CFTRI- 3rd National Teachers Science Conference (NTSC)- 2005 at RIE, Mysore.
5.	Assisted Cottage & Small Scale Industries Association Kolkata- 3rd SILPA- BANIJYA MELA 6-15 January 2006 at Bauruipur (WB).
6.	Assisted MAIDCL- M/s Grape Grovers Federation of India Pune International Symposium on Grape Production and Processing at Baramali from 6-11 Feb. 2006
7.	Assisted ASSOCHAM Conference on Emerging opportunities Challenge in Processed Food Sector Focus- North India 28th January 06- Chandigarh.
8.	Assisted the Institute of Engineers (India) West Bengal State Centre Kolkata- Seminar on Advance in Agro Processing and Rural Empowerment.
9.	Assisted National Seminar on "Dev. 06 Rural Areas through FPI" and Food EXPO 2006 during 9-11 March 06 at Bagalket by Basakeshwar Engg. College.
10.	Assisted Central Institute for Research on Goats- workshop cum Seminar from 4-5 March 2006 at Mathura.
11.	Assisted Deptt. Of Agricultural Economics Faculty of Agriculture, Annamalai University Annamalai Nagar (T.N.)
12.	Assisted CFTRI, Mysore International Symposium on capacity Dev. In Nutrition at CFTRI, Mysore during 23-25 June 2006.
13.	Assisted Indian Institute of Packaging Mumbai, international Packaging Exhibition/conference on INDIAPACK - 2006 during 11-14 Dec. 2006 at Goregaon.
14.	Assisted Study Proposal on Post harvest losses by IIT, Delhi.
15.	Assisted Agri Food Business organized by FICCI in New Delhi between 9-10 March 06.
16.	Assisted Jawahar Lal Nehru College, Pasighat Arunachal Pradesh seminar on need and prospective for Fruits Processing Industry in Arunachal Pardesh 26 and 27 March 2006.
17.	Assisted a National seminar on Emerging Trade in Bio- process & FPI Harcourt Butter Technology Institute, Kanpur.
18.	Assisted seminar on development of Food Processing Industries in south 24 Pargans, Sunderban Agro Eco Socio Educational Society.
19.	Assisted National conference on "Scope, Opportunities and Challenges for Women Entrepreneurs in the Food Processing Industries to be held on 26-27 March 2006.

क्रम सं.	सेमिनारों/कार्यशालाओं के ब्यौरे
20	20-23 सितम्बर, 2006 को चैन्ने में आयोजित आहार ऑटम एडीशन के लिए सहायता दी ।
21	आई एल एस आई - इण्डिया इंटरनेशनल लाइफ साइंसेस इंस्टिट्यूट इंडिया को पुणे में 25.5.06 को आइ एल एस आई इण्डिया द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु पैकेजिंग पर एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता दी ।
22	नेशनल इंस्टिटयूट आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, त्रिवेंद्रम द्वारा 31.10.06 को खाद्य मेला प्रदर्शनी और सेमिनार के आयोजन के लिए सहायता दी ।
23	"दि इंग" द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन सस्टेनेबुल एग्रीकल्चर फार फूड एंड न्यूट्रीशनल सोसाइटी के लिए वित्तीय सहायता दी ।
24	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली को रायबरेली में खाद्य प्रसंस्करण पर जिला स्तरीय सम्मेलन के लिए सहायता दी
25	एप्लान ऑफ हेल्पलाइन टवेन्टी फर्स्ट सेंचुरी (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली को खाद्य क्षेत्र में उभरती हुई बाजार संभावनाओं पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी ।
26	महिला हाट, नई दिल्ली द्वारा अगस्त, 2006 में विकास पर ध्यान केंद्रित करने संबंधी कार्यशाला आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव को सहायता दी ।
27	बिहार उद्योग परिसंघ को बिहार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पर जोर देने के लिए सहायता दी ।
28	गणतंत्र दिवस परेड, 2007 में झांकी प्रस्तुत करने के बारे में रक्षा से लेटर के लिए सहायता दी ।
29	राज्य नोडल एजेंसी खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश को जोनल सेमिनार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी ।
30	क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, लखनऊ के गुणवत्ता नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा हेतु जागरूकता पर सेमिनार/प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव को सहायता दी ।
31	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान में 23-25 जून, 2006 को खाद्य और पोषण में नेतृत्व दक्षता का निर्माण, राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक पर अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी के लिए सहायता दी ।
32	उद्यमशीलता विकास संस्थान, गांधी नगर को राजस्थान में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए सहायता दी ।
33	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और लघु क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों पर पानीपत, हरियाणा में 24.8.06 को आयोजित सेमिनार को सहायता दी ।
34	भारतीय लघु और मझौला कारोबार विकास केंद्र, मुम्बई को मुम्बई में 21.9.2006 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग - लघु एवं मझौले उद्योग क्षेत्र के लिए अवसर और चुनौतियाँ पर सम्मेलन के लिए सहायता दी ।
35	निवेशक बैठक आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ के सम्मेलन और वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव को सहायता दी ।
36	ए एफ एस टी (आई) दिल्ली को हैदराबाद में 16-17 नवम्बर, 2006 को "इकफोस्ट-2006" आयोजित करने के लिए सहायता दी ।
37	इण्डियन सोसाइटी फॉर रूट क्रॉप्स, केरल को सेन्ट्रल टयूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट में 20-26 नवम्बर, 2006 के दौरान हुए 14वें ट्रीनियल सिम्पोजियम ऑफ दि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रोपिकल रूट क्राप्स के लिए वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव को सहायता दी 1
38	सोसाइटी फार सोशल इम्पावरमेंट, नई दिल्ली को पटना में 17 और 18 सितम्बर, 2006 को हुए "खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य सुरक्षा" पर दो दिवसीय सेमिनार के लिए सहायता दी ।
39	स्वदेशी साइंस मूवमेंट द्वारा कोचीन, केरल में 11-17 अक्तूबर, 2006 को नेशनल सेल्फ रिलायंस वीक सेलेब्रेशन के लिए सहायता दी ।

S.No.	Details of Seminars/ Workshops
20.	Assisted Aahar- Autumn Edition from 20-23 September 2006 in Chennai.
21.	Assisted ILSI- INDIA international life Sciences Institute India organizing a conference on Packaging for Safety Food by ILSI India on 25.5.06 at PUNE.
22.	Assisted National institute of Educational Planing & Administration, New Delhi Food Fair Exhibition and Seminar on 31.10.06 by All India Women's Conference Trivendarum.
23.	Assisted Financial assistance for "international conference on Selftainable Agriculture for Food & Nutritional Society" to be organized by THE Eng
24.	Assisted CII, New Delhi- District Level conference on Food Processing in Raibrally.
25.	Assisted Appln. of Helpline Twenty First Century (Regd.) New Delhi financial assistance for organizing seminar on emerging market Prospective in Food sector.
26.	Assisted proposal for Financial assistance for organizing a workshop to focus attention for the development by MAHILA HAAT, New Delhi in August 2006.
27.	Assisted Bihar Industries association- focus Bihar Food processing industries backward and forward linkage.
28.	Assisted letter from M/s Defence reg. Presentation of TABLEAUX in the Republic Day Parade-2007.
29.	Assisted SNA Food Processing U.P. financial assistance for organizing ZONZL SEMINAR.
30.	Assisted proposal from Regional Food Research & Analysis centre, Lucknow for seminar/training on Awareness for quality central & Food Safety.
31.	Assisted international Symposium on "Building Leadership Skills in Food and Nutrition, Essential for National Development" June 23-25, 2006 at CFTRI.
32.	Assisted EDI (Entrepreneurship Dev. Institute of India, Gandhinagar Gujarat state level workshop on promotion of FPI through Entrepreneurship Dev. Programme in Rajasthan.
33.	Assisted seminar on emerging opportunities in Food Processing industries and SSI Sector to be held on 24.8.06 in Panipat, Haryana.
34.	(SMBDCI) Small & Medium Business Dev. Centre of India, Member conference on "Food Processing industry-Opportunities & Challenges for SME Sector" 21.9.06 Mumbai.
35.	Assisted FICCI proposal for financial assistance for organizing conference and Investors Meet.
36.	Assisted AFST (I) Delhi chapter financial assistance for organizing ICFOST- 2006 16-17 Nov. 2006 Hyderabad.
37.	Assisted Indian Society for Root Crops, Kerala request for financial assistance for 14th Triennial Symposium of the international Society for Tropical Root Crops to be held during 20-26 Nov. 2006 at central Tuber Crops Research Institute (CTCRI).
38.	Assisted Society for social Empowerment New Delhi financial assistance for Two days seminars on "Food Processing and Food Security" in India to be held at Patna on 17-18 Sept. 2006.
39.	Assisted National self Reliance week celebration from 11-17 October 2006 in Kochin Kerala by SSM (Swadeshi Science Movement)

क्रम सं.	सेमिनारों/कार्यशालाओं के ब्यौरे
40	सेन्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड इंट्रिप्रिन्यूरशिप डवलपमेंट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश को ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संबंधी प्रस्ताव के लिए सहायता दी ।
41	मणिपुर सरकार, वाणिज्य और उद्योग निदेशालय को 29 और 30 अक्तूबर, 2006 के दौरान इम्फाल में खाद्य मेला-सह-कार्यशाला, 2006 आयोजित करने के लिए सहायता दी ।
42	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली को द ग्रांड, वसंत कुंज, नई दिल्ली में 10 अक्तूबर, 2006 को ग्यारहवीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए रणनीति संबंधी हस्तक्षेप पर कार्यशाला के लिए सहायता दी ।
43	"एग्रीकल्चर सम्मिट - 2006" को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18-19 अक्तूबर, 2006 को हुए "द्वितीय क्रांति" हेतु संदर्भ विषय पर सहायता दी ।
44	एक गैर सरकारी संगठन बगनान प्रत्याशा द्वारा 22 से 28 अक्तूबर, 2006 को हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में मार्च टूवड्र्स प्रोग्रेस पर प्रदर्शनी के लिए सहायता दी ।
45	कांगू इंजीनियरिंग कालेज, तमिलनाडु को " खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन" पर सेमिनार आयोजित करने के लिए सहायता दी ।
46	प्रोटीन फूड्स एंड न्यूट्रीशन डिव. एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई को डायट्री इंटेक ऑफ फूडस पर सर्वेक्षण के लिए सहायता दी ।
47	प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, लखनऊ को 14 से 18 नवम्बर, 2006 को जौनपुर, उत्तर प्रदेश में भारत निर्माण जन सूचना अभियान के लिए सहायता दी ।
48	ए आई एफ पी ए को 15.12.2006 के "भारत में ताजे फलों और सब्जियों तथा प्रसंस्कृत खाद्यों की रिटेल चेनों की स्थापना संबंधी अनुभवों " पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी ।
49	भारतीय उद्योग परिसंघ, अहमदाबाद द्वारा 17-19 नवम्बर, 2006 को अहमदाबाद में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला, 2006 को सहायता दी ।
50	आहार, 2007 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेले को सहायता दी ।
51	बायोसेफ्टी पर कारटेगेना प्रोटोकॉल के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जी एम ओ एस/एल एम ओ एस की बायोसेफ्टी मदों में क्षमता निर्माण सम्मेलन जो 22 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में हुआ, के लिए सहायता दी ।
52	अखिल भारत पंचायत परिषद, दिल्ली को अखिल भारत पंचायत परिषद कैंपस, मयूर विहार, फेस-I, दिल्ली में 21-22 नवम्बर, 2006 को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता दी ।
53	राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और राष्ट्रीय संचलन समिति को मुम्बई में मुम्बई प्रदर्शनी केंद्र में 15-17 नवम्बर, 2006 को तृतीय न्यूट्रास्यूटिकल सम्मिट में भाग लेने के प्रस्ताव के लिए सहायता दी ।
54	भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ को मुम्बई में 23-25 नवम्बर, 2006 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खाद्य टेक, 2006 पर तकनीकी सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव पर सहायता दी ।

S.No.	Details of Seminars/ Workshops
40.	Assisted centre of Technology and entrepreneurship Dev. Sultanpur U.P. proposal for 3 days National seminar on Rural Food Processing Industries.
41.	Assisted Govt. of Manipur, Dte of Commerce & industry for organizing of Food Fair cum workshop 2006 at Imphal during 29-30 Oct. 2006.
42.	Assisted CII, New Delhi workshop on "Strategic interventions for the Food Processing industry in the 11th Plan" on 10th Oct. 2006 at Hotel The Grand, Vasant Kunj, New Delhi.
43.	Assisted Agriculture Summit-2006 on the subject "Reference for the Second Revolution" being held on 18-19 October, 2006 at Vigyan Bhawan, New Delhi.
44.	Assisted exhibition on March towards progress from 22-28 Oct. 2006 at Haora (W.B.) by Bagnan Pratyasha an NGO.
45.	Assisted Kongu Engineering College, T.N. request for organizing seminar on "Food Safety and Quality Management"on 12.12.2006.
46.	Assisted Protein foods and Nutrition Dev. Asso. Of India, Mumbai PFNDAI survey on Dietary intake of foods.
47.	Assisted PRESS INFORMATION BUREAU, Lucknow "Bharat Nirman" Jan Suchana Abhiyan in Jaunpur, U.P. from 14th to 18 Nov. 2006.
48.	Assisted AIFPA financial assistance for organizing a National seminar on "Experiences in establiship Retail Chains for Fresh Fruits & Vegetables & Processing Food in India on 15.12.2006.
49.	Assisted 3rd international AGRI FAIR 2006 in Ahemdabad from 17-19 Nov. 206 by CII A'bad.
50.	Assisted AAHAR-2007 International Food Fair
51.	Assisted international conference Capacity Building in Biosafety issues of GMOS/LMOS in the contest of the Cartagena Protocol on Biosafety to be held on 20-22 Nov. 2006 at New Delhi.
52.	Assisted All India Panchayat Parisad Mayur Vihar, Delhi organization of National conference on 21-22 Nov. 2006 at AIIP Campus, Mayur Vihar Phase-I Delhi.
53.	Assisted Proposal form National Advisory Council and National Steering Committee participation in exhibition 3rd Nutraceutical Summit from 15-17 Nov. 2006 at the Bombay Exhibition centre in Mumbai.
54.	Assisted CIFTI proposal for organizing a Technical conference on International Food Tec 2006 during 23-25 Nov. 2006 at Mumbai.

अनुलग्नक- 11

31.12.2006 को फल उत्पाद आदेश के तहत लाइसेंसप्राप्त कुल यूनिटों की राज्यवार संख्या

क्र सं.	राज्य का नाम	लाइसेंसधारकों की संख्या
1.	दिल्ली	379
2.	चंडीगढ़	23
3.	राजस्थान	266
4.	हरियाणा	349
5.	जम्मू एवं कश्मीर	119
6.	पंजाब	299
7.	हिमाचल प्रदेश	143
8.	उत्तर प्रदेश	622
9.	उत्तराखंड	110
10.	महाराष्ट्र	1194
11.	गोवा	148
12.	मध्य प्रदेश	135
13.	छत्तीसगढ़	26
14.	गुजरात	429
15.	दादर एवं नागर हवेली एवं दमण दीव	10
16.	आंध्र प्रदेश	293
17.	कर्नाटक	380
18.	केरल	453
19.	तमिलनाडु	529
20.	पाण्डिचेरी	22
21.	पश्चिम बंगाल	322
22.	झारखण्ड	29
23.	बिहार	49
24.	उड़ीसा	38
25.	अंडमान एवं निकोबार	07
26.	असम	45
27.	मेघालय	11
28.	सिक्किम	02
29.	अरूणाचल प्रदेश	02
30.	मिजोरम	03
31.	त्रिपुरा	06
32.	मणिपुर	15
33.	नागालैण्ड	08
	कुल	**6466**

ANNEXURE-XI

Total licensed units under FPO Statewise as on 31.12.2006

S.NO.	Name of State	Total No. of Licensees
1.	Delhi	379
2.	Chandigarh	23
3.	Rajasthan	266
4.	Haryana	349
5.	Jammu &Kashmir	119
6.	Punjab	299
7.	Himachal Pradesh	143
8.	Uttar Pradesh	622
9.	Uttaranchal	110
10.	Maharashtra	1194
11.	Goa	148
12.	Madhya Pradesh	135
13.	Chattisgrah	26
14.	Gujarat	429
15.	Dadra Nagar Havali & Daman Diu	10
16.	Andhra Pradesh	293
17.	Karanataka	380
18.	Kerala	453
19.	Tamil Nadu	529
20.	Pondicherry	22
21.	West Bangal	322
22.	Jharkhand	29
23.	Bihar	49
24.	Orissa	38
25.	Andaman & Nicobar	07
26.	Assam	45
27.	Meghalaya	11
28.	Sikkim	02
29.	Arunchal Pradesh	02
30.	Mizoram	03
31.	Tripura	06
32.	Manipur	15
33.	Nagaland	08
	Total	**6466**

Ministry of Food Processing Industries

Government of India

CONTACT OFFICER
Shri Ajit Kumar
Joint Secretary
ajitji@nic.in
Ph: 011-26492476 Fax:011-26493228

SearchFor

india.gov.in NEW

NEW RIGHT TO INFO. ACT,2005 NEW THE FOOD SAFETY & STANDARDS ACT,2006 NEW

LAST UPDATED: 14-03-2007

What's Special

Application formats
FPO Application NEW

Annual Reports

Archives

Suggestion Box/Complaints want to give your suggestion?

Recommend This site

To Grow this site, Please recommend to your friends.

Your Name

Your E-mail Address

Your Friend's E-mail Address

हिन्दी

DOWNLOAD HINDI FONT

Suggestions

About Us
Roles, Goals, Human Resources

Policies & Regulations
Investment Promotion Policies, EXIM Policies, WTO ...

Industry Specific Information
Sector-wise Profiles, Major Players, Market Potential ...

Infrastructure / Present Status
Basic Infrastructure - Transport, Man Power, Power, Fuel ...
Recent Investments, Business Environment ...

Tenth Plan Schemes HACCP
Plan Scheme Proposals NEW
List of Plan Schemes NEW

FPO Guide-Lines
Citizen Charter

CCA-Fin-MIS NEW

Tender/Procurement

Opportunities
Environment, Resources, Market ...

Technology & Machinery
New Processing Techniques, Preservatives and Agents ...

Research & Development
New Processing Techniques, Preservatives and Agents ...

Agencies to Contact
Indian Ministries, Promotional Agencies, Nodal Agencies ...

Venture Setup
Regulations, Forming an Entity, Licensing and Funding ...

Food & Health,Food&Quality

International Co-operation

MFPO 1973 (English/ Hindi)
NEW Application Form
Amendment)

FPO Act (English/ Hindi)
FACILITATION CENTRE

What's Special

Indian Recipes Get some tasty links from here.

Project Profiles want to start a industry in food sector? See some model reports

Corporate Pages Links to Indian food Processing business

Agri Marketing Visit Agriculture marketing network.

Apeda Visit Apeda's virtual trade fair.

Trainee Manual for setting up Food Processing unit.

Parliament Questions and Answers Retrieval System

Codex Standard NEW